हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौसिंल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

14.09.2020/1400/JK/AG/1

अध्यक्षः मुकेश अग्निहोत्री जी, क्या कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है फिर उसके बाद 3.00 बजे आपने अपना मैटर उठा लेना। आज तीन दिनों के बाद मिले हैं। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में और माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में दोबारा से यह बात लाना चाहता हूं कि सिर्फ आपका इनेक्शन बहुत तंग कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी हमारे इस माननीय सदन के सदस्य हैं। जैसे कि उस दिन भी बात हुई कि उनके कैम्पस में कुछ लोगों ने जा जा कर हुड़दंग मचाया। मुख्य मंत्री जी ने बात की लेकिन हम चाहते थे कि आप एक्शन लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माननीय सदस्य इन छुट्टियों में वहां गए हुए थे और 48 घंटे का धरना एस.पी. ऑफिस के बाहर रखा था और वहां पर लोग उनके साथ धरने पर बैठे हुए थे। अब एस.पी. ने क्या किया कि उन्होंने एक केस की आड़ में एस.पी. ऑफिस ही सील कर दिया। एक तो एस.पी. कोई अथॉरिटी कैम्पस सील करने की नहीं है, यह मजिस्ट्रेट करता है। यह मजिस्ट्रेट को करना था।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

14.09.2020/1405/SS-AG/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागत :

लेकिन उस एस0पी0 ने खुद ही आदेश निकाल कर उसे सील कर दिया और फिर क्या किया कि अपने आदेशों के बाद एम0एल0ए0 को भी कंटेनमैंट जोन के अंदर बंद कर दिया। अगर वहां पर कोई केस आया था और अध्यक्ष महोदय एस0पी0 ने जो बात कही है उसमें गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के 18 मई, 2020 के ऑर्डर का हवाला दिया है और कहा कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का 18 मई, 2020 का ऑर्डर कहता है कि ऑफिस सील कर दिया जाए। एक तो एस0पी0 खुद सील नहीं कर सकते थे, उसे मैजिस्ट्रेट ने करना था और दूसरा इश्यु यह है कि एस0पी0 को यह भी मालूम नहीं है कि हि0प्र0 चीफ सैक्रेटरी ने 31 जुलाई, 2020 को ऑर्डर

निकाला है और उसमें पहली लाइन यह है - if there are one or two cases reported, the disinfection procedure will be limited to places/areas visited by the patient in past 48 hrs. There is no need to close the entire office building/halt work in other areas of the office and work can be resumed after disinfection as per laid down protocol. जब हिमाचल प्रदेश के चीफ सैक्रेटरी ने ऑर्डर किया है कि एक कोरोना का एक-आधा केस निकलेगा तो दफ्तर सील नहीं करना है और आप उसे डिस्इंफैक्ट करेंगे। यह राइटिंग में चीफ सैक्रेटरी की नोटिफिकेशन है। एक पुरानी नोटिफिकेशन का हवाला देकर एस0पी0 कैम्पस सील कर रहे हैं और वह भी मैजिस्ट्रेट से नहीं करवा रहे हैं बल्कि खुद सील कर रहे हैं। यह एम0एल0ए0 को अंदर बंद करने और सील करने की एक साजिश है तथा नाजायज तरीका है। अध्यक्ष महोदय, असैम्बली चल रही है। अगर आपने एम0एल0ए0 को कंटेनमैंट जोन के अंदर बंद रखना था या ऑफिस को ताला लगाना था तो आपको इंफोर्म किया जाना था। इस समय आप हाउस में बैठे हैं आपसे बिना पूछे किसी एम0एल0ए0 को रोका नहीं जा सकता। आपके बिना पूछे किसी एम0एल0ए0 को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस मामले में आपको भी इंफोर्म नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि जब आपने रात को 11.00 बजे ऑफिस बंद कर दिया और एम0एल0ए0 व 11 आदमियों को आप अंदर रखते हैं तो यह वैसे भी मानवता का उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन है। यह किस ढंग से सरकार चलाई जा रही है। एम0एल0ए0 के इंस्ट्टियूशन को आप इतना गिरा दोगे, वह सही बात नहीं है। हम मुख्य मंत्री जी से बार-बार कह रहे हैं कि आप एम0एल0ए0 के इंस्ट्टियूशन को इतना नीचे मत गिराओ। आज आप सरकार में हैं और कल कोई दूसरा सरकार में होगा। अफसरों के मन में यह आ जाए कि वे पूरे प्रदेश में कुछ भी

14.09.2020/1405/SS-AG/2

कर सकते हैं तो वह उचित नहीं होगा। आप एस0पी0 के खिलाफ ऐक्शन लें कि उन्होंने किस अथोरिटी से यह ऑर्डर निकाला है? डी0सी0 कुल्लू को यह ऑर्डर निकालना चाहिए था या वह एस0डी0एम0 कुल्लू का ऑर्डर होता, जो भी होता वह मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता। दूसरा, जब इसके दो महीने बाद की चीफ सैक्रेटरी की चिट्ठी है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव केस आए तो ज्यादा-से-ज्यादा उस ब्रांच का कमरा बंद करना है और वैसे तो उसको डिस्इंफैक्ट करके दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसके बारे में सरकार की क्लीयर कट

गाइडलाइन्स हैं तो फिर एस0पी0 ने हमारा एम0एल0ए0 किस आधार पर अंदर सील किया, कंटेनमैंट जोन में रखा और अगर उनकी जान को इतना बड़ा जोखिम इस सरकार व प्रशासन ने दिया है तो हम इसकी निन्दा करते हैं। साथ में मुख्य मंत्री जी से यह कहते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए और उस एस0पी0 के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए जिसने आपको इंफोर्म नहीं किया और एम0एल0ए0 की जान जोखिम में डालकर उसे सील किया। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर इस माननीय सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है और माननीय सदस्य, कुल्लू के विधायक श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी जो यहां उपस्थित नहीं हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के बाद सरकार की ओर से उसमें जवाब भी दिया गया और जिस दिन यहां इस माननीय सदन में इस सारे विषय को लेकर हमने बात कही थी, उस वक्त मुझे कुछ बातों की जानकारी थी और कुछ बातों की जानकारी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक जो इस प्रकार की घटना हुई कि कंणना रणौत का ऑफिस मुम्बई में तोड़ा गया

जारी श्रीमती के0एस0

14.09.2020/1410/केएस/एएस/1

मुख्य मंत्री जारी---

बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, जिनमें राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हुए और यह पूरे देश में हुआ। उसी सन्दर्भ में कुल्लू में भी पंचायतों के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि तथा पूर्व में रहे प्रतिनिधि और अलग-अलग संस्थाओं के लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके पश्चात वे डिप्टी कमिशनर को अपना मेमोरेंडम देने जा रहे थे लेकिन उनको मालूम पड़ा कि कुल्लू में जो शोभला होटल है, उसके साथ कांग्रेस का ऑफिस भी है। होटल और कांग्रेस का ऑफिस एक साथ है। उन्होंने कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है इसलिए वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। जो उनका निजी होटल है, उन्होंने उस प्रॉपर्टी में एंटर नहीं किया। दूसरे, ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनकी ही बात ठीक होती है और हमारी बात हमेशा

ही गलत होती है, ऐसा नहीं है। मुकेश जी, आप बैठिए। यह गलत बात है।...(व्यवधान) आप पूरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्षः आप लोग बैठ जाएं। मुकेश जी, आपने बात कह दी है, जिसका मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। ...(व्यवधान) आपने सारा मुद्दा रखा। आपको बोलने का समय दिया गया और अब मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, तो कृपया सुन लीजिए। सुन तो लीजिए।...(व्यवधान) मुकेश जी, बैठ जाइए। जो आपने पूछना है या जानना चाहा है, उसके बारे में सुन तो लीजिए। मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बाते हैं। एक तो एस.पी. ने कैसे ऑर्डर निकाला और चीफ सैक्रेटरी के ऑर्डर होने के बावजूद पुराना ऑर्डर कैसे कोट किया? ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पता नहीं बीच-बीच में स्थिति ऐसी क्यों हो जाती है? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का वहां ऑफिस था इसलिए वे वहां प्रदर्शन करते-करते पहुंच गए। उसमें भी प्रदर्शनकारी, जो वहां पर गए थे, उनका कहना है कि हमने न उनके

14.09.2020/1410/केएस/एएस/2

होटल की प्रॉपर्टी को डैमेज किया और न ही हमने उसमें एंटर किया। होटल के बाहर एक प्रीमिसिज़ है, जो उस होटल की पार्किंग है, वहां थोड़ी देर के लिए हम खड़े हुए और स्लोगन शाउटिंग की। जैसे ही वहां पर स्लोगन शाउटिंग हुई तो अन्दर से 15 लोग कांग्रेस पार्टी की कोई मीटिंग चल रही थी, वे आ कर वहां पर ऊंचे-ऊंचे चिल्लाने लगे और बहुत ज्यादा शोर डालने लगे और नारेबाजी करने लगे। स्लोगन शाउटिंग दोनों तरफ से हुई। माननीय सदस्य सुन्दर सिंह जी की उपस्थिति में, जब उन्होंने यह मामला उठाया था, उस वक्त भी मैंने यह बात बताई थी।

अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात क्या हुआ कि प्रदर्शनकारी अपने रास्ते निकल गए । प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद सुन्दर सिंह जी, इस सदन के विधायक हैं, यह कहने की

आवश्यकता नहीं है, उनके प्रति हमारा वही सम्मान है जो बाकी विधायकों के प्रति है लेकिन उसके बावजूद मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मकसद से आप लोगों ने इस मुद्दे को एक और दिशा देने की कोशिश की है। सदन समाप्त हो गया। ...(व्यवधान) उस वक्त मुझे कुछ बातों की जानकारी थी और कुछ बातों की जानकारी नहीं थी। ...(व्यवधान) जब बात समाप्त हो गई, दोनों तरफ से एफ.आई.आर. हुई। उसके बाद हमने कहा कि हम मामले की जांच करेंगे। एक पक्ष का कहना है कि हम वहां खड़े थे, जो उनके होटल का, उनकी निजी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, वह सरकारी जमीन है, उस पर उन्होंने कब्जा किया है और उसकी डिमार्केशन भी हो गई है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.9.2020/1415/av/as/1

मुख्य मंत्री -------जारी

इस प्रकार की बात करके तो आप अपने विधायक को राजनैतिक संकट में डाल देंगे। माननीय विधायक सुन्दर सिंह जी जिस पार्किंग का ज़िक्र कर रहे हैं उसकी डिमार्केशन दो बार हो चुकी है। ...(व्यवधान) यह मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे तो यह बात अब ध्यान में आई। उस ज़मीन की दो बार डिमार्केशन हो चुकी है तथा वहां पर ऐनक्रोचमैंट की गई है। ...(व्यवधान) हम इस बात को हाउस के अंदर नहीं कहना चाहते थे क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर स्टे लगा हुआ है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, आप कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप इनकी बात सुनिए। ...(व्यवधान) आपने सुना ही नहीं तो गलत कैसे हो गई? जब आपने पूरी बात सुनी नहीं तो इसको पहले ही गलत कैसे कह सकते हैं? ...(व्यवधान) बैठिए, प्लीज। ...(व्यवधान) नेगी साहब, आप बैठ जाइए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने उस गेट को तोड़ने के आदेश दिए हैं। ...(व्यवधान)

(पक्ष और विपक्ष की तरफ से कुछ सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

अध्यक्ष : प्लीज, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : यह क्या बात हुई? मैं जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान) हां, हाई कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं, मैं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) आपको पहले बोलने का मौका दिया है, अब इस बारे में उत्तर सुन लीजिए। सभी माननीय सदस्य

14.9.2020/1415/av/as/2

अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइए। ...(व्यवधान) आप मुख्य मंत्री जी की बात को सुन लीजिए। ...(व्यवधान) बैठ जाइए।

(कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात शनिवार और रविवार की छुट्टी थी तथा यहां सदन की कार्यवाही भी नहीं थी। माननीय सदस्य सुन्दर सिंह जी कुल्लू गये और मुझे नहीं मालूम कि उनको सलाह किसने दी होगी। वहां वे एस0पी0 ऑफिस जाकर के धरने पर बैठ गये। ...(व्यवधान) ऑफिस के बाहर धरने पर बैठना अलग विषय है मगर वे ऑफिस के अंदर जाकर बैठ गये यानी गेट के अंदर जाकर बैठ गये। हालांकि हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार अपनी बात कहने और धरने पर बैठने की छूट है। उसको रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री टी सी द्वारा जारी

14.09.2020/1420/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

माननीय मुख्य मंत्री .... जारी

और उसमें कभी कोई बाधा या दिक्कत नहीं आई। इस बीच में श्री अजीत कुमार, ए0एस0आई0 जो वहां एस0पी0 ऑफिस में कार्यरत थे, वे कोरोना पॉजिटिव आ गये। जिसके कारण वहां पर दहशत का माहौल बन गया। उस कैंपस को सैनिटाइज करना था लेकिन वहां पर माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी धरने पर बैठे हुए थे। ये 10 लोग वहां पर धरने पर बैठे हुए थे। इनमें श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, परस राम नेगी, प्रवीण, मनु शर्मा, अनिल सूद, वीरेन्द्र पंडित, पूर्ण चन्द, वनीत अवस्थी, दिग्विजय और शामू शामिल थे। ये सारे आपकी पार्टी (कांग्रेस पार्टी) से संबंधित हैं। ये सारे एस0पी0 ऑफिर के गेट के अंदर धरने पर बैठे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, जो वहां पर हुआ मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। उनसे आग्रह भी किया गया कि आपने अपनी बात रख दी है, अब आप यहां से उठ जाइये। लेकिन वे मांग कर रहे हैं कि श्री महेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया जाये। जैसा प्रदर्शन आप कर रहे हैं, वैसा ही प्रदर्शन उन्होंने किया और उसके बाद चले गये। लेकिन ये वहां एस0पी0 ऑफिस के अंदर धरने पर बैठे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेसिंग की धज्जियां उठाई जा रहीं हैं। जब वहां पर कोविड का केस आया तो कांग्रेस के कुछ लोग अपने आप उठकर चले गये। आज उन्होंने कॉल दी है कि सारे कांग्रेसियों आ जाओ, वरना तुम्हारे घर भी तोड़ दिए जाएंगे, मेरा घर तो टूट ही रहा है। इस तरह से राजनैतिक रूप इस प्रकार का माहौल खड़ा करना मुझे जायज नहीं लगा। मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, उनके गेट के आगे जो पौने बीघा की पार्किंग है, उसके बारे में डिमार्केशन हो चुकी है। यह मामला हाइकोर्ट में पहुंचा है और हाइकोर्ट ने उस गेट को तोड़ने के आदेश किए हैं। जिलाधीश कुल्लू को हाइकोर्ट के आदेश पर उस गेट को तोड़ना पड़ा। हाइकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो प्रेमिसिज है उसके बारे में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। वह निर्णय अभी लम्बित है। मेरा यह कहना है कि इस मुद्दे को कंगना रनौत का मुद्दा न बनाए। इस मुद्दे और उस मुद्दे में बड़ा अंतर है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी उपस्थिति में इस हाउस में जिम्मेवारी के साथ कमिटमैंट की है कि किसी भी माननीय विधायक और मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा, किसी

के घर के अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने यह भी कहा है कि इस बारे में जो भी बात करने की जरूरत होगी, उसको जरूर सुनिश्चित करेंगे।

14.09.2020/1420/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वहां पर उनका निवास नहीं बल्कि होटल है और साथ ही कांग्रेस का ऑफिस है। इस मामले में दोनों तरफ से एफ0आई0आर्ज0 दर्ज हुई हैं। उनकी डिटले आने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आपने विधायक सहित 11 लोगों को अंदर कर रखा है। ...(व्यवधान)

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी ।

14.09.2020/1425/RKS/DC-1

मुकेश अग्निहोत्री जारी.. जारी

31 तारीख का मुख्य सचिव, का आदेश है। (...व्यवधान) यह 31 मई, 2020 का मुख्य सचिव का अपना ऑर्डर है। । (...व्यवधान) मुख्य सचिव का आर्डर क्यों नही माना गया?

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एस.पी. ऑफिस में कोविड-19 का पोजिटिव केस आया तो उस परिसर को सैनिटाइज करने के लिए उन्हें जो भी आवश्यक लगा उसके अनुसार वहां पर कार्रवाई की गई । (...व्यवधान) मुझे नहीं लगता कि वहां इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई हो। । (...व्यवधान) आप उस चीज में मत जाइए। (...व्यवधान) यह चिट्ठी क्यों आई, वह चिट्ठी क्यों आई? । (...व्यवधान) अध्यक्ष जी, इस सारे मामले में राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि आप अपने मित्र को संकट में मत डालिए। क्योंकि आप इस विषय को जितना उठाएंगे, यह उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए मुझे लगता है इस विषय को हमें यहीं पर छोड़ना चाहिए। । (...व्यवधान)

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्षः अब मैं प्रश्न काल आरंभ कर रहा हूं। मेरा कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। । (...व्यवधान) आप बैठिए। (...व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। (...व्यवधान)

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य और CPI (M) के सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी सदन से बहिर्गमन कर गए।)

अध्यक्षः मैं प्रश्न काल शुरू कर रहा हूं। अब माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी अपना प्रश्न पूछेंगे।

14.09.2020/1425/RKS/DC-2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः उपस्थित नहीं।

अध्यक्षः यह प्रश्न माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जरयाल द्वारा भी लगाया गया है। माननीय सदस्य कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सारी कहानी सब लोगों को समझ आ रही है। मैंने उनको कहा कि अगर आप ऐसा सोचें कि आपको कंगना रणौत की तरह प्रसिद्धि मिलेगी तो ऐसा नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय एक निर्णय पहले ही दे चुका है। जहां पर गेट है, वहां पर एनक्रोचमैंट है इसलिए इसे तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए मैं उस दिन भी इस विषय पर ज्यादा नहीं बोल पाया। दूसरा, एस.पी., ऑफिस के अंदर धरना देने की अनुमति किसी भी दल को नहीं है। हमारी जिंदगी तो धरना देने पर ही निकली है लेकिन

जब हम धरना देते थे तो कार्यालय के बाहर देते थे। अगर किसी ऑफिस के बाहर धरना दें तो वह बात तो हम मानते हैं।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

14.09.2020/1430/बी0एस0/ए0जी0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

लेकिन वे कार्यालय के अंदर जाकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद वहां पर कोई कोरोना का पॉजिटिव मामला आ गया था। ऐसी सूरत में एस0पी0 की जिम्मेवारी बनती थी कि उस कैंपस को सेनेटाइज करें और वह आदेश भी उन्होंने ही करने थे। इस सारी प्रक्रिया के दौरान जो लोग धरना दे रहे थे वे अंदर ही बैठे रहे। मैं समझता हूं कि इस विषय में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई है। यदि वहां पर इस तरह का संक्रमण का केस आ गया था तो सेनेटाइज तो करना ही पड़ना था क्योंकि यह प्रक्रिया न होती तो दूसरों को यह संक्रमण फैल सकता था। इनके 5-6 सौ लोक कार्यालय के बाहर नारे लगा रहे थे किसी को भी बाहर नहीं किया गया, किसी को बोलना से नहीं रोका गया, किसी के ऊपर लाठी-चार्ज नहीं किया गया न ही किसी को बोलने से नहीं रोका गया। लेनिक उसके बावजूद भी अनावश्यक रूप से इस सारे मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। यह ठीक है कि एक विधायक के साथ गलत हुआ होता या ऐसी परिस्थिति हुई होती तो हमें समझ में आता लेकिन प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग चले गए, नारे उन्होंने भी लगाए सामने वालों ने भी लगाए। वहां पर दोनों पक्षों की एफ.आई.आर्ज. दर्ज हुई है। मामले की जांच हो रही है और जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। लेकिन आज का मकसद इनका शुद्ध राजनीतिक मकसद से मामले को उठाना है और ऐसा महौल खड़ा करना है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जैसे कंगना के लिए पूरे देश भर में संपेथी मिली है वैसी ही ये लोग अपने लिए चाह रहे हैं परंतु वैसा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, कोई भी इन सारी चीजों को ले करके अच्छा नहीं मानेगा। जो कुछ भी विपक्ष ने यहां पर किया है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। इन्होंने वॉकआउट किया है या क्या किया है मुझे मालूम नहीं परंतु इस तरह सदन में आना और फिर जाना यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने बड़ा स्पष्ट किया है कि किसी भी विधायक के निजी आवास पर कोई भी इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करने का क्रम

हमेशा के लिए आने वाले समय में रोकना है। लेकिन यह भी बात है कि वहां पर तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। अगर वहां पर कोई लोग गए भी हैं तो उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। यही बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था।

14.09.2020/1430/बी0एस0/ए0जी0/-2

प्रश्न काल
तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या : 3065

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : उपस्थित नहीं।

इसी मूल प्रश्न में माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी अपना प्रश्न पूछेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका विस्तार से उत्तर आ गया है परंतु मैं जिला चम्बा की बात करना चाहता हूं कि जो फसल बीमा है उसे जिला चम्बा में मात्र मक्की, गेहूं, धान और जौ का ही बीमा दिया जाता है बाकी कई प्रकार की सब्जी हमारे यहां होती है जिसमें मुख्यतः आलू ,मटर, टमाटर, फूलगोबी और मूली इन सब्जियों का बीमा नहीं किया जाता। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि इन सब्जियों के फसल बीमा का लाभ भी वहां के किसानों को मिलेगा?

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इस पर विचार करेंगे।

प्रश्न समाप्त/-

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-09-2020/1435/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3066

श्री जिया लाल (भरमौर) : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर सभा पटल पर रखा गया है उसे मैंने पूरा पढ़ लिया है। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर करती है। हिमाचल प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा, जैसे भारी बर्फबारी, बरसात, ओलावृष्टि या सूखा आदि, आती है तब बागवानों और किसानों को नुकसान के कारण भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि किसानों के लिए 'कृषि कोष' बनाया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि कोष कब तक बनाया जाएगा? ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बड़े विस्तृत रूप से दे दिया गया है कि प्रदेश सरकार के पास किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई हेतु अलग से राहत कोष खोलने की कोई योजना नहीं है। लेकिन हमारे यहां पर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है जिसके अंतर्गत खरीफ में मक्की व धान और रबी में गेहूं व जौ की फसल का बीमा किया जाता है। वर्ष 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। खरीफ की फसल में टोटल एंश्योर्ड अमाउंट का दो प्रतिशत प्रीमियम के रूप में किसानों से लिया जाता है। इसी प्रकार रबी की फसल में 1.5 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में किसानों से लिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहां पर जो दूसरी फसलें हैं, जिनका जिक्र माननीय सदस्य श्री बिक्रम जरयाल जी कर रहे थे कि खरीफ में आलू, टमाटर, अदरक, मटर, फूलगोभी और बंदगोभी की फसलें और रबी में आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, लहसुन आदि फसलों को मौसम की खराबी या अन्य आपदाओं के कारण नुकसान होता है तो किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। उसमें टोटल इंश्योर्ड अमाउंट का पांच प्रतिशत प्रीमियम के रूप में किसान को देना पड़ेगा।

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में वापिस आए।)

14-09-2020/1435/एच.के.-एन.जी./2

माननीय सदस्य श्री जिया लाल ने अनुपूरक प्रश्न में 'कृषि कोष' के बारे में पूछा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2019-20 के बजट में जिस कृषि कोष का प्रावधान किया था उसमें हमारी जो Farmer Producer Organization (F.P.O.) बनेंगी, उसे हम सबसिडी के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि देंगे। इसमें उनके द्वारा लिए गए लोन में क्रैडिट गारंटी 50 प्रतिशत या 7.5 लाख तक उन्हें साहयता देंगे। इसी प्रकार एफ.पी.ओ. को इंटरेस्ट सबसिडी पहले तीन साल तक पांच प्रतिशत दी जाएगी और अगले दो वर्ष के लिए तीन प्रतिशत की सबसिडी दी जाएगी। यह सब तब किया जाएगा जब हमारी Farmer Producer Organization (F.P.O.) बनेंगी। वह किसानों के लिए बीज खरीदना, मार्किटिंग लिकेज़ करना और उसकी वैल्यू एडिशन करने के लिए जो काम करेंगी उसके लिए सरकार कृषि कोष के माध्यम से उनकी साहयता करेगी।

प्रश्न समाप्त/-

अगला प्रश्न.....श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

14/09/2020/1440/MS/YK/1

प्रश्न संख्या:3067

श्री बलबीर सिंह(चिन्तपुरनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन पांच स्वास्थ्य संस्थानों को आगामी वित्तीय वर्ष में कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सूचना बहुत विस्तार से रखी हुई है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि चौपाल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में केवल 17 स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, प्रगति पर है या पूर्ण है। इन 17 स्वास्थ्य संस्थानों की सूची संलग्न है। इन में से दो स्वास्थ्य संस्थानों का कार्य 100 परसेंट पूर्ण हो चुका है जिनमें नागरिक अस्पताल चौपाल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरैन है। इसके

अतिरिक्त पांच स्वास्थ्य केन्द्र जिनके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इन स्वास्थ्य संस्थानों का कार्य 20 परसेंट से लेकर 50 परसेंट के बीच प्रगति पर है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शीघ्र ही जो शेष कार्य है, वह भी पूरा हो जाएगा। जो नागरिक अस्पताल नेरवा है उसका 60 परसेंट कार्य पूर्ण हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाणी का 75 परसेंट तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र क्यारनू का 75 परसेंट कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुपवी और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोड़ना में काम कम ही हुआ है। इनमें 20 परसेंट से 35 परसेंट के बीच में काम हुआ है। जो एजैंसी इन कार्यों को कर रही है, विशेषतः इन दो की परफोर्मेंस कम है। **इनके बारे में बात करके हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र इनके निर्माण कार्य में भी प्रगति हो।**

प्रश्न समाप्त

14/09/2020/1440/MS/YK/2

प्रश्न संख्याः 3068

श्री विशोल नेहरिया : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार योल छावनी बोर्ड में वर्ष 2010 से 2013 के बीच में गृह कर में वृद्धि हुई थी। लेकिन कितने प्रतिशत कर की बढ़ोत्तरी की गई है, यह इसमें दर्शाया नहीं गया है। मैं इस विषय में इतना ही बताना चाहता हूं कि वहां की पॉपुलेशन पर बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज किया गया है। जितना भी टैक्स उनके ऊपर लगा है उसके बारे में मैंने जानकारी भी ली है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बी.पी.एल. परिवार में आते हैं और उनके ऊपर भी लगभग 1,10,000/- रुपये टैक्स हो गया है। वे लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि इतना टैक्स अदा कर सकें। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना या मुख्य मंत्री आवास योजनाएं हैं, इनके तहत भी जो मकान मिलते हैं वे भी छावनी बोर्ड के एरिया में लोगों को नहीं मिलते हैं। अभी कई लोगों की ऐसी दयनीय हालत है कि उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है लेकिन फिर भी उनको इतना सारा कर लगा दिया गया है। मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर कर लगा है तो कितना प्रतिशत लगा है और इसको क्या डिक्रीज किया जा सकता है?

शहरी विकास मंत्री(प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न छावनी बोर्ड से है और छावनी बोर्ड का सारा नियंत्रण केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के पास है। इसमें प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार का चुनाव या टैक्स लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि यहां बहुत सारे टैक्सिज लगाए गए हैं। हमारी सूचना के अनुसार वर्ष 2010-13 के बीच में गृह कर त्रिवार्षिक संशोधन के आधार पर लगाया गया है। इसके अलावा कोई दूसरी सूचना इस बारे में हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को इस बारे में दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला, एक तो वहां के कमाण्डर से आप स्वयं मिल लें। दूसरे, जिलाधीश कांगड़ा को कहें,

जारी जे0के0 द्वारा-----

14.09.2020/1445/JK/YK/1

शहरी विकास मंत्रीः------जारी-------

तीसरे, माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलें और कहें। वहां की सारी समस्याओं का जिक्र करें, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि तो वहां से ये ही हैं। लेकिन बोर्ड की सारी-की-सारी व्यवस्था रक्षा मंत्रालय करता है। इसलिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उनको सरकार की ओर से निवेदन कर सकते हैं कि ये जो टैक्सिज़ बढ़ाए गए हैं या जो यह समस्या है, इस पर चर्चा कर सकते हैं या कोई डिसिज़न ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जिलों में काफी छावनी,बोर्डज़ हैं। इन सब की इसी प्रकार की स्थिति है। इनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करके रक्षा मंत्रालय से ये बातचीत करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हमेशा यह बात आती है जब हमें धर्मशाला जाना होता है। इस बारे में बहुत सारे लोग वहां पर मिलते हैं कि इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। उस दृष्टि से हमने केन्द्र में रक्षा मंत्रालय को लिखा भी और रक्षा मंत्री जी से हमारी इस सन्दर्भ में बात भी हुई थी। इस बीच एक तारीख़ बैठक के लिए निश्चित हो गई थी, जिसमें यह निर्णय होना था कि उस रास्ते का क्या किया जाए जिसमें लोगों को आने-जाने की सुविधा है और लोगों के जो दूसरे इशूज़ वहां पर हैं, उनका समाधान कैसे हो सके? लेकिन उस वक्त वह बैठक किसी वज़ह से स्थगित हो गई और उसके बाद कोरोना का दौर आ गया, जिस कारण से वह बैठका दोबारा से निर्धारित नहीं हो पाई। हम इस बारे

में कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी से बात करूंगा।। रोहतांग अटल टनल का जब उद्घाटन होगा, उस दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री जी वहां आने वाले हैं, ऐसी सम्भावना है। उस वक्त भी हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो बैठक निर्धारित हुई थी लेकिन किसी कारण से लम्बित हो गई, उस बैठक को फिर से निर्धारित करने की गुंजाइश बनें और अगर हमारा दिल्ली जाना न हुआ तो हम वर्चुअली उस सारी बात को दोबारा से टेक-अप करेंगे। यह सचमुच ही उस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए।

14.09.2020/1445/JK/YK/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, काफी विस्तार से उत्तर आ गया है। माननीय सदस्य, श्री विशाल नैहरिया जी।

श्री विशाल नैहरियाः माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि वहां के स्थानीय लोगों ने लम्बे समय से मांग उठाई थी कि हम लोगों को छावनी बोर्ड से हटा करके हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्तर्गत जो पंचायती विभाग है, उसमें ले लिया जाए यानि पंचायतों में हम लोगों को सम्मिलित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा योल छावनी बोर्ड हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बोर्ड है। वहां पर लगभग 20 से 25 हजार तक जनसंख्या है। वहां पर किसी भी प्रकार की योजनाएं सरकार की इम्पलीमैंट नहीं होती हैं। वहां के लोग उन चीजों से लाभान्वित नहीं होते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए सरकार की तरफ से भी मुहिम चले और वहां के लोगों ने भी एक मुहिम चलाई है कि उन्हें पंचायतों में सम्मिलित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित बात कही है और जिस समस्या का ज़िक्र इन्होंने किया है, उसके समाधान की दृष्टि से जो भी सम्भव हो पाएगा, वह करने की कोशिश करेंगे। हम आपस में बैठ भी लेंगे और चर्चा भी कर

लेंगे और इसका भी कोई रास्ता निकालेंगे। असल में जो समस्या है उसको केन्द्र सरकार से उठा करके ही उसका स्थाई समाधान होना है, यही मैं इसमें कहना चाहता हूं।

प्रश्न समाप्त। श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

14.09.2020/1450/SS-AG/1

प्रश्न संख्या : 3069

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सभापटल पर रखी है, मैं इनके ध्यान में उस बात को लाना चाहूंगा जिसके बारे में मैं इनसे व्यक्तिगत तौर से इसी सैशन में मिला था। जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसमें कहा गया है कि जो क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि संगठन है इसको अगर कोई शिकायत करे तब उसके बाद सुनवाई करके फिर फैसला होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्योंकि यह मामला आपके ध्यान में है वहां पर चार-पांच ऐसी इंडस्ट्री यूनिट्स हैं मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उनमें से एक इंडस्ट्री यूनिट ऐसी है जिसने 5 करोड़ रुपया ई0पी0एफ0 का पिछले 8 सालों से जमा नहीं करवा रखा है। माननीय मंत्री जी, अभी कोरोना के टाइम पर केन्द्र सरकार की ओर से भी प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इस कोरोना पीरियड की सैलरी भी उन लोगों को मिलेगी जो वहां काम करते हैं। लेकिन उनको सैलरी नहीं दी बल्कि नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वे इस निधि के बारे में कह रहे हैं कि हमारे को इतना पैसा 8 सालों से नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में जो यूनियन के लोग हैं उसमें बी0एम0एस0, सी0पी0एम0 और कुछ इंटक के भी हैं वे लेबर ऑफिसर के पास 6-7 महीने से चक्कर मार रहे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सिर्फ प्रश्न करें। वैसे आपने प्रश्न कर भी दिया है।

श्री राम लाल ठाकुर : जब सारा रिकॉर्ड दे रखा है तो माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कि अगर हम इस बात में फंसेंगे कि क्षेत्रीय आयुक्त इसका फैसला करेगा तो मामले का निपटारा नहीं होगा। जो लेबरर हैं वे हमारे हिमाचल प्रदेश के लेबरर हैं और

लेबर लॉ के अधीन काम कर रहे हैं। लेबर लॉ को लागू नहीं किया जा रहा है तो उसके बारे में आप क्या कदम उठायेंगे?

उद्योग मंत्री : श्री राम लाल जी ने ई0पी0एफ0 के बारे में जो प्रश्न किया है इसमें यह बात बिल्कुल सही है कि जो विभाग इस विषय को देखता है वह सीधा भारत सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो हमारे यहां मजदूर काम कर रहे हैं अगर उनके साथ कोई इस प्रकार से व्यवस्था में खिलवाड़ करता है तो उनकी सुनवाई नहीं हो सकती।

14.09.2020/1450/SS-AG/2

मेरा केवल आपसे इतना निवेदन रहेगा कि जिस भी इंडस्ट्री का यह विषय आपके ध्यान में आया है कि इतने साल से वहां पर ई0पी0एफ0 का पैसा जमा नहीं हो रहा और पैसा मिल नहीं रहा है तो उन इंडस्ट्री और इम्प्लॉईज़ के नाम मुझे देंगे तो मैं निश्चित तौर से इसकी इंक्वायरी करूंगा तथा इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा।

श्री राम लाल ठाकुर : मैं आपको लिखित तौर पर पूरी जानकारी दूंगा और जिनको निकाला गया उनके बारे में भी बताऊंगा। जितना पैसा आउटस्टैंडिंग है वह भी मैं आपको लिखकर दूंगा।

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो लिखकर लायेंगे मैं इसमें पर्सनली इंट्रस्ट लेकर जो भी हो सकता है वह करूंगा।

श्री राकेश सिंघा(ठियोग) : अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे प्रश्न पर आ रहा हूं और आगे पीछे का ज़िक्र नहीं कर रहा। यह जटिल मसला नहीं है बल्कि बहुत सीधा है। अगर ई0पी0एफ0 कानून की उल्लंघना कोई भी करता है तो उसका समरी ट्रायल है और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वह पैसा जो मजदूर ने खास तौर से कोविड-19 के चलते हुए जमा किया है तो उसमें हमारी अतिरिक्त जिम्मेवारी बन जाती है। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपके पास तथ्य लाये जाते हैं तो आप इसको एक हफ्ते के अंदर डिस्पोज ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे? कानून तो कहता है कि इसको तुरन्त डिस्पोज ऑफ करें और इस प्रश्न को लेकर आप जानते हैं कि बड़े-बड़े विवाद हुए हैं। जो आई0टी0आई0 कमांद का मसला था जहां पर बाहर से लोग आ गए, मजदूरों की हत्या कर दी तो वह

बहुत सीरियस मसला बन गया। इसलिए मेहरबानी करके जो कानून कहता है अगर आपके पास तथ्य आते हैं तो आप उसको एक हफ्ते के अंदर लागू करेंगे या नहीं?

उद्योग मंत्री : माननीय सिंघा जी, जो भी आप केस लायेंगे और आपको लगता है कि किसी प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं तो आप इंडस्ट्री बतायेंगे, इम्प्लॉईज के नाम बतायेंगे तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई करवायेंगे।

प्रश्न समाप्त

जारी श्रीमती के0एस0

14.09.2020/1455/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3070

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का नाचन विधान सभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि नाचन विधान सभा क्षेत्र में हमारा पहला अटल आदर्श विद्यालय बनने जा रहा है और इसकी 43,57,72,973 रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमें प्राप्त हुई है जिसका शिलान्यास भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दिया है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसका एस्टिमेट भी बन कर तैयार हो गया है और इसका टैंडर प्रोसैस भी शुरू होने वाला है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि यह जो 15 करोड़ रुपये की राशि, जो टैंडर प्रोसैस को पूरा करने के लिए हमें चाहिए, इसको जल्द से जल्द देने की कृपा करें ताकि हमारा काम शुरू हो सके।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में जो नीतिगत निर्णय लिया और एक महत्वकांक्षी योजना तैयार की कि हर विधान सभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय बनाएंगे, नाचन में भी माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया है। **उसके लिए अतिरिक्त 15 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था होनी है, वित्त मंत्रालय से मामला उठाया गया है, यह उपलब्ध करवा दिया जाएगा।**

14.09.2020/1455/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्या 3071

श्री पवन कुमार काजलः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो ये सूचना दी है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि एक तो जो मैंने पठानकोट-मण्डी फोरलेन और धर्मशाला से शिमला फोरलेन के बारे में प्रश्न पूछे थे, इनका एक ही उत्तर आया है और वैसे भी दूसरा प्रश्न कैंसिल हो गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसका वर्ष 2014 में शिलान्यास हुआ था और 6 सालों से जब भी इलैक्शन आते हैं, फोरलेन की ही बात होती है। लेकिन ग्राउंड लैवल पर इसकी स्थिति क्या है? मैं दस बार इस प्रश्न को इस माननीय सदन में ला चुका हूं और हर बार यही जबाव आता है कि फोरलेन बन रहा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बनेगा भी या कहीं ऐसा तो नहीं है, जो लोग इन्तज़ार कर रहे थे जैसे धर्मशाला और शिमला फोरलेन रिजैक्ट हो गया, कहीं इसका भी तो यही हाल नहीं है? क्या यह बनेगा, मैं यह पूछना चाहता हूं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह ज़रूर कहना चाहूंगा, वैसे तो मूल प्रश्न के "क" व "ख" भाग का उत्तर विस्तार से दे दिया गया है लेकिन इनको कुछ आशंका लग रही है, उस दृष्टि से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से फोरलेन बनेगा और इसकी प्रक्रिया चली हुई है। ये थोड़ा इन्तज़ार करें। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन सारी चाज़ों को ले कर, जब प्रोसैस की औपचारिकताएं आगे बढ़ कर एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी, तो काम भी शुरू होगा।

अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के "क" और "ख" भाग का जो उत्तर दिया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन माननीय सदस्य का कहना कुल मिलाकर यह है कि यह बनना चाहिए। हम केन्द्र सरकार के साथ इन सारे विषयों को ले कर लगातार सम्पर्क में हैं

और पर्टिकुलर जो हमारे नेशनल हाईवेज़ और फोरलेन्ज़ हैं। उस दृष्टि से पठानकोट-मण्डी का जो हमारा नेशनल हाईवे है, उसकी प्रक्रिया काफी आगे बढ़ी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.9.2020/1500/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3071 क्रमागत--------

मुख्य मंत्री : जारी---------

उसकी प्रक्रिया अब काफी आगे बढ़ चुकी है। मैं उसमें यही कहना चाहता हूं कि उसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहां पर लैंड अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद लोगों को मुआवज़ा देने का कार्य भी जल्दी ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ताकि ज़मीन उपलब्ध हो जाए। नैशनल हाईवे या फोर लेन के कार्य में सबसे बड़ा व जटिल मुद्दा ज़मीन क्लीयरैंसिज का होता है। हम उसमें आगे बढ़े हैं और हम इस कोशिश में है कि यह कार्य जल्दी-से-जल्दी शुरू हो जाए।

अध्यक्ष : इस प्रश्न में माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार जी का नाम भी है। लेकिन अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(प्रश्नकाल समाप्त)

14.9.2020/1500/av/as/2

सदन के नेता द्वारा वक्तव्य

अब माननीय मुख्य मंत्री माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवायेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं, जो कि इस प्रकार है :-

सोमवार	14 सितम्बर, 2020	शासकीय/विधायी कार्य
मंगलवार	15 सितम्बर, 2020	शासकीय/विधायी कार्य
बुधवार	16 सितम्बर, 2020	शासकीय/विधायी कार्य
वीरवार	17 सितम्बर, 2020	शासकीय/विधायी कार्य
शुक्रवार	18 सितम्बर, 2020	शासकीय/विधायी कार्य

14.9.2020/1500/av/as/3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री कुछ दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

ii. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;

iii. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

iv. हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी(वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 की धारा-4 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 18(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित)(नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आचरण और अपील) नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह-बी(ए)3-6/2015 दिनांक 26.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशित;

14.9.2020/1500/av/as/4

v. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19; और

(vi) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-2020 ।

अध्यक्ष : अब माननीय जल शक्ति मन्त्री प्राधिकृत माननीय शिक्षा मंत्री कुछ दस्तावेज़ों की एक- एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित); और

ii. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

14.9.2020/1500/av/as/5

अध्यक्ष : अब माननीय तकनीकी शिक्षा मन्त्री कुछ दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2018-19; और

ii. बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा Balance Sheet, वर्ष 2018-19 ।

14.9.2020/1500/av/as/6

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा-45(4) के अन्तर्गत चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वार्षिक

लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 व 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

14.9.2020/1500/av/as/7

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे ।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(1)(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, वर्ष 2018-19(01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

14.9.2020/1500/av/as/8

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2020-21), समिति के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं :-

i. समिति का 150वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 74वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति का 151वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 76वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

iii. समिति का 152वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 77वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

iv. समिति का 153वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 78वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

14.9.2020/1500/av/as/9

v. समिति का 154वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 79वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

vi. समिति का 155वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 58वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

vii. समिति का 156वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 101वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट

सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है; और

viii. समिति का 157वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 99वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है ।

14.9.2020/1500/av/as/10

अध्यक्ष : अब श्री विनय कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति (वर्ष 2020-21), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति (वर्ष 2020-21) के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि योजना विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव टी सी द्वारा जारी

14.09.2020/1505/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने सुबह बड़े विस्तार से विषय रख दिया है। आप थोड़ी देर बैठ जाइये। आप और क्या कहना चाहते हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी विधायक श्री पवन काजल जी ने फोरलेन नेशनल हाईवे का प्रश्न लगाया था और मुख्य मंत्री जी बहुत बुझे-बुझे से बोल रहे थे इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। क्या मुख्य मंत्री जी यह सच्चाई है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का पत्र आया है? वैसे तो आपको इसके बारे इस हाउस में स्टेटमैंट देनी चाहिए थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट बैठिए। आप बैठिए तो सही।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः शिमला से मटौर 223 किलोमीटर फोरलेन प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार ने रद्द कर दिया है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी से एक छोटी-सी बात पूछनी है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः आप मेरी बात सुनिए। मैं नियमों के तहत बात करूंगा। आप बैठ जाइये। जिस विषय को आप यहां पर रख रहे हैं। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको कहा कि आप मेरी बात तो सुनिए। इस सदन को चलाने के कोई-न-कोई नियम हैं। आपने सुबह माननीय विधायक श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी के बारे में विषय रखा। अभी आप फिर खड़े हो गए तो मैंने सोचा कि उसी प्रकार का कोई प्रासंगिक विषय होगा। आपने आज नोटिस दिया है, आप उस पर बोलें। वरना इस तरह से इस सदन की

14.09.2020/1505/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

कार्यवाही पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। सदन 18 तारीख तक चलेगा और आपने जो नोटिस दिया है उस पर बोलने के लिए जब आपको अलाउ करेंगे तो उस समय आप अपना विषय रख सकते हैं। ...(व्यवधान) ये परम्परा अच्छी नहीं है। हम सभी माननीय सदस्यों को समय

देते हैं। आपने सुबह हाथ खड़ा किया और हमने आपको बोलने के लिए समय दिया। परंतु ये अच्छी परम्पराएं नहीं हैं। आप बैठिए। आपने नियम-62 के तहत नोटिस दिया है, जब उस पर चर्चा होगी तब आपको अलाउ किया जाएगा। अभी आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) जो ये चेयर कह रही है, आप उसको स्वीकार करें। यह कोई राजनैतिक स्कोर खड़ा करने का मंच नहीं है। जब मैं करूंगा तभी माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे। आप नियमों के तहत चर्चा कीजिए। ...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सदन इस तरह से नहीं चलेगा। जब मर्जी शुरू हो जाते हैं। आप नियम के तहत बोलें। आपने नोटिस दिया है ...(व्यवधान) यहां पर नियम के अनुसार बात रखी जाएगी। सदन आपके कहने से नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी ।

14.09.2020/1510/RKS/DC-1

(...व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, इस सदन की अपनी परंपराएं एवं नियम हैं। आपने जो नोटिस दिया है। (...व्यवधान) आप कृपया बैठिए। यह सदन नियमों के तहत चलता है लेकिन हम कभी भी उठकर किसी विषय को यहां पर रख दें और सनसनी पैदा करने की कोशिश करें तो यह बात ठीक नहीं है। (...व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। (...व्यवधान) आपने जो नियम-62 के अंतर्गत नोटिस दिया है, उसको हम स्वीकार करेंगे और सरकार इस पर उत्तर देगी। (...व्यवधान) मैंने इसलिए कहा है। (...व्यवधान) दूसरा, जो यहां पर कहा गया है वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। (...व्यवधान) आपको इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। (...व्यवधान) वह रिकॉर्ड नहीं होगा और इस बात को

मैं पुनः कहता हूं। यह रिकॉर्ड नहीं होगा। (...व्यवधान) आप बैठिए (...व्यवधान) आप नियमों के तहत कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(कांग्रेस विधायक दल और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य खड़े होकर आपस में नोकझोंक करने लगे।)

अध्यक्षः माननीय सदस्य महोदय, कृपया बैठ जाइए। मैंने जो कुछ कहा है वह इस सदन की मर्यादा और नियमों के तहत कहा है। (...व्यवधान) जो आपने कहा है वह रिकॉर्ड नहीं होगा। (...व्यवधान) आप बैठिए। आपने जो नोटिस दिया है, जब उस नोटिस को हम स्वीकार करेंगे तभी उसका उत्तर सरकार की तरफ से आएगा। (...व्यवधान) इसके लिए नियम बने हैं। (...व्यवधान) आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और उसके बावजूद भी आप यह सब कुछ कर रहे हैं। (...व्यवधान) आप बैठिए। (...व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और हम विपक्ष को भी बोलने का पूरा मौका देते हैं। लेकिन अध्यक्ष अपने आसन से खड़े होकर कोई बात कह रहा हो और उसके बाद भी आप वाद-विवाद या चर्चा करते रहें तो यह सदन की परंपराएं नहीं हैं। (...व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। (...व्यवधान) यहां पर माननीय सदस्य, श्री पवन

14.09.2020/1510/RKS/DC-2

कुमार काजल जी ने अपना विषय उठाया। उसके बाद श्री अरुण कुमार जी ने भी इस मुद्दे को उठाया। बहुत से विषय पर यहां उत्तर आया है। माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी ने भी इस विषय को उठाने के लिए हाथ खड़ा किया था परंतु समय समाप्त होने की वजह से माननीय सदस्या अपना विषय नहीं रख पाई। (...व्यवधान) आपने नियम-62 के तहत नोटिस दिया है। (...व्यवधान) वह मैं देखूंगा। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। (...व्यवधान) आप बैठिए। (...व्यवधान)

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

14.09.2020/1515/बी0एस0/डी0सी0/-1

अध्यक्ष जारी...

आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) आपकी तरफ से जो नियम-62 का नोटिस दिया है उसे हम स्वीकार करेंगे उसके बाद ही उसमें चर्चा हो पाएगी और उस पर अलग से चर्चा लाएंगे। आप इतनी जल्दबाली में क्यों हैं? आपने नियम -67 के ऊपर चर्चा मांगी उसमें 06:25 घंटे की माननीय सदन में र्चा होती रही। उसमें कहा गया कि कोरोना के बाद हिमचल प्रदेश में अव्यवस्था फैली है, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। उसमें हमने 06:25 घंटे तक उसमें चर्चा करवाई है। आपने उसकी शुरूआत की थी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यध्य महोदय, यह हमारा अधिकारी है।

अध्यक्ष : अन्य माननीय सदस्यों का भी अधिकार है, इसलिए यह सत्र अभी 18 तारीख तक चलेगा और सभी माननीय सदस्यों को बोलने दें।

14.09.2020/1515/बी0एस0/डी0सी0/-2

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा शहरी विकास मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री आशीष बुटेल (पालमपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पामपुर नगर निगम के गठन पर पंचायत प्रतिनिधियों की जताई आपत्ति से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय शहरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य आरंभ करूं मैं अपना स्टैंड भी कलियर करना चाहूंगा क्योंकि किसी के मन में यह गलतफहमी न रहे कि मैं नगर निगम को अपोज़ कर रहा हूं। नगर निगम को हम किसी भी सूरत में अपोज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारा सिर्फ इतना मानना है कि जिसके लिए नगर निगम बन रहा है। इसमें जो अर्बन एरियाज आने हैं या इसके अंदर जो अर्बन होने लायक एरियाज हैं उन्हे ही इसमें लिया जाए। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें इससे बाहर रखा जाए ऐसी मेरी सोच है। कृपया मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले महोदय ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले माननीय शांता कुमार जी, जो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं और हमारे

मार्ग दर्शक भी हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने यह बात रखी कि नगर निगम पालमपुर में होना चाहिए। मैंने उन्हें भी कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। आज की डेट में पालमपुर डवल्प हो रहा है। उसके लिए नगर निगम का होना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में यह भी होना चाहिए कि जो ग्रामीण इलाके हैं जिनकी आय सिर्फ कृषि और पशुपालन से है उन लोगों को इस नगर निगम से बाहर रखा जाए। महोदय, फिर यह आज की ही बात नहीं है जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तो यह पहले भी आवाज उठी थी। उस समय भी ग्रामीण और शहरी लोगों का आपस में किसी तरह का कॉआर्डिनेशन नहीं हो पाया था और नगर निगम नहीं बन पाया था वहां नगर निगम जरूरी है। इसलिए हम सब को उचित पग उठाने चाहिए और किस तरह से उठाने चाहिए उसकी भी मैं थोड़ी सी चर्चा यहां पर करना चाहता हूं। उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि दो वर्ष पहले इसी सरकार में एक नगर निगम का ड्राफ्ट नगर निगम का प्रोपोजल पालमपुर के लिए आपके पास आया था। वह कहां गया वह क्यों रिजेक्ट हुआ, वह कहां पर अभी पड़ा है? उसके बारे में भी बताएं। मुझे अच्छे से याद है उसमें आपने 50 हजार की पॉपुलेशन ली थी और बहुत से ग्रामीण इलाके उसमें लिए थे। उसमें दो करोड़ की इंकम भी शो कर दी थी।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-09-2020/1520/एच.के.-एन.जी./1

श्री आशीष बुटेल जारी.....

आज क्या स्थिति है कि जब आप संशोधन लेकर आए हैं तो 50 हज़ार के स्थान पर 40 हज़ार जनसंख्या कर दी गई है जिससे एक नया ड्राफ्ट बन गया है। उससे पहले 26-27 अगस्त को पालमपुर के प्रशासनिक अधिकारियों को एक टैलिफोन आता है कि रातों-रात और कल सुबह तक आप एक ड्राफ्ट भेजिए कि म्यूनिसिपल काउंसिल की हदें इंक्रीज़ या एक्सपैंड करनी हैं। उसके बाद रातों-रात अधिकारी, पटवारी और सभी कर्मचारी बुलाए जाते हैं और वहीं दफ्तर के अंदर बैठ कर सब तय किया जाता है कि म्यूनिसिपल काउंसिल की क्या हदें होंगी। वहां पर किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि जो क्षेत्र इसमें लिए जा रहे हैं या जिन क्षेत्रों को शामिल करने जा रहे हैं, वहां पर लोग किस तरह से रहते हैं, उनका खान-पान क्या है, रहन-सहन कैसा है, ये सब किसी ने नहीं सोचा। It was literally 'burning the midnight oil', प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर वही किया। अध्यक्ष

महोदय, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि उसके बाद जब यह चर्चा आगे बढ़ी तो वहां की हरेक पंचायत के एक-एक प्रधान को बुला लिया गया। पालमपुर की 9 पंचायतें जो एक्सपैंशन में आ रही थी उन पंचायतों के प्रधानों को बुलाया गया। उस दौरान ज्यादातर प्रधानों ने कहा कि हमारे शहरी क्षेत्रों को आप शामिल कीजिए और ग्रामीण क्षेत्रों को इससे बाहर रखिए । लेकिन एक पत्र जिला मुख्यालय से शहरी विकास विभाग को आता है जिसमें लिखा जाता है कि keeping in view the sentiments of the people of these nine Gram Panchayats and local representatives. किस आदमी से पूछा गया? प्रधानों के अलावा एक भी आदमी को पूछा होगा तो मैं मान जाउंगा।स्थानीय जन प्रतिनिधियों की बात भी उस पत्र में लिखी गई है और I stated on record, I was the local representative of Palampur, nobody asked me even once कि मेरी जो पंचायतें जाएंगी उनका क्या करना है? आपने प्रधानों को बुलाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या आपने प्रधानों के सेंटिमेंट्स शहरी विकास विभाग तक पहूंचाए? उनके पास जो बात आई कि ग्रामीण क्षेत्र या अविकसित क्षेत्र हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं करना है क्या यह बात विभाग या सरकार तक पहूंची? उसके बाद शिमला से प्रशासनिक अधिकारियों को एक फोन और आता है कि आज रात फिर बैठो तथा रातों-रात एक ड्राफ्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बनाकर भेजो। उस ड्राफ्ट में क्या होता है कि पांच पंचायतें और ले ली जाती हैं।

14-09-2020/1520/एच.के.-एन.जी./2

फिर से उन पंचायतों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और वे सभी यही कहते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। उसके बाद आप एक ड्राफ्ट बनाकर शहरी विकास विभाग शिमला को भेज देते हैं। मेरी समझ से तो यह बाहर है कि आप क्या set of rules फोलो कर रहे हैं? हम लोग किस तरह से यह कोर्पोरेशन बनाना चाह रहे हैं? किस प्रकार म्यूनिसिपल की हदें बढ़ाना चाह रहे हैं? हमने इस सब के लिए क्या सोचा है? क्या हम रात को अधिकारी बुला कर सुबह उनके साइन लेकर फटाफट कोर्पोरेशन बना देना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक समन्वय नहीं बनेगा तो how will it be possible कि काउंसिल या कोर्पोरेशन की हद को बढ़ाएं? यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि शहरी क्षेत्र की एक परिभाषा है, census 2011 के हिसाब से जो इसकी परिभाषा हैः

1. All places with municipality, corporation, cantonment boards or notified town

area committee etc. 2. All are the places which satisfy the following conditions: (a) a minimum population of 5000, (b) at least 75% of male working population is engaged in non-agricultural pursuits;

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

14/09/2020/1525/MS/HK/1

श्री आशीष बुटेल जारी--------

and (c) a density of population of at least 400 persons per square kilometre. This is the definition of urban areas according to the census of India 2011. इसको भी आप दरकिनार करते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र; जहां पर आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने यह तक नहीं सोचा। मेरी एक बंदला पंचायत है। उस पंचायत में, मैं सड़क की बात कर रहा हूं, वहां 20 किलोमीटर जंगल का क्षेत्र है और वहां एक हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजैक्ट है जिसको आपने कारपोरेशन के अंदर लिया। बिना सोचे-समझे रेवेन्यु विलेजिज मोहाल्ज को उठाकर आपने रख दिया। एक पटवार खाने, पूरी-की-पूरी पंचायत को बिना सोचे-समझे आपने उठाकर वहां रख दिया। ऐसे-ऐसे दुर्गम इलाके, मैं तो कहता हूं कि पीछे चम्बा भी लग जाता है तो उसका भी इलाका इसी में ले लेना था। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मानेंगे। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इसमें आप नॉन-प्लानिंग जो एरिया ले रहे हैं और ऐसे इलाके ले रहे हैं, जहां पर लोगों का रोज़गार पशु-पालन और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों को इससे बाहर रखें। अर्बन एरियाज को इसके अंदर लें, इसके अलावा इसमें कोई भी और एरियाज न जोड़ें। ऐसी मेरी आपसे विनती है। साथ ही, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि नोटिफिकेशन से पहले; अभी लोग आब्जैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह मालूम भी नहीं है कि हमें कारपोरेशन में जाकर क्या नफा और नुकसान होगा। लोग डरते हैं और यू0डी0 डिपार्टमैंट का यह हाल है; मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पालमपुर की जो म्युनिसिपल काउंसिल आज की तारीख में है, उसमें पिछले एक साल में केवल दो नक्शे वहां पर मकानों के पास हुए। दो सब-डिवीजन्ज पास हुए और आपके स्टाफ का बहुत बुरा हाल है। मैंने पिछले साल अगस्त में मॉनसून सत्र में एक प्रश्न भी किया था जिसके तहत मैंने स्टाफ की पोजिशन ऑलओवर यू0डी0, नगर पंचायत हो, काउंसिल हो या कारपोरेशन हो, पूछी थी। इनमें 50 परसेंट से ज्यादा ऐसी पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं।

आप उसके बावजूद वहां ऐसा करना चाह रहे हैं। आप लोगों को कमिट करें कि पदों को भरा जाएगा और कारपोरेशन या काउंसिल को जो पैसा मिलना है वह आप वहां पहुंचाएंगे। वह पैसा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, उस बारे में आप लोग उनको कमिट करें। उनको ये बताएं ये कि कितनी देर की आप टैक्स होलीडे देंगे, आप ये भी बतायें कि उनके घरों तथा उनकी जमीनों पर क्या कर लगेगा? अगर नहीं

14/09/2020/1525/MS/HK/2

लगेगा या लगेगा तो एग्रीकल्चर का काम कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे? ये चीजें तो आपके करने की हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन को अभी भी यह चाहिए कि एक आम राय बनायें और लोगों से पूछें। हां, यह मैं मानता हूं कि ग्राम सभा में जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप एक ओवरव्यु तो लीजिए। घर या दफ्तर में बैठकर अगर आप म्युनिसिपल कारपोरेशन को बनायेंगे तो यह विरोध होता ही रहेगा। यह एक डेमोक्रेटिक प्रोसैस होना चाहिए। जिसने भी इसके अंदर जाना है, जितने भी स्टेक होल्डर्ज हैं वे लोग इसके अंदर आयें। आप उनसे पूछिए। जैसे हमारा युनिवर्सिटी का एरिया है, सी.एस.आई.आर. का एरिया, हाउसिंग बोड्र्ज की हमारी तीन कालोनिज, लोना, होल्टा और बिन्द्रावन, शास्त्री नगर, केसरबाग कालोनी, सांई गार्डन कालोनी, ग्रीन व्यु कालोनी तथा बंदला के पास में कॉलोनी है, they are actually organised places and they should come in the corporation or the council but I would also like to say कि जो रूरल एरियाज हैं, उनको बाहर रखना ही है। मैं ज्यादा न कहता हुआ इतना ही कहूंगा। मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसके बारे में मुझे आज ही जानकारी मिली है। एक पंचायत हमने खलेट की ली। उस पंचायत की टोटल जो लैण्ड है, वह तकरीबन 300 हैक्टेयर है जिसमें से 282 हैक्टेयर कल्टीवेटिड एण्ड अन-कल्टीवेटिड लैण्ड है। आप उसको लेने जा रहे हैं। जहां डैन्सिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके जंगल में एक भी मकान नहीं है, आप उस जंगल को लेने जा रहे हैं। जहां पर चाय के बगीचे हैं यानी सारे बगीचे-ही-बगीचे हैं यानी एकड़ और हैक्टेयर के हिसाब से चाय के बगीचे हैं, आप उनको कारपोरेशन में लेने जा रहे हें। आप ऐसी-ऐसी जगहों को कारपोरेशन में लेने जा रहे हैं, जिसमें लोग डरते हैं।

जारी जे0के0 द्वारा-----

14.09.2020/1530/JK/YK/1

श्री आशीष बुटेलः-------जारी-------

जिसमें लोगों के अपने-अपने रोज़गार के साधन नहीं है। अच्छी बात है आप शहरी एरियाज़ को लो। मुख्य मंत्री जी भी यहां पर हैं, मैं एक विनती आपसे भी करूंगा कि मैं कल इंटरनैट में देख रहा था कि जितनी कॉर्पोरेशन्ज़ हैं, वे सिर्फ ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्ज़ की हैं तो क्यों न पालमपुर को भी जिला बना दिया जाए और फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन भी बना दी जाए। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा समय न लेता हुआ और आपका भी एक बंजार का इलाका पालमपुर की कॉर्पोरेशन में प्रपोज्ड है। लेकिन यह जो विरोध है, इसको कम करने के लिए, इस गतिरोध को खत्म करने के लिए हम लोगों को आप लोगों की सहायता चाहिए, आपके ऑफिसर्ज़ की सहायता चाहिए ताकि वे लोगों को अवेयर करें कि क्या चीज़ हमें मिलेगी, किस चीज़ से हमारा नुकसान होगा? वहां लोग विरोध करते रहेंगे यदि आप लोग उन्हें अवेयर नहीं करेंगे। एक बार हाथ जोड़ कर आपसे यही प्रार्थना है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, वे इस एम्बिट में न आए, कौंसिल या कॉर्पोरेशन के एम्बिट में और मेरी आपसे पर्सनली भी रिक्वैस्ट रहेगी। कॉर्पोरेशन करना अच्छी बात है, so far as urban areas is come. लेकिन किसी भी कीमत पर extension of municipal committee मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि यहां पर न आपके पास पोस्ट सैंक्शंड है, न यहां पर पैसा है, न इन्फ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप पालमपुर को बढ़ा भी देंगे, जितनी आपकी grant-in-aid है, उससे ज्यादा हमारी पंचायतों की आज की तरीख़ में grant-in-aid है। मनरेगा के अन्दर 14वें वित्तायोग में पंचायतों ने ज्यादा काम किया है as compare to Council जिस तरह से मैंने कहा कि नक्शे और कई ऐसी चीजें हैं। दो नक्शे अगर एक साल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पास करती हो, वहां पर अभी यू.डी. डिपार्टमैंट ने कई आग्रह करने के बाद, दो साल के बाद वहां पर परमानेंट जे.ई. डिप्यूट हुआ है। उस म्युनिसिपल कौंसिल का हमें

करना भी क्या है? यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया।

14.09.2020/1530/JK/YK/2

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत माननीय सदस्य को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का, जो कि इस सदन के काफी कम आयु के सदस्य भी हैं, उन्हें यह मौका दिया गया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत ही सामायिक विषय पर relevant talk to the point बात की है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। इस पूरे प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल 55,372 वर्ग किलो- मीटर है और शहरी क्षेत्रफल केवल 301 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे क्षेत्रफल का 0.54 परसेंट है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 68.64 लाख है। हम दो, हमारे दो का जो फॉमूर्ला है, वह हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छी तरह से लागू हुआ है। जिसमें से 7.18 लाख लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि कुल जनसंख्या 10.45 प्रतिशत है। यदि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से देखें। जो ग्रामीण क्षेत्रों की 10 वर्षों की वृद्धि व शहरों की जो 10 वर्षों की वृद्धि हुई है, वह 15.95 प्रतिशत है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

14.09.2020/1535/SS-YK/1

शहरी विकास मंत्री क्रमागत :

और जो गांव की प्रतिशतता है उससे शहरी आबादी ज्यादा बढ़ी है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

हालांकि शहरी क्षेत्रफल बहुत कम है जोकि 0.54 परसैंट है। इस हिसाब से अगर हम दखेंगे तो पिछले दशक में जब से यह जनगणना 2011 में हुई थी उसमें शहरों की आबादी क्षेत्रफल के मुकाबले पर बहुत ज्यादा बढ़ी है। अभी भी गांव के मुकाबले में शहरों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और जो शहरों के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं वहां बड़ी तेजी से शहर पनप रहे हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश का एक नगर-निगम है और जो इसका पुराना नगर निगम क्षेत्र था वह एक बहुत छोटा-सा विधान सभा क्षेत्र मात्र रह गया है। उसके चारों ओर अलग-अलग 16 वार्ड ऐसे हैं जो पूरे शहरी होकर नगर निगम में मिल गए हैं। अभी भी उसके अलावा बाहर बहुत-सा एरिया है जो पूरी तरह से शहर बन गया है लेकिन वह शहर न होने के कारण गांव था। शहर के साथ लगते हुए गांव थे उनमें जो विकास हुआ, जो वहां पर मकान बने वे सारे बेतरतीब ढंग से बने। उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं, एम्बुलैंस रोड नहीं थे, वहां पर स्ट्रीटलाइट का प्रबंध नहीं था और वहां पर सीवरेज की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। वास्तव में अगर देखा जाए तो शिमला में जो पीलिया हुआ था, जिस समय आप (उपाध्यक्ष महोदय से) भी इस सदन के सदस्य थे और यहां पर मामला उठाया करते थे तो वास्तव में जो बाहर का एरिया है वहां पर सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने कहीं ओपन में सीधी सीवरेज छोड़ रखी थी या उन्होंने अपने पिट्स बना रखे हैं जिनकी सफाई नहीं होती थी उसके कारण वह पानी नदी में चला जाता है और जब शहर में पीने के लिए पानी आता है तो वह गंदा हो जाता था, जिससे पीलिया फैल गया था। यह वास्तव में इसी कारण से हुआ कि हमने उसको शहर नहीं बनाया। शहर की कोई सुविधा नहीं मिली। सीवरेज सुविधा नहीं मिली या अन्य सुविधा नहीं मिली तो वे शहर वहां पर पनपते गए हैं। इसलिए अव्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक है कि हम इसको व्यवस्थित ढंग से बना सकें। इसीलिए नगर-निगम, नगर निकाय या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट यहां पर बना।

14.09.2020/1535/SS-YK/2

पालमपुर एक छोटी-सी नगर परिषद् है जो 1953 में पहली बार बनी। इसका क्षेत्रफल 0.67 वर्ग किलोमीटर है और इसके चारों तरफ का एरिया ग्रामीण परिवेश का था इसलिए बाकी एरिया इसमें नहीं मिलाया गया। आज भी नगर परिषद् पालमपुर की जनसंख्या 3544 है। इसमें कुल 1022 घर हैं। अब 67 साल का इतना वक्त बीत गया, इसमें पालमपुर के साथ लगता कितना क्षेत्र बढ़ गया है। देखिये, इसके साथ कृषि विश्वविद्यालय है। पालमपुर का जितना नगर परिषद् है उससे ज्यादा एरिया कृषि विश्वविद्यालय का है। इसमें टी-फैक्टरी

हो गई है। इसमें होटल, रैस्टोरेंट और होल्टा का मिलिट्री एरिया है और ऐसी अनेक आवासीय कॉलोनियां जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं भी कहा है कि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां बन गईं, दूसरी कॉलोनियां बन गई हैं और बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थान बन गए हैं, शायद आपको वे धर्मशाला में नहीं मिलेंगे लेकिन आपको पालमपुर में ज़रूर मिल जायेंगे। ऐसे बहुत बड़े-बड़े एरिया इसमें मिल गए हैं जिसके कारण यह सारा जो क्षेत्र है यह साथ की ग्राम पंचायतों में है, जो पालमपुर का छोटा-सा नगर परिषद् है उसके साथ लगता हुआ क्षेत्र है। सुविधाएं तो सब को जायेंगी। इसलिए इसका शहरीकरण हो गया है। इसका ग्रामीण परिवेश नहीं रहा है। नगर परिषद् से ज्यादा जो शहरी लोग हैं वे सारे-के-सारे आप-पास के एरियाज़ में मिल गए हैं

जारी श्रीमती के0एस0

14.09.2020/1540/केएस/एजी/1

शहरी विकास मंत्री जारी----

लेकिन इसके कारण बेतरतीब विकास हर जगह देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कोई रिटेंशन पॉलिसी के लिए कहता है और कोई वहां पर शहर ठीक प्रकार से नहीं बना है, इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। यहां शिमला में एक बहुत बड़ा प्रैशर रहता है, कभी ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाता है कि इतनी मंजिले ही बनाओ तो कभी कोई एफ.आर.ए. या एफ.सी.ए. का प्रोविज़न आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों से अगर निज़ात पानी है तो किसी भी शहर या किसी भी एरिया का अगर तरतीब से विकास होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उससे सारी सुविधाएं भी प्रॉपरली दी जा सकेंगी और शहरीकरण जो वास्तव में बढ़ रहा है, जो कि आज way of life बन गया है, जो लोग गांव में भी रहते हैं, आप शिमला में भी अगर देखेंगे तो पति अगर गांव में अपने बागीचों की देखभाल करने के लिए रहता है तो पत्नी और उसके बच्चे शिमला में रहते हैं। तो शहर बढ़ते जा रहे हैं और इसी कारण से यहां समिट्री, कच्ची घाटी और कुफ्टाधार, दूर-दूर तक एरियाज़ बन गए हैं। इसी प्रकार

की स्थिति पालमपुर की भी है और उसका भी शहरीकरण होता जा रहा है। सारे शहरीकरण हो रहे हैं और हमारा जनगणना का वर्ष, 2021 है लेकिन कोविड-19 का किसी को मालूम नहीं था। कोविड-19 के कारण लॉक डाउन हो गया। सारा काम-काज बंद है। बहुत सारी चीजें बंद हो गईं अन्यथा ये शायद नगर निकाय बनाने का काम, ग्राम पंचायतों को बनाने का काम ठंडे बस्ते में रह जाता, ये नहीं बन पाते लेकिन सैंसस ने अपनी सैंसस कार्रवाई स्थगित कर दी। इस कारण उन्होंने कहा है कि 31 दिसम्बर तक आप इस प्रकार के नए डवलपमैंटल अथवा प्रशासनिक एरियाज़ का गठन कर सकते हैं। इस दृष्टि से बहुत सारी चीजें आईं। शाहपुर की बहुत पुरानी मांग थी, शाहपुर नगर पंचायत बना दी। इसी प्रकार से नगर परिषद सरकाघाट को नगर पंचायत से नगर परिषद बना दिया। बाकी जगह से भी बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं कि कहीं नगर निगम बना दो, कहीं नगर परिषद बना दो या कहीं नगर पंचायत बना दो। तो वे नगर बन गए हैं। नेरवा जैसे स्थान पर हज़ार से ज्यादा दुकानें हो गई हैं। वहां पर बहुत बड़े-बड़े स्टेशनों से ज्यादा व्यापार हो रहा है लेकिन वहां पर ग्राम है और उस हिसाब से

14.09.2020/1540/केएस/एजी/2

वहां पर, मनरेगा तो ठीक है, मनरेगा तो चलेगा जहां पर कृषि योग्य भूमि होगी और दूसरे काम होंगे लेकिन शहरों में, जहां शहरीकरण हो गया है, दुकानें हो गई हैं, व्यापारिक संस्थान हो गए हैं, वहां पर और कोई कार्रवाई चलेगी और उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस वर्ष कोविड की स्थिति में मनरेगा के मुकाबले शहरी आजीविका गारंटी योजना मनरेगा की तरह शहरों के लिए भी शुरू कर दी है । अभी कोविड के दिनों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस नीति को बनाया है जो सारे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में भी लागू हुई है और यहां पर भी उसके मुकाबले काम-काज मिलेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सालों से, जैसा माननीय सदस्य स्वयं बता रहे हैं कि यहां पर पहले भी प्रस्ताव आया था, रिपोर्ट आई थी, वह बाद में कहीं डम्प हो गई लेकिन इनकी सरकार में कोई प्रस्ताव आया होगा, वह इन्होंने ही डम्प कर दिया होगा, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन प्रस्ताव जो

पब्लिक डोमेन में है, वह बहुत सालों से हम पालमपुर की डिमांड सुन रहे हैं और धर्मशाला की भी डिमांड नहीं थी जब पालमपुर की डिमांड चल रही थी। तब से ले कर पालमपुर की डिमांड नगर निगम बनाने के लिए चलती जा रही है। इसी दृष्टि से डी.सी. कांगड़ा ने एक रिपोर्ट पहले भेजी जिसमें ये जो मैंने एरियाज़ गिने हैं, इनको नगर परिषद पालमपुर के साथ मिलाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया जिसकी जनसंख्या 32,234 बनती थी। उसी के साथ फिर उनका एक और प्रस्ताव आया जिसमें जनसंख्या 51,639 की थी। लेकिन फिर उसके बाद वहां उन्होंने लोगों से विचार-विमर्श किया, जो जन-प्रतिनिधि हैं, दूसरे लोग हैं, उन सबसे बातचीत की, बहुत सारी संस्थाएं उनको मिलीं। उन लोगों ने चर्चा इत्यादि करके, वहां क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉंग सैंटीमैंट है नगर निगम बनाने के लिए, तो उन लोगों ने भी अपनी डिमांड रखी और उसके हिसाब से तीसरी प्रपोज़ल दी। जो पहली आई और दूसरी प्रपोज़ल आई थी, जिसमें जनसंख्या 51,639 की थी, वह केबिनैट के पास दोनों प्रपोज़ल ले गए थे । केबिनेट ने उस प्रपोज़ल को उस वक्त अप्रूव किया था लेकिन अभी तक नगर निगम नहीं किया है । अभी तक तो प्रपोज़ल है कि इस नगर परिषद का एरिया बढ़ाया जाए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.9.2020/1545/av/ag/1

शहरी विकास मंत्री-------जारी

जब एरिया बढ़ेगा और जनसंख्या नगर निगम के मापदण्ड को पूरा करेगी तब जाकर नगर निगम बनेगी। इसलिए उसके लिए पहले एरिया बढ़ाने का प्रस्ताव आया। इसके अतिरिक्त एक और प्रस्ताव जैसे मैंने कहा कि डी0सी0, कांगड़ा ने सबसे बातचीत करने के बाद भेजा है जिसके मुताबिक उन एरियाज़ को मिलाने से 44,309 की जनसंख्या बनती है। वह पूरा शहरीकरण वाला एरिया है और हमने अभी तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं की है। इस बारे में इंटैशन है कि यह एरिया नगर परिषद् में मिलेगा। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन

की जायेगी उसके बाद कानून में प्रोविज़न है कि कितने दिनों के अंदर-अदर ऑब्जैक्शन्ज फाइल करने हैं। अभी भी ऑब्जैक्शन्ज आ रहे हैं और यहां पर बहुत सारे ऑब्जैक्शन्ज हैं जो एस0डी0एम0, कांगड़ा द्वारा भेजे गए हैं जो कि प्रो एण्ड अगेंस्ट दोनों हैं। कुछ लोग जो अगेंस्ट हैं उन्होंने यह नहीं कहा है कि नहीं बननी चाहिए, ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि इसके बनने से ज्यादा कर लग जायेंगे। कुछ लोगों का यह कहना है कि हम बहुत गरीब है और हम कर कैसे अदा करेंगे। लेकिन अधिकांश प्रस्ताव इसकी फेवर में आए हैं। इसके लिए जब नोटिफिकेशन जारी हो जायेगी तो इसके ऑब्जैक्शन्ज के लिए समय मिलेगा। यहां पर जैसे बताया गया कि यह जंगल का एरिया है, तो यह नोटिफिकेशन खसरावाइज है। इसमें ज़मीनों के खसरा नम्बर भी हैं, वे खसरा नम्बर जिनमें पूरे-का-पूरा ग्रामीण क्षेत्र होता है और शहरी क्षेत्र नहीं होता है; वह आप डी0सी0 के माध्यम से भेजेंगे तो उनको कंसिडर करके नगर निगम या नगर परिषद् में उसको लेना या नहीं लेना है उसके ऑब्जैक्शन्ज डिसाईड होंगे। अगर 40,000 की जनसंख्या होगी तभी नगर निगम बनाने की सोच होगी। यदि उससे कम होगी तो नगर परिषद् में जनसंख्या बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए; इसका निर्णय सरकार बाद में लेगी। यह बहुत अच्छा है कि अभी शहर के मुकाबले केवलमात्र गांव में ही ज्यादा स्कीम्ज बनती हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मेन फोकस गांव में है उसमें चाहे किसान समान निधि हो या गांव में हाउसिंग की स्कीम है जो कि गांव के लिए बहुत

14.9.2020/1545/av/ag/2

बड़ी स्कीम है। इसी के साथ प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी द्वारा शहरों के लिए भी बहुत बड़ी-बड़ी स्कीम्ज दी गई हैं। शहरी एरिया में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 और अमृत के तहत बहुत बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त पी0एम0ए0वाई0(यू), स्मार्ट सिटी, डे0-एन0यू0एल0एम0, स्वच्छ भारत मिशन हैं यानी गांवों के साथ-साथ शहरों पर भी फोकस है। शहरों में ही गंदगी की ज्यादा समस्या रहती है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत पैसा भी मिल रहा है और काम भी हो रहा है। आपने कोविड-19 की स्थिति में देखा

होगा कि जितने कोरोना वॉरियर आप डॉक्टर्ज या पैरा मैडिकल स्टाफ को कहते हैं उससे ज्यादा काम हमारे सफाई कर्मचारियों ने किया है। शिमला शहर में सैहब सोसाइटी के तहत घर-घर से कूड़ा उठाया गया। पहले अकसर शिकायतें रहती थीं मगर कोविड-19 की स्थिति में सभी सफाई कर्मचारियों ने नियमित रूप से कूड़ा उठाया भी है और वह कूड़ा जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा भी है। वहां पर गीले व सूखे कूड़े के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। शहर तो बनते जा रहे हैं और हम इसके लिए व्यवस्था करते हैं। हम शहर बनने से तो रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग ज़मीनें खरीदते हैं। हिमाचली बोनाफाइडी किसान-बागवान व सरकारी कर्मचारी शहर के आस-पास के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या किसी और काम के उद्देश्य से वे शहर के नज़दीक बसना चाहते हैं। इसलिए शहर दिन-प्रतिदिन बन रहे हैं। अगर हम शहर में नगर निगम या नगर परिषद् की व्यवस्था प्रदान कर देंगे तो इससे विकास भी ठीक होगा और हमारा इसके पीछे केवल यही उद्देश्य है।

मैं यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा 14वें वित्तायोग के मुकाबले जो 15वें वित्तायोग में आया है वह शहर के लिए आया है।

14.9.2020/1545/av/ag/3

श्री आशीष बुटेल, माननीय विधायक, पालमपुर द्वारा नियम-62 के अन्तर्गत उठाया गया ध्यानाकर्षण प्रस्तावः-

<u>व्याख्यात्मक टिप्पणीः-</u>

On opposition by various panchayats for inclusion of rural areas in the proposed extension of MC limits or upgradation of Municipal Council to Municipal Corporation, Palampur.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

हिमाचल प्रदेश मूलतः एक पहा़डी क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल **55,673** वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल **55,372** वर्ग किलोमीटर है जबकि षहरी क्षेत्रफल केवल **301** वर्ग किलोमीटर है, जोकि सारे क्षेत्रफल का केवल 0-54% है।

अगर हम जनसंख्या की दृृश्टि से देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 68.64 लाख है, जिसमें से **7.18** लाख लोग षहरी क्षेत्रों में रहते हैं जोकि कुल जनसंख्या का (10.45 प्रतिशत) हैं। जनगणना 2011 के अनुसार षहरी जनसंख्या में दषकीय वृध्दि (15.95 प्रतिशत) रही है जो ग्रामीण दषकीय वृध्दि से ज्यादा है। जबकि षहरी क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का केवल 0-54% ही है ।

इससे यह स्पश्ट होता है कि षहरों में जनसंख्या गांवों की तुलना में अधिक तेज गति से बढने के कारण षहरीकरण हो रहा है। जिसका दबाव षहरी क्षेत्रों के आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में पड रहा है। अर्थात षहरी क्षेत्रों के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र भी षहरीकरण से अछूते नहीं हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र अव्यवस्थित विकास का षिकार हो जाते है। उदाहरणतयः-षिमला नगर निगम के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र जैसे कच्ची घाटी, सिमिट्री, भराडी, कुफटाधार इसी अव्यवस्थित विकास का परिणाम है।

अगर हमें इन क्षेत्रों को अव्यवस्थित विकास से बचाना है तो हमें समय रहते इन क्षेत्रों को षहरी क्षेत्रों में षामिल करना आवष्यक है।

14.9.2020/1545/av/ag/4

अगर हम पालमपुर नगर परिशद की बात करें तो हम यह जानते हैं की इसका गठन 1953 में किया गया उस समय केवल मात्र 0.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ही इसमें षामिल किया गया क्योंकि षेश ग्रामीण परिवेष का था। वर्तमान में नगर परिशद पालमपुर की जनसंख्या 3544 है तथा इसमें 1022 घर है। लेकिन 1953 से लेकर 2020 तक लगभग 67 वर्शों के अंतराल मं अगर आज पालंमपुर को देखे तो कृशि विष्वविद्यालय टी फैक्ट्री, होटल रेस्टोरैंट होल्टा मिल्ट्री एरिया व कई नई आवासीय कालोनिया व अन्य व्यापारिक संस्थान अस्तित्व में आ गये हैं यह सारा विकास, नगर परिशद के साथ लगते ग्राम पंचायतों में हुआ है जिससे इसका स्वरूप व परिवेष ग्रामीण न रहकर षहरी हो चुका है। अगर समय रहते हमने इन क्षेत्रों को षहरी क्षेत्रों का दर्जा न दिया या सम्मिलित न किया तो

हो सकता है इन क्षेत्रों में अव्यस्थित व बेतरतीब विकास देखने को मिले जैसा की हमें षिमला नगर निगम के क्षेत्रों में दिखाई देता है। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि एेसे क्षेत्रों को समय रहते चिन्हित कर व उचित कदम उठाये।

जहां तक नगर परिशद पालमपुर में नये क्षेत्रों को षामिल करने का प्रस्ताव है, जिलाधीष कांग़डा द्वारा इस विशय में सरकार के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ विभिन्न अन्तराल में तीन तरह के प्रस्ताव भेजे गए है। इसमें पहला प्रस्ताव नगर परिशद के दायरे में आसपास के पैरी अर्बन क्षेत्रों को सम्मिलित करने का था जिससे नगर परिशद पालमपुर की जनसंख्या ब़ढकर 32234 होना प्रस्तावित थी और प्रस्ताव में निम्नलिखित पंचायतों को नगर परिशद पालमपुर में विलय प्रस्तावित थाः-

14.9.2020/1545/av/ag/5

क्रमांक संख्या	**नगर परिषद में विलय के लिए प्रस्तावित पंचायत के नाम**	**नगर परिषद में विलय के लिए प्रस्तावित जनसंख्या**
1	ग्राम पंचायत, आईमा	4789
2	ग्राम पंचायत, घुघर	4834
3	ग्राम पंचायत, बुन्दला	3505
4	ग्राम पंचायत, बिन्द्राबन	3479
5	ग्राम पंचायत, टाण्डा	1999
6	ग्राम पंचायत, मौहाल होलटा	2681
7	ग्राम पंचायत, मौहाल बनुरी	2069
8	ग्राम पंचायत, राजपुर	2204
9	ग्राम पंचायत, लौहना	3130

क	**कुल**	**28690**
ख	विद्यमान नगर परिशद पालमपुर का क्षेत्र	3544
	कुल जनसंख्या	**32234**

जिलाधीष कांग़डा से प्राप्त दूसरे प्रस्ताव में नगर परिशद पालमपुर में सम्मिलित किए जाने वाले आसपास के क्षेत्रों का दायरा ब़ढाया गया है जिससे की नगर परिशद की प्रस्तावित आबादी **51639** दर्षायी गई है। इस प्रस्ताव में नगर परिशद पालमपुर को स्तरोन्तर कर इसे नगर निगम बनाने की सिफारिष की गई है। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित पंचायतों को नगर परिशद पालमपुर में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की गई हैः-

14.9.2020/1545/av/ag/6

क्रमांक संख्या	**नगर परिषद में विलय के लिए प्रस्तावित पंचायत नाम**	**नगर परिषद में विलय के लिए प्रस्तावित जनसंख्या**
1	आईमा	4789
2	घुघर	5514
3	बन्दला	3095
4	बिन्द्राबन	3099
5	टाण्डा	3310
6	चांदपुर	6859
7	बनुरी खास	2520
8	राजपुर	2203

9	लौहना	2646
10	मैंजा	3494
11	चौकी	1266
12	खलेट	2646
13	क्लीयारकर	1313
14	मोहाल बनूरी	1138
15	भंगैर	2420
16	बडैहर	1783

14.9.2020/1545/av/ag/7

क	**कुल**	**48095**
ख	विद्यमान नगर परिशद पालमपुर का क्षेत्र	3544
	कुल जनसंख्या	**51639**

उपरोक्त दोनों प्रस्ताव को दिनांक 04.09.2020 को आयोजित मंत्री परिशद की बैठक के समक्ष भी विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था तथा मंत्रीमण्डल द्वारा जिलाधीष, कंग़डा से प्राप्त दूसरे प्रस्ताव, जिसके अनुसार नगर परिशद की आबादी **51639** होना प्रस्तावित थी, को इस आशय के साथ अनुमोदित किया गया कि नगर परिशद पालमपुर को स्तरोन्तर कर नगर निगम बनाने बारे निर्णय बाद में लिया जाएगा।

हाल ही में जिलाधीष कांग़डा ने एक अन्य प्रस्ताव सरकार को भेजा है जिसमें अवगत करवाया गया है कि स्थानीय जनता से परामर्ष के बाद उपरोक्त द्वितीय प्रस्ताव में कुछ संषोधन किए गए हैं और अब प्रस्तावित नगर निगम पालमपुर में निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई हैः-

क्रमांक संख्या	**नगर परिषद में विलय के लिए प्रस्तावित पंचायत के नाम**	**नगर परिषद में विलय के लिए प्रस्तावित जनसंख्या**
1	ग्राम पंचायत, आईमा	4789
2	ग्राम पंचायत, घुघर	4834
3	ग्राम पंचायत, बुन्दला	3505
4	ग्राम पंचायत, बिन्द्राबन	3479
5	ग्राम पंचायत, टाण्डा	1999

14.9.2020/1545/av/ag/8

6	ग्राम पंचायत, मौहाल होलटा	2681
7	ग्राम पंचायत, मौहाल बनुरी	2069
8	ग्राम पंचायत, राजपुर	2204
9	ग्राम पंचायत, लौहना	3130
10	ग्राम पंचायत, कलीयारकर	1554

11	ग्राम पंचायत, चौकी	1347
12	ग्राम पंचायत, भंगीयार	2420
13	ग्राम पंचायत, खलेट	3080
14	ग्राम पंचायत, बनुरी खास	3674
क	**कुल**	**40765**
ख	विद्यमान नगर परिशद पालमपुर का क्षेत्र	3544
	कुल जनसंख्या	**44309**

14.9.2020/1545/av/ag/9

इन पंचायतों में कई आवास कोलोनी, होटल व अन्य व्यापारिक संस्थान खुल चुके हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र बचते हैं, उनमें भी इस तरह का विकास हो रहा है। आज यह पंचायतें Transition phase में पहुंच चुकी है अर्थात ग्रामीण से षहरीकरण की तरफ अग्रसर है। अतः इन क्षेत्रों को नगर परिशद में षामिल करना उचित ही नहीं बल्कि आने वाली पूढी के लिए भी न्यायसंगत होगा। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी सरकार इन क्षेत्रों को षामिल करने हेतु धारा-5 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करेगी। इसके पष्चात कोई भी निवासी अपने आक्षेप या सुझाव उपायुक्त के माध्यम से सरकार को 2 सप्ताह के भीतर प्रेशित कर सकते है। सरकार इन आक्षेत्र व सुझाव पर नियमानुसार कार्रवाई करके निर्णय लेगी कि इन क्षेत्रों को सम्मिलित करे या न करे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि षहरी क्षेत्रों में केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है जैसे कि PMAY(U), AMRUT, Smart City, DAY-NULM, Swachh Bharat Mission, Parking व पार्कों का निर्माण, स्ट्रीट लाईट इत्यादि। इस वर्श प्रदेष को 207.00 करोड रूपये की 15th FC में जो Grant in

Aid प्राप्त हुई है वह 14th FC की तुलना में (61.74 करोड), तीन गुणा से अधिक है। भारत सरकार द्वारा इसका आबंटन षहरी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अतः भविश्य में षहरी क्षेत्र ब़ढने पर इस GIA में ब़ढोतरी होनी आपेक्षित है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दौरान षहरी क्षेत्रों में Swachh Bharat Mission के अर्न्तगत कूडा कचरा प्रबंधन में व्यवस्था सुचारू रूप से चली है। इसका लाभ सम्मिलित क्षेत्रों को भी तुरंत मिलेगा जहां पर कुडा कचरा बिखरा दिखाई देता है अतः मैं यही कहना चाहूंगा की एसे क्षेत्रों को सम्मिलित करने हेतु लोगों को जागरूक करें ताकि आने वाली पूढी को व्यवस्थित षहर सौंप सके ।

श्री टी सी द्वारा जारी

14.09.2020/1550/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

शहरी विकास मंत्री.... जारी

सबसे ज्यादा पैसा 14वें वित्तायोग के मुकाबले 15वें वित्तायोग में आया है, वह शहर के विकास के लिए आया है। 15वें वित्तायोग में 207 करोड़ रुपये ग्रांट-इन-एड के रूप में प्राप्त हुए हैं। जो कि 14वें वित्तायोग की तुलना में 61.74 करोड़ रुपये यानी तीन गुणा ज्यादा है। इसके तहत बड़े-बड़े संस्थान आते हैं, बड़े-बड़े व्यापारिक घराने आते हैं जिनका इसके तहत विकास किया जाएगा। मेरा माननीय सदस्य ने निवेदन है कि पालमपुर एक शहर बन गया है। अब उसको एक व्यवस्था देने की बात है। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि हम गांव खत्म करके शहर बना रहे हैं। जहां शहरीकरण हो चुका है, उसको ही हम शहर बनाएंगे। यदि कोई गांव उसमें आ रहा हो और आपको लगता हो कि वह अभी शहर की श्रेणी में नहीं आता है तो आप आब्जैक्शन्ज फाइल कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्जैक्शन्ज कंसीडर किए जाएंगे और वे जिलाधीश के माध्यम से सरकार तक आएंगे। उनको कंसीडर करने के बाद ही हम प्रोपर नोटिफिकेशन नगर निगम या नगर परिषद् की एक्सपेंशन की कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य मेरे इस जवाब के पश्चात् संतुष्ट हो जाएंगे। यदि पालमपुर नगर निगम बन जाएगा, 3544 की जनसंख्या वाली नगर परिषद् सीधी नगर

निगम में कंवर्ट हो जाएगी तो यह सबके लिए महत्वपूर्ण बात होगी। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अपने प्रस्ताव पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया , आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है। माननीय सदस्य, आशीष बुटेल जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

14.09.2020/1550/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

श्री आशीष बुटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यहां जो दो ड्राफ्ट आए है, वे ड्रॉफ्ट एक बंद कमरे में रात के अंधेरे में बने थे। क्या आप अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इनकी दोबारा से रि-ड्रॉफ्टिंग की जाए ताकि हम इस पर समन्वय बना सके। दूसरा, जब इसकी एक्सपेंशन होगी तो क्या आप आश्वासन देंगे कि वहां पर जिन-जिन पदों की आवश्यकता होगी, वे पालमपुर नगर निगम के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

शहरी विकास मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रात के अंधेरे से ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि दिन पूरा न होता अगर रात न हों। यदि 12 घंटे दिन के होते हैं तो 12 ही घंटे रात के भी होते हैं। अगर जरूरी काम करने हों तो वे दिन को भी हो सकते हैं और रात को भी हो सकते हैं। उसमें कोई काला काम नहीं किया गया है। आप और जनता की सुविधा के लिए ही अलग-अलग ड्रॉफ्ट्स मांगे गये। इसमें कौन-कौन सी पंचायतें मिल सकती है या कौन -कौन सा एरिया शहरी हो गया है और कौन-सा ग्रामीण रह गया है? उन सबको किस प्रकार से इसमें मिलाया जा सकता है? इसलिए ये अलग-अलग ड्रॉफ्ट्स मांगे गये। इसमें जो भी कोई अपने ऑब्जैक्शन्ज देना चाहता है, वह दे सकता है, उन सबको कंसीडर किया जाएगा। ये डैमोक्रेटिक पार्टी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो

आप बोलेंगे, प्रधान, एंजियोज, आम जनता या निजी तौर पर कोई अपनी बात रखना चाहता है, वे सभी अपनी बात रख सकेंगे। उनको निश्चित रूप में कंसीडर किया जाएगा। जो निर्णय आम जनता के हित में होगा, वही निर्णय श्री जय राम ठाकुर की सरकार लेगी। ये ठीक है कि कामकाज के लिए स्टॉफ की कई बार कमी रहती है। हमारे शिमला नगर निगम में भी सफाई कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं लेकिन

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी ।

14.09.2020/1555/RKS/AS-1

शहरी विकास मंत्री... जारी

मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शहरी क्षेत्र है और मैं इस शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जब शिमला नगर निगम में पोस्टें भरी जाएंगी तो पालमपुर में भी ये पोस्टें भरी जाएं। शहरी विकास विभाग ने एग्जैक्टिव ऑफिसर्ज और सैक्रेटरिज के पदों को भरने के लिए पहले ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिशन भेज दी है। लेकिन कोविड-19 के कारण यह परीक्षा नहीं हो पा रही है। हम कोशिश करेंगे की इन पदों को भरने की प्रकिया जल्द ही पूर्ण की जाए ताकि ये पोस्टें शीघ्र भर दी जाएं। सभी नगर निगगों एवं नगर निकायों में प्रोपर स्टाफिंग हो और अधिक-से अधिक पैसा मिले ताकि निगमों का व्यवस्थित विकास हो सके।

14.09.2020/1555/RKS/AS-2

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय शिक्षा मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग)ः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 06 सितम्बर, 2020 को पंजाब केसरी में प्रकाशित शीर्षक 'सेब के दाम में भारी गिरावट, बागवान मायूस' से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय जल शक्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय काफी गंभीर है लेकिन मैं संक्षेप में ही अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र बरागटा जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। माननीय बरागटा जी सेब की खेती से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें इस चीज की ज्यादा जानकारी है। वह मेरी बात से जरूर सहमत होंगे लेकिन जो माननीय सदस्य डायरैक्टली या इनडायरैक्टली इस खेती में शामिल हैं वे भी मेरी बात से सहमत होंगे। सेब हिमाचल प्रदेश की शान हैं। मैं किसी भी ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकता जहां बिना सेब के हिमाचल प्रदेश बन सके। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब का कारोबार 5 हजार करोड़ रुपये का है। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का कृषि क्षेत्र 5,47,565 हैक्टेयर है जिसमें से 1,12,000 हैक्टेयर भूमि में सेब की खेती की जाती है। यहां 9 लाख हाउसहोल्ड हैं और इन 9 लाख हाउसहोल्ड में से 2 लाख हाउसहोल्ड सेब की खेती करते हैं। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। कोविड-19 के समय में जो स्ट्रैस पैदा हुआ है उस स्ट्रैस से मार्किट गिरी है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत-सी मंडियों के उद्घाटन ऑन-लाइन किए हैं। उसके बाद जब 28 तारीख को बागवान अपना सेब मंडी में ले गया तो उसको सेब का दाम एकदम आधा मिला। बाजार इस तरीके से गिरा जैसे पत्ते का घर गिरता हो। मेरा मानना है कि यह मंडी गिरी नहीं है, यह मंडी गिराई गई है। इसलिए सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और जो किसान आज स्ट्रैस में जाएगा उसे स्ट्रैस से बाहर निकालना होगा।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

14.09.2020/1600/बी0एस0/डी0सी0/-1

श्री राकेश सिंघा जारी...

और मैं स्ट्रेस इसलिए भी कह रहा हूं कि यह आंकड़े शायद पहले भी माननीय सदन में पेश किए गए होंगे। आज कोविड के चलते आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। अभी अगस्त का आंकड़ा भी आ गया है। यदि आप इन आंकड़ो पर नजर डालें तो यह आंकड़ा डरावना है क्योंकि जो औसतन हमारे प्रदेश में वर्ष 2019 का आंकड़ा था यह फीगर दोगुना हो गई है। मैं इन्हें कोड

कर रहा हूं, अप्रैल में जो प्रति सप्ताह आत्महत्याएं हो रही थीं वह 11.75, मई में 22.25, जून में 28, माह जुलाई में यह प्रतिशत थोड़ा सा गिरा और यह 25.25, अगस्त में दोबारा यह यह आंकड़ा 28 को पार कर गया है लोक स्ट्रेस में हैं। बड़ा हिस्सा लोगों का इसमें सम्मिलित है, यदि वह स्ट्रेस में चला जाता है तो यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है। इसका भी आंकड़ा में रखना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में यह पूरे देश की तुलना में हमारा एक प्रदेश ऐसा है जहां पर छोटा और मध्यम किसान ज्यादातर है। पहले बंगाल का यह आकंड़ा हमारे से ज्यादा होता था लेकिन अब हिमाचल प्रदेश नम्बर-। है। जिसका मतलब है कि बहुत अमीर भी नहीं है और बहुत अमीर भी नहीं है परंतु जो पांच बीघा से कम वाला है। उसकी संख्या 60 प्रतिशत है। इसलिए यह और भी गंभीर मसला बन जाता है। बागवान का जो मेहनताना होता है उसका दाम मंडी में नहीं मिलता है। अब यह कारण क्या है कि जिससे एक दम धड़ाम से यह मार्केट गिरी है। वैसे तो सब इस बात को मानेंगे कि सप्लाई और डिमांड दाम को निर्धारित करते हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूं। इकॉनोमिक का यह लॉ है। लेकिन हकीकत क्या है? मैंने पिछले दिन के दाम अलग-अलग मंडियों से लिए हैं। अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि जो ग्राहक पहले किसी भी मार्केट से सेब खरीद रहा था उसमें और पहले में बहुत अंतर नहीं हैं। अगर बाय इन लार्ज सेम है। अगर मैं कोड करूं जो पिछले कल मैंने रेट्स कलेक्ट किए हैं तो करोल बाग में पिछली शाम को सेब पर के0जी0 100-150 रुपए तक उपलब्ध हो रहा था। यदि उसे कार्टन में बदलें तो लगभग 2800-4200 के बीच तक उसकी कीमत जाएगी। इसी तरीके से नेता जी नगर का दाम भी उसी तरह का था, सैन्ट्रल दिल्ली में सेब का दाम 149 पर के0जी बिक रहा था। मुश्तफा बाग में 100-120 रुपए बिक रहा था। गाज़ियाबाद में 90-100 प्रति

14.09.2020/1600/बी0एस0/डी0सी0/-2

किलो बिक रहा था। गुड़गांव में डी.एल.एफ. का 100-150 प्रति किलो बिक रहा था। ये जो ग्राहम हैं वे तो उसी दाम पर खरीद रहे हैं तो यह सप्लाई गई कहां है? असल में यह हर साल बहुत सा जो ये कंपनी वाले हैं, चाहे वह अडानी है, चाहे वह देवभूमि हैं और चाहे बिग बास्केट है या कोई अन्य कंपनी है। जैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है बागवान के बगीचे से तो

वह पूरी-की-पूरी मंडी के दाम गिरा देते हैं और वह ग्राहक नहीं सेब को नहीं पहुंचाते हैं। उसे टेंपरेरी स्टोर किया जाता है इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार का हस्तक्षेप इसमें बहुत जरूरी है। एच.पी.एम.सी. का जब निर्माण किया गया था तो माननीय परमार साहब का एक विजन था कि यदि किसान को बचाना है तो एच.पी.एम.सी. का बहुत विस्तृत नेटवर्क पूरे देश के अंदर चाहिए। जो ऐसे समय में जब मार्केट में मंदी लाई जाती है तो वह हस्तक्षेप करके किसान के पक्ष में खड़ा हो।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-09-2020/1605/डी.सी.-एन.जी./1

श्री राकेश सिंघा जारी.....

लेकिन मैं किसी भी सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस स्ट्रक्चर को जिन्दा रखने के लिए कहीं-न-कहीं कमी रह गई है। आज एच.पी.एम.सी. के पास जो जमीन दिल्ली, चेन्नई और देश के दूसरे हिस्सों में है वह कोड़ियों के भाव बेची जा रही हैं। उसका लाभ आऊटलेट्स को खड़ा करने के लिए किसान को मिलना चाहिए था लेकिन हमने वह सब नहीं किया है। मैं सरकार का ध्यान ऐसी परिस्थिति की ओर आकर्षित कर रहा हूं। आज की तारीख में मार्किट में फॉल्स ड्रोप कर दिया गया है और यह उन लोगों की तरफ से किया गया है जो कोर्पोरेट घराने, बड़े आढ़ती, बड़े खरीददार और जो आने वाले समय में बड़े-बड़े काम करना चाहते हैं। आप मुझ पर यकीन करें और मुझे जितना तजुरबा है, मैं उस प्रकार का बागवान नहीं हूं जिस प्रकार के बागवान माननीय श्री नरेन्द्र बरागटा हैं, मैं तो ऐसा बागवान हूं जैसे माननीय श्री सुरेश भारद्वाज जी हैं जोकि पार्ट-टाइम बागवानी करते हैं। फिर भी मैं अपने तजुरबे से कह रहा हूं कि किसान/बागवान को बचाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार को हस्तक्षेप कर के किसान/बागवान को बचाना चाहिए। किसान की तत्काल मदद करने के लिए या उसे बचाने के लिए हमारे या एच.पी.एम.सी. के पास जहां पर भी कोल्ड स्टोर उपलब्ध हैं, जैसे जरोल टिक्कर, औट, गुम्मा, पतली कूल, परवाणू और एक दिल्ली में भी है, जिनमें दालें और आलू रखे जाते हैं और सेब बहुत कम रखा जाता है। ये सभी कोल्ड स्टोर तुरंत किसानों को उपलब्ध करवाए

जाएं ताकि किसान मण्डी में न जाकर अस्थाई तौर पर इन कोल्ड स्टोर में अपनी फसल को स्टोर कर सकें। मुझे मालूम है कि सरकार उसके लिए तर्क देगी कि हमने उन्हें सी.एस. स्टोर में तबदील कर दिए हैं। सी.एस. स्टोर तब तबदील होता है जब आप उसकी ऑक्सीजन की मात्रा को बाहर निकाल कर उसमें नाईट्रोजन की मात्रा को डालेंगे। यह तुरंत सम्भव नहीं होता है और वह तब होगा जब आपका स्टोर भर जाएगा। मैं सरकार से यह विनती करना चाहता हूं कि आप किसानों को तत्काल राहत देने के लिए इन स्टोर्स को खोलें, चलाएं और किसानों को अलाऊ करें कि वे इनमें अपना सेब रखें।

14-09-2020/1605/डी.सी.-एन.जी./2

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हिमफैड और एच.पी.एम.सी. ने पिछले वर्षों में बागवानों से सेब लिया है जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं की गई है। बागवानों को राहत देने के लिए और उन्हें स्ट्रैस से बाहर निकलने के लिए उन्हें यह पेमेंट शीघ्र करनी चाहिए। हिमफैड द्वारा बागवानों को कहा जा रहा है कि आप शिमला में आएं। माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है तो बागवानों के खाते में बहुत आसानी से यह पैसा डाला जा सकता है। जब पैसे लेने की बात आती है तो कहा जाता है कि आधुनिक तौर तरिके अपनाए जाएं लेकिन जब किसान को देने की बारी आती है तब आप इस चीज को नहीं करते हैं। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो Market Intervention Scheme (MIS) है उसे आपको जिन्दा रखना पड़ेगा। उसके लिए एक विधेयक आ रहा है और पता नहीं माननीय मंत्री जी उसे यहां पर लाएंगे या नहीं। अकाली दल आपकी सहयोगी पार्टी है और शुरू में तो उन्हें लगा कि यह विधेयक काम कर रहा है लेकिन आज उन्होंने इस विधेयक पर कह दिया कि पुनर्विचार किया जाए और जो प्रक्योरमैंट की जाती थी उसे जिन्दा रखा जाए।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

14/09/2020/1610/MS/HK/1

श्री राकेश सिंघा जारी--------

इसलिए मेहरबानी करके मार्किट इंटरवेंशन स्कीम जो पहले थी, उसको हिमाचल प्रदेश में जिन्दा रखा जाए और क्वालिटी फ्रूट को भी शामिल किया जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप खरीदें, वह सिर्फ सहारा है। जो लोग किसानों को लूटना चाहते हैं, सस्ते दाम पर उनका फ्रूट लेना चाहते हैं, स्पेक्यूलेटिव काम करना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए जब इस मार्किट इंटरवेंशन स्कीम को रखेंगे तो वह किसान के लिए एक सहारा बनेगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके ज़रिये मैं सरकार का ध्यान सिर्फ आकर्षित ही नहीं करना चाहता हूं बल्कि चाहता हूं कि सरकार ठोस कदम लेकर आज इंटरवीन करें नहीं तो किसान की पीड़ा बढ़ेगी और ऑलरेडी ट्रिमेंडस स्ट्रैस के ज़रिये जो छोटा बागवान जा रहा है, उसको नज़र आना चाहिए कि ऐसी कठिन परिस्थिति में सरकार उसके साथ खड़ी है। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूं। धन्यवाद।

14/09/2020/1610/MS/HK/2

उपाध्यक्ष : अब इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर देंगे।

शिक्षा मंत्री : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी ने नियम-62 के अंतर्गत एक समाचार पत्र में जो हैडिंग आया था कि "सेब के दाम में भारी गिरावट, बागवान मायूस", इस विषय पर इस माननीय सदन में चर्चा की है। यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश फल प्रदेश है लेकिन उसमें भी सबसे अधिक योगदान सेब का है इसलिए इसको सेब प्रदेश भी कहा जाता है। आपने ठीक कहा कि यहां लगभग 5000 करोड़ रुपये की अर्थ-व्यवस्था है जिसमें लगभग अढ़ाई लाख परिवार सम्मिलित होंगे जो इस अर्थ-व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष जी, यह वर्ष अपने आप में कुछ अलग प्रकार का वर्ष है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

जब इस माननीय सदन में विपक्ष ने नियम-67 के अंतर्गत कोरोना पर चर्चा के लिए अपना प्रस्ताव दिया तो ऐसी स्थिति कभी दुनिया और देश के इतिहास में नहीं हुई होगी इसीलिए अध्यक्ष महोदय और सदन के नेता ने मिलकर विचार-विमर्श किया कि ऐसी स्थिति में जो कभी नहीं हुआ है, अतः नियम-67 पर चर्चा इस माननीय सदन में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इस चर्चा में पक्षों के सदस्यों ने बहुत सकारात्मक दृष्टि से अपनी-अपनी बात को

रखा और इस साल जिस तरह की हालत है, उसके कारण से यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात देख रहा था कि वर्ष 2018 में जो हमारा 20 किलो के बॉक्स का रेट, जिसको हम बल्क रेट मानते हैं वह जून के महीने में 900/-रुपये, जुलाई में 1600/-रुपये, अगस्त में 1500/-रुपये और सितम्बर में 1400/-रुपये था और इस साल का अभी तक जो रेट है यानी जो शिमला की मण्डियों और कुल्लू वगैरह में वर्ष 2020 का का रेट है, वह जून के महीने में 900/-रुपये, जुलाई में 1800/-रुपये, अगस्त में 1600/-रुपये और सितम्बर के महीने में 1300/-रुपये मॉडल रेट है। एक बात के लिए मैं जरूर कहूंगा कि जितना शायद हमें खतरा लगता था उस हद तक स्थिति नहीं बिगड़ी और लगभग वर्ष 2016-17 और वर्ष 2018 तक जो रेट थे, लगभग हम अभी भी उसी रेंज में हैं। निश्चित रूप से यह रेट बढ़ना चाहिए लेकिन उस तादाद में बढ़ा नहीं,
जारी जे0के0 द्वारा----

14.09.2020/1615/JK/HK/1

शिक्षा मंत्रीः------जारी-------

हम लगभग उसी के 19-21 के अन्तर में टिके हैं। ऐसे विकट समय में छोटी सी राहत लोगों को इससे मिली है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूंगा कि माननीय राकेश सिंघा जी ने जो बात कही कि आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कहीं सेब के दाम 19-21 ऊपर-नीचे होने के कारण तो नहीं है। हम इन बातों को किसी एक बात से जर्नलाइज़ नहीं कर सकते । इसके कारण अनेकों हो सकते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि कई बार जो हमारे भौतिक कारण होते हैं, मनुष्य उसी से परेशान हो। आपने और हमने अनेक बार देखा है कि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं, अमेरीका आर्थिक महाशक्ति है, जापान बहुत बड़ी शक्ति है लेकिन आत्महत्या के मामले उन देशों में हमसे अधिक हैं। इसका केवलमात्र यही कारण नहीं हो सकता, इसको हम जर्नलाइज़ नहीं कर सकते ।कीमतें घट रही है तो लोगों ने आत्महत्याएं करने पर ज़ोर दिया, यह अकेला कारण नहीं हो सकता । अन्य कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। हम सभी एक बात को मानते हैं कि मनुष्य का सुख केवलमात्र उसका आर्थिक नहीं, उसके मन का सुख भी है, उसके तन

का भी है, उसकी बुद्धि का भी है, उसकी आत्मा का भी है और अनेक प्रकार के मनुष्य के सुख हैं। इसलिए हम हर बात को जर्नलाइज़ नहीं कर सकते । दूसरे, जो यहां पर दिल्ली और दिल्ली के आस-पास की मार्किट के कुछ रेट कोट किए हैं, ये सब-के-सब रिटेल प्राइसिज़ हैं। जो होर्टिकल्चर डिपार्टमैंट और हम सभी देखते हैं, सारी मंडियों का जो होल सेल रेट है, वह देखा जाता है। यहां पर एक और चिन्ता ज़ाहिर की गई कि जो MIS है, इसको सरकार बन्द तो नहीं करेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह बन्द नहीं होगी। इस साल भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उसका पैसा भी बढ़ाया और 8 रुपये 50 पैसे के हिसाब से उसको खरीद रहे हैं। इसलिए यह MIS स्कीम किसी प्रकार से बन्द नहीं होगी। दूसरे, आपने अभी हमें कहा कि इस सारे समय के अन्दर जो सी.ए. स्टोर

14.09.2020/1615/JK/HK/2

इत्यादि हैं, वे सब-के-सब श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने और माननीय बागवानी मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी, जो अभी कोरोना पोज़िटिव होने की वज़ह से यहां पर उपस्थिति नहीं हैं, इन्होंने ऑलरेडी इस बार किसी भी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया है और सभी बागवानों व किसानों के लिए वे स्टोर खुले रखे हैं तो जो भी अपना सेब वहां पर रखना चाहते हैं, वहां पर रख सकते हैं। विभाग हमेशा किसान व बागवानों के हित में खड़ा है। यहां पर एक आपने यह भी इशू उठाया कि जो सरकार ने एच.पी.एम.सी. ने बागवानों से सेब खरीदा है, उसका पैसा वर्ष 2019 तक लगभग दे दिया है। उसमें कुछ बागवान ऐसे हैं जो अभी तक उस पैसे को लेने नहीं आए हैं लेकिन उसमें एच.पी.एम.सी. और नेफेड को हम लोग कहेंगे कि उस पैसे को जल्दी से दे दिया जाए। इस वर्ष का जो पैसा है माननीय मुख्य मंत्री जी उस पैसे को भी रिलीज़ करेंगे। जो-जो सेन्टर एच.पी.एम.सी. के बनें हैं, वहां पर यह पैसा दे दिया जाएगा। आपकी चिन्ता बिल्कुल जायज़ है। आपने यहां पर यह विषय ध्यान में लाया और आप बिल्कुल चिन्ता रहित रहें कि हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान के लिए हमारी कीमतें ठीक रहेंगी। एक विषय आपने और कहा कि हिमाचल के निर्माता और हमारे पहले मुख्यमंत्री डॉ0 वाई0एस0 परमार जी ने एच.पी.एम.सी. विषय में

सोचा था कि इसका नैटवर्क बहुत मज़बूत हो तो निश्चित रूप से यह होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। इसकी मज़बूती की दिशा में सरकार को काम करना है और डैफिनेटली करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-62 पर जो श्री राकेश सिंघा जी ने विषय रखा उसमें बात करने की अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से छोटी-सी क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।

अध्यक्षः आप स्पष्टीकरण मांग लें।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

14.09.2020/1620/SS-YK/1

श्री राकेश सिंघा : हां मैं क्लैरीफिकेशन चाह रहा हूं। आपने सी0ए0 का ज़िक्र किया है असल में यह बाई डिफॉल्ट है कि आपने इस दफा कम्पनियों को नहीं दिया क्योंकि अब आप रिपेयर कर रहे हैं। आपका जो 1134 करोड़ रुपये का वर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट है उसको अमल में ला रहे हैं। मेरा कंसर्न यह नहीं है, वह आप ठीक कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि कोल्ड स्टोर और सी0ए0 में अंतर इतना ही है कि सी0ए0 कोल्ड स्टोर बन जाता है जब आप उसको सील करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा निकालेंगे और नाइट्रोजन की मात्रा डालेंगे। तब वह सी0ए0 बन गया अदरवाइज वह ऑडिनरी कोल्ड स्टोर है। मैं कह रहा हूं कि क्या आप अनुमति देंगे जो किसान टैम्पोरेरी दो या तीन महीना स्टोर करता है? क्योंकि यह दो-तीन महीने का मसला है उसके बाद मार्किट नॉर्मल आयेगी, जिन्होंने स्पैकुलेटिव कोल्ड स्टोरों में डाला है वह मंडी वहीं आ जायेगी जहां थी क्योंकि पिछले साल की तुलना में उत्पादन बहुत कम है और जो है वह बड़ी खराब हो गई है। उसमें माइट लग गया है, मार्सिलोना लग गया है, स्कैब लग गया है इसलिए मार्किटेबल फ्रूट बहुत कम है इसलिए दाम ऊपर है। इसलिए नहीं कि एक नयी परिस्थिति पैदा हुई है। वह नहीं हुई है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ऑर्डिनरी स्टोर की अनुमति देंगे या नहीं?

दूसरी बात यह है कि जिन्होंने पिछले साल सी0ए0 स्टोर में सेब रखा, आपने फूल वालों को तो कंसैशन दे दी। कोरोना के टाइम में जब वे बेचने गए तो उसका दाम उसे नहीं मिला।

उसे 300-400 रुपया प्रति बॉक्स मिला। तो क्या आप उसको भी उसी तरीके से राहत देंगे जिस तरीके से आपने फूल वाले को दी है?

अध्यक्ष : जो आपने पूछा है अब उसका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि केवल रिपेयर है तो वह कोई एक-आध हो सकता है। लेकिन किसानों को खुली छूट ऑलरेडी दी गई है और वे वहां पर अपना सामान रख सकते हैं।

इनका जो दूसरा विषय है मैं उसका उत्तर एकदम नहीं दे पाऊंगा। आपको बाद में सूचित करेंगे। ...(व्यवधान)... आपने ऑक्सीजन-नाइट्रोजन के बारे में सारा समझा दिया है।

श्री राकेश सिंघा : आप ऑर्डिनरी में देंगे या सी0ए0 देंगे?

14.09.2020/1620/SS-YK/2

अध्यक्ष : सिंघा साहब, अगर आपने कोई स्पष्टीकरण लेना है तो आप इनके चैम्बर में बैठकर इनसे बातचीत कर लें। क्या आपको यह बात मान्य है? ठीक है, धन्यवाद।

14.09.2020/1620/SS-YK/3

सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन

अब माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) के मनोनयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)बी (7)के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के

अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)बी (7)के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।

तो प्रश्न यह है कि..

जारी श्रीमती के0एस0

14.09.2020/1625/केएस/वाईके/1

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)बी (7)के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

प्रस्ताव स्वीकार।

14.09.2020/1625/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष: अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करता हूं कि:-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

14.09.2020/1625/केएस/वाईके/3

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन

के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

प्रस्ताव स्वीकार।

विधायी कार्य अ0व0 की बारी में---

14.9.2020/1630/av/ag/1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब सरकारी वधेयकों पर विचार विमर्श एवं पारण होगा।

विचार

अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

खण्ड 2, 3 व 4 पर माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी और श्री राकेश सिंघा जी से संशोधन आए हैं, जो इस प्रकार हैं :

14.9.2020/1630/av/ag/2

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub- clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Shri Rakesh Singha**	1	2	-	10	the words **"and non-public utility service "** be deleted.
		1	3	-	13	for the words "sixty days", the words **"ninety days"** be substituted.
		1	4	-	15	for the word "one hundred and fifteen" the words **"seventy five"** be substituted.
2.	**Shri Jagat Singh Negi**	1	3	-	13	for the words "sixty days", the words **"fourteen days"** be substituted.

अतः खण्ड 2, 3 व 4 चर्चा हेतु प्रस्तुत है।

माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी, आप बोल सकते हैं।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) में जो उद्देश्य और कारण बताए गए हैं कि उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा कारबार करने की सुगमता में और वृद्धि करने तथा श्रम विधियों के प्रवर्तन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में कुछ संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं।

14.9.2020/1630/av/ag/3

भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम के अनुसार देश में 'कारबार करने की सुगमता' भी अनिवार्यताओं में से एक है। इसलिए, औद्योगिक स्थापनों के साथ-साथ कर्मकारों को एक सहायक और कारबार अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के कुछ उपबंधों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि यहां पर निवेशक आयेंगे और उनको फायदा पहुंचाना है, अट्रैक्ट करना है तो इन्होंने 7 जुलाई को ऑर्डिनैंस के माध्यम से इसमें संशोधन लाया था। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 7 जुलाई को संशोधन करने के बाद यहां पर कितने औद्योगिक घराने आएं और कितना निवेश हुआ? मैं यह मानता हूं कि इसमें जो संशोधन किया जा रहा है यह एकतरफा है और इससे श्रमिकों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे केवल यहां आने वाले बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा होगा। लेकिन इस देश के असली श्रमिकों को जिनकी रोज़ी-रोटी इन उद्योगों से चलती है उनको इस काले कानून से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से इस बिल से संबंधित जो संशोधन यहां पर रखा है मैं इसका विरोध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर ठंडे दिमाग से सोचा जाए। बड़े सोच-विचार के बाद इस किस्म के श्रम-कानून बनें व पारित हुए हैं तथा इनमें लम्बे अर्से से कोई संशोधन भी नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया में श्रमिकों को शोषण से बचाने और उनके उत्थान के लिए इस किस्म के कानून बने

हैं। हम यहां पर केवल निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रमिकों को बलि नहीं चढ़ा सकते इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए तथा इन संशोधनों को वापिस लिया जाए ताकि जो मज़दूरों का पहले से शोषण हो रहा है वह न हो। धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी, आप बोलिए।

श्री राकेश सिंघा **श्री टी सी द्वारा जारी**

14.09.2020/1635/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने The Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2020 इस माननीय सदन में पेश किया है। मैं इसमें चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं और सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि इन तीन सैक्शन्ज में परिवर्तन लाने व संशोधन लाने के लिए हमने जो Statement of Objections and Reasons दिए हैं, मैं समझता हूं यह dishonesty है। एक कहावत है- "नाच न जाने आंगन टेड़ा" । यह भी precisely यही है। आप neoliberal path of development में विकास नहीं कर पा रहे हैं और आप सारा दोष मजदूर पर मढ़ना चाह रहे हैं। अगर मजबूर का बेसिक कानून जिससे उसका जीवन-यापन चलता है, हम वह अधिकार छीन लेते हैं तो ease of business होगा Make In India shine करेगा और न जाने क्या-क्या होगा? पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि path of development दुनिया में unsustainable है sustainable संभव ही नहीं है। जो विकास का रास्ता रोजगार पैदा नहीं कर सकता है, वह कभी sustainable नहीं होता। वह एक समय के लिए हो सकता है। लेकिन अब वह स्टेज आ गई है। दुनिया के जिन मुल्कों ने इस path of development को चलाने की कोशिश की वे धड़ाम करके गिर गये हैं। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस कानून को परिवर्तित करने के लिए ये जो आपने Statement of Objections and Reasons दिए

हैं, ये तो अपने आप में sustainable नहीं है, इससे आपने लोगों की आंख में धूल झोंकने का कार्य किया है। कहने के लिए तीन छोटे कानून है लेकिन मैं समझता हूं कि यह हिन्दूस्तान की लैजिस्लेशन में सबसे saddest day होगा अगर आज हम इस कानून को पारित करते हैं। इसके इतने दूरगामी परिणाम होंगे जो unbeliable अंग्रेज नहीं कर सके। लेकिन भारत में जो अधिकार मजदूरों ने न जाने कितने संघर्षों, कितनी कुर्बानियां देने के बाद अपने लिए एक कानून बनाया । जिस कानून से अपने वेतन को तय करने का अधिकार था, वह आज हम छीन रहे हैं। आप मुझे माफ करें, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं लेकिन आप जानते हैं कि हम इस सदन के माननीय सदस्य है और जब हम महसूस

करते हैं कि महंगाई हो गई है, जब प्रस्ताव आता है कि हमारा वेतनमान बदलना चाहिए, हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो ध्वनिमत से हम अपने वेतन को बढ़ा देते हैं। जो उस तरफ अधिकारी बैठें हैं, इनके लिए 5-5 साल बाद पे-कमीशन आता है लेकिन मजदूर को तो हम डी0ए0 की भी अनुमति नहीं देते हैं। जब महंगाई बढ़ जाती है तो हम महंगाई का न्यूट्रेलाइजेशन तक नहीं करते हैं। मजदूर जो हमारी फैक्टरी में काम करता है, मजदूर जो हमारी सड़कों पर काम करता है, मजदूर जो हमारे प्रोजैक्टों में काम करता है, लेबर विभाग समय-समय पर उन पर एक मिनिमम वेजिज लगाता है। आज हमें नाथपा झाकड़ी से जो आय हो रहीं हैं, वह 10 करोड़ रुपये प्रतिदिन है। न जाने कितने लोग उस प्रोजैक्ट का निर्माण करते हुए मर गये, उस प्रोजैक्ट के निर्माण करते -करते लगभग 300 से भी अधिक लोग मर गये। इतने शायद कारगिल में भी नहीं मरे होंगे। आज मजदूरों का जो वेतनमान तय करने का अधिकार है by amending Section 22 हमने उसको छीन लिया है।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी ।

श्री राकेश सिंघा...जारी

हमने छोड़ दिया है, कैसे मजदूर को सिर्फ न्यूनतम वेज मिलेगा उसके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं मिलेगा। वह मजदूर अपना वेतन कैसे तय करता था, मजदूर अपना वेतन through collective bargaining तय करता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग लोगों ने कहा है कि जहां पर यह संघर्ष पूंजी और श्रम के बीच में है हमारा पलड़ा श्रम के पक्ष में होना चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी आपने अमेंडमेट के रूप में अपना विषय रखा है, वह आ गया है। आप किसी और दिशा में सारी बात को लेकर जा रहे हैं। मैंने आपको अमेंडमैंट रखने के लिए अनुमति दी है आप अमैंडमैंट को रखिये, पर आप सारी बात को कहीं और लेकर जा रहे हैं। माननीय सदस्य आप बैठिये माननीय उद्योग मन्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय मन्त्री जी आप बोलिये।

उद्योग मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अमैंडमैंट है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। यहां पर कोई सम्मलेन तो चला नहीं है जिसके बारे में बात करनी है। माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी अगर आप को लगता है कि इसके ऊपर कुछ करना है तो आप हमें कुछ सुझाव दीजिए। कुछ अमैंडमैंट्स आपने दी भी हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यह तो आप भाषण दे रहे हैं। अगर आप अपने सुझावों पर बोलेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपकी ओर से क्या सुझाव आये हैं।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि everything is public utility. पहले उद्योग पब्लिक यूटिलिटि में माने जाते थे। बिजली, पानी, अस्पताल ये सभी पब्लिक यूटिलिटि में माने जाते थे। जब आप नोटिस देते थे तो उसके लिए 6 हफ्ते या 14 दिन का

समय दिया जाता था। अब जब कंसलेशन शुरू हो गई है तो यह कंसलेशन 3 साल भी चल सकती है। कंसलेशन के बाद आपको अपनी बार्गेनिंग पॉवर

14.09.2020/1640/RKS/AS-2

इस्तेमाल करने का सिर्फ उतना ही समय मिलेगा जब तक रैफरैंस टू दी कोर्ट नहीं होगा। एक बार जब रैफरैंस टू दी कोर्ट हो गया तो कोर्ट ही तय करेगा। मान लीजिए मैं मजदूर हूं या आप मजदूर हैं या जो भी मजदूर हैं और वह फैक्टरी में काम कर रहा है और उसे अपने वेतन की बढ़ोतरी करनी है तो उसके पास क्या माध्यम है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई है।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, हम अराजकता की तरफ क्यों जाएं? जो कानून में मजदूर को प्रावधान दिया था अगर उसको हम छीन लेंगे तो वह काम होगा जो मारुति, होंडा इत्यादि उद्योगों में हुआ है। उस मजदूर को मौका दिया जाना चाहिए। आप पब्लिक यूटिलिटी को रहने दीजिए। हम इसे छेड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। बेसक आप इस कानून को पब्लिक यूटिलिटी में लागू कर दें लेकिन आप सभी को पब्लिक यूटिलिटी में तबदील कर देंगे तो कभी भी मजदूर अपने वेतन की बढ़ोतरी नहीं कर सकता। As the Member of the House जब हमें अधिकार है

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

14.09.2020/1645/बी0एस0/ए0जी0/-1

श्री राकेश सिंघा जारी...

रेज्योल्यूशन पास करके हम अपना वेतन बढ़ा सकते हैं तो मजदूर की जिंदगी इतनी कठिन बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं हम । मंत्री महोदय, देखो सच्चाई क्या है, let's be honest. यह जो मेक इन इंडिया है इसलिए फैल हुआ क्योंकि Industrial Dispute Act को हमने अमेंड ही नहीं किया। मेक इन इंडिया इसलिए फेल हुआ कि जो मांग क्रिएट होनी थी वह नहीं हुई। लोगों की खरीद की शक्ति नहीं बढ़ी और अगर बढ़ती तो मेक इन इंडिया

शाइन करता। हम रोड कनेक्टिविटी नहीं दे सके, रेलवे नहीं दे सके और एयरलाइन्स की सुविधा नहीं दे सके। आप बाकी देखेंगे कि जी.डी.पी. वर्ष 2016-17 में 8.26 थी वर्ष 2017-18 में 7.04 पर आ गई वर्ष 2018-19 में 6.12 आ गई और वर्ष 2019-20 में यह 4.02 in the second quarter of this month यह -23 चली गई, चलो यह कोरोना वायरस की वजह से यह हो गया है। लेकिन यह कारण है जिससे मेक इन इंडिया शाइन नहीं कर सका। तो क्यों हम आगे इसके कानून को अमेंड करने के लिए आ गए। मैं आज भी बहुत से मजदूरों से बात करता हूं वे आपका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस दिन मजदूर को पता लग जाएगा कि हमारा साथी जो आज मंत्री बन गया वही हमारे अधिकार को छीन रहा है तो वह आपके बारे में क्या सोचेगा? Please, don't do this. मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं कि सैक्शन-22 के प्रश्न को ले कर जो सबको हम पब्लिक यूटिलिटी बना रहे हैं। ये तर्क मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं कि सैक्शन-22 को छेड़खानी मत करो। जो पब्लिक यूटिलिटी ऑफ रेडी एज्सिट कर रहा है । जो भी है एक्पोर्ट यूनिट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, पानी, बिजली उसे पब्लिक यूटिलिटी रहने दो परंतु जो दूसरे उद्योग हैं जहां पर लूट-घसूट और सामाजिक पूंजी द्वारा होते हैं वहां पर मजदूर को मौका दो नहीं तो कभी वह अपने बेतन की बढ़ौतरी नहीं कर सकते हैं और जो एस्टिबलिसमैंट हैं वह कमाई के हिस्से से मुनाफा कमाएंगे।

अब आप सेक्शन-25 एफ में आइए। अब सेक्शन-25 एफ में मैं खुश हुआ कि आपने मजदूरी के दिन बढ़ा दिए हैं। अब क्या होगा? हमीकत यह है कि आप तीन बिल तो आज ले आए जो मेन बिल है उसे आप अभी नहीं लाए। उसे चुप्के से आप पता नहीं कब पेश करेंगे, पेश करेंगे भी या नहीं करेंगे? या उसी बात को मान लेंगे जो भारत सरकार ने पेश किया है। वह है fix term employment. अब यह होगा कि मान लो मैं उद्योपति हूं, मैं कि सिर्फ तीन हफ्ते

14.09.2020/1645/बी0एस0/ए0जी0/-2

के लिए इम्प्लाई रहा हूं तीन हफ्ते के ऊपर कोई इम्प्लाइमेंट नहीं और तीन हफ्ते के बाद में एक्पोजर एक्सटेंड करुंगा। उसके बाद आगे एक्सटेंड करूंगा। जैसे पुराने जमाने में जो किया जाता था कि 80-90 दिन की जो इम्प्लाइमेंट होती थी बीच में ब्रेक दे देते थे फिर रिइम्प्लाई करते थे जिसके जरिए कोई भी कानून का फायदा मैं नहीं ले पाऊंगा यह सब

अब होने वाला है। किसी भी कानून का फायदा किसी भी मजदूर को नहीं मिलने वाला है। यह आज आप मेरे से लिख करके ले लो । जब फिक्स टर्म ऑफ इम्प्लाइमेंट आएगा यह सारे कानून उससे जूड़े हुए हैं। मंत्री महोदय, यह सारे उससे जुड़े हुए हैं। जो आपने 90 दिन का कहा है। हम आइसोलेशन में इसे नहीं दे सकते, हमें इसे टोटेलिटी में देखना है। हम अलग-अलग तोड़ कर इसे नहीं देख सकते। अगर इसे अलग-अलग देखें तो इसे नहीं समझा जा सकता। बुनियादी कानून इम्प्लाइमेंट का मोडल स्टंडर्ड इम्प्लाइमेंट है वह बेसिक कानून है। इसलिए मैं बेसिक पर आया हूं। सबसे पहले यहां बेसिक कानून आना चाहिए था फिर ये सबसिडरी कानून आने चाहिए थे। हमने बेसिक कानून नहीं लाया, सबसिडरी कानून ले आए फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां पर मेरा मानना यह है कि जब आप रिट्रेंच करोगे, सब रिट्रेंच हो गए जैसे मैं मांग करूंगा, मजदूर मांग करेगा कि ये वेतन बढ़ना चाहिए वह कहेगा रिट्रेंच तीन महीने की इम्प्लाइमेंट है तीन महीने के बाद रिट्रेंच हो गया। उसमें मैंने कहा है कि आप दिन बढ़ाओ। What is the retrenchment allowance to be given पहले 15 दिन हुआ करता था

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-09-2020/1650/डी.सी.-एन.जी./1

श्री राकेश सिंघा जारी.....

और आपने अपने संशोधन में 60 दिन किया है लेकिन मैं कहता हूं कि आप उसे 90 दिन कर दीजिए क्योंकि this is the only relief that the worker will get. वैसे तो उसे जब डिसमिस कर दिया जाएगा then he will not he reliable for retrenchment compensation, चार्जिस इस प्रकार के बना दिए जाएंगे कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर के इतने बुरे हाल मत करो कि उसे फांसी पर चढ़ना पड़े। जैसे एक उदाहरण बद्दी का है जिसमें एक मजदूर के पैसे नहीं दिए गए और उसने आत्महत्या कर ली थी। आप जानते हैं, you are more aware than me, आप उस फैक्ट्री में रहे हैं और मैं उस फैक्ट्री में नहीं रहा हूं। इसलिए मैं दूर से देख कर उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करता हूं लेकिन आप तो उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। तीसरी बात 25-K की

है, यह जो Chapter-5 था 'Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Act' यह special circumstances के लिए था। जहां बड़े उद्योग जैसे नाथपा झाकड़ी, मलाणा, पार्वती आदि, जहां पर मजदूर 100 से ऊपर होगा वहां पर उसे slightly better benefit देते थे in all the terms. जब हमने रिट्रैंच करना है तो straightaway 3 months का होता था, उसे three months की compensation देनी पड़ती थी। हम यह चैप्टर क्यों डिलीट कर रहे हैं? Are we not giving benefits? इससे हम रोज़गार बढ़ाने की बात कह रहे हैं लेकिन इससे एक भी मजदूर बढ़ने वाला नहीं है। हम कोरोना के समय में ऐसा एक्ट ला रहे हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि the number of workers will get reduced. हमें वर्कर बढ़ाने हैं या कम करने हैं? कहते हैं कि जब कोई मन बना लेता है तो वह उस काम को कर के छोड़ता है इसलिए मैं विनती कर रहा हूं कि आप वैसा मन न बनाएं। Go by logic, go by arguments and go by the poor, जो गरीब, पीड़ित हैं तथा जो बेचारा बोल नहीं सकता है और यदि वह बोलेगा तो उस पर इस प्रकार की तलवार गिरेगी। They have never faced that kind of life. आप अपने जिंदगी के तजुरबे के आधार पर और अपने विवेक के आधार पर फैसला लें, इनके कहने के ऊपर नहीं क्योंकि यह तो डोटिड लाइन पर चलने वाले लोग हैं, go by your own experience and go by the people, हिमाचल के पीड़ित और मजदूर लोग हैं और जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करो, मैं केवल इतनी ही विनती आपसे करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैं वॉकआऊट नहीं करता हूं, मैंने माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर के विषय में इसलिए वॉकआऊट किया क्योंकि I felt it is attack. इससे पहले भी एक बार किया था

14-09-2020/1650/डी.सी.-एन.जी./2

लेकिन आज मेरे पास कोई चारा नहीं होगा और मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है my conscious will never allow me कि मैं ऐसे एक्ट का हिस्सा बनूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्रेसरी बिल के हिस्से हैं उसमें आप अपनी अंतरात्मा से निर्णय लो Don't go by जो यह पेश कर रहे हैं। यह मजदूर के लिए लास्ट दिन होगा व उसके कॉफिन पर लास्ट कील होगी। मेहरबानी कर के ऐसा मत करो, दिल्ली सरकार ने जो कर दिया है उन्हें करने दो लेकिन आप हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति को समझते हुए मजदूर को सांस लेने का मौका तो दो अन्यथा सब कुछ तबाह हो जाएगा। Please don't do it.

14-09-2020/1650/**डी.सी.-एन.जी./3**

अध्यक्ष : अब इस संशोधन में जिसे माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी और श्री राकेश सिंघा जी ने प्रस्तुत किया इसमें माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : अध्यक्ष महोदय, Industrial Disputes Act आया है उसके लिए मेरा आपसे और माननीय मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि जब कभी हम कोई संशोधन लाते हैं तो हम केवल शब्दों में संशोधन लाते हैं। अगली बार जब संशोधन और कानून लाते हैं व इस सभागार में बैठे होते हैं तो एक पूरी definition जिस सैक्शन की हम संशोधन कर रहे हैं वह पूरी definition आनी चाहिए।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

14/09/2020/1655/MS/DC/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी--------

आपने इसमें तीन अमैंडमैंट्स लाई हैं जिसमें सैक्शन-22 की बात है। पब्लिक युटिलिटी सर्विस इसमें पहले से मैंशन था, आपने इसमें नॉन-युटिलिटी पब्लिक सर्विस इन्सर्ट किया है। पब्लिक युटिलिटी सर्विस में हमारी रेलवे, ट्रांसपोर्ट, पोट्र्स और सिंघा जी ने जो शब्द बोले, वे सभी इस ऐक्ट के तहत डिफाइन थे। अब नॉन पब्लिक युटिलिटी सर्विस जो आपने इन्सर्ट की है, इसके पीछे क्या इन्टैंट है, माननीय मंत्री जी यह आप अपने रिप्लाई में बता दें। आपने पब्लिक युटिलिटी सर्विस को सैक्शन-22 के तहत डिफाइन किया हुआ है कि ये-ये सर्विर्सिज उसमें आएंगी। जब आप इसको इसी सैक्शन में इन्सर्ट कर रहे हैं तो आपको नॉन पब्लिक युटिलिटी सर्विस को भी डिफाइन करना चाहिए था। आपने डिफाइन नहीं किया कि किस प्रकार से कौन मज़दूर क्या है। इस बारे में सिंघा जी ने ठीक कहा। ठीक है ये मज़दूरों के हक की लड़ाई बहुत लड़ते रहे हैं और इनको मज़दूरों के लिए आवाज उठानी भी चाहिए क्योंकि ये चुनकर आए हैं। हम लोग भी मज़दूरों के लिए आवाज उठाने के लिए यहां आए हैं लेकिन मेरा यह अनुरोध है कि जो किसी भी चीज के लिए इन्टैंट होता है, वह सभागार में जरूर क्लीयर होना चाहिए कि नॉन पब्लिक युटिलिटी सर्विर्सिज ये-ये कहलाएंगी। एक सैक्शन 25-एफ है। यह एक अच्छा कार्य आपने किया। इसके द्वारा पहले जो मज़दूर फैक्टरीज में लग जाता था उसको आप 15 दिन का कम्पनसेशन देते थे। आप

तो स्वयं ट्रेड युनियन में रहे हैं। आपने इस कम्पनसेशन को बढ़ाकर 60 दिन का किया। राकेश सिंघा जी ने अनुरोध किया कि इसको 90 दिन का किया जाये। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी हम यह चाहते हैं कि जब कोई मज़दूर किसी कम्पनी में लगा होता है तो पहले उसको कम्पनसेशन 15 दिन का मिलता था। लेकिन उसके रुल्ज में प्रोविजन कर दीजिए कि रिट्रेंच करते हुए भी; क्योंकि कई बार क्या होता है कि कम्पनी वाले बोलते हैं कि मेरी चोरी हुई है इसलिए इस मज़दूर को रिट्रेंच करना पड़ेगा। इसलिए आप एक ऐसा बायलॉज बना दीजिए कि कम-से-कम जो भी आपने अभी सैक्शन 25(के)में अमैंडमैंट लाई है कि जब भी आप मज़दूर को रिट्रेंच करेंगे या कम्पनसेशन देंगे तो 15 की जगह जो 60 दिन है, इसको बढ़ाकर 90 दिन किया जाए और इसमें क्लॉज किया जाए कि 'any kind of retrenchment' यह मेंनडेटरी कर दिया जाए। यह मेरा

14/09/2020/1655/MS/DC/2

अनुरोध रहेगा। तीसरा अमैंडमैंट सैक्शन-25-के सब-सैक्शन-1 में किया है। ठीक है, आपने वर्कमैन की बात की है। वर्ष 1982 के बाद से 50 से 100 लोग, जिनको सीजनल वर्कर बोलते हैं, उसके नम्बर को बढ़ाकर आपने 200 किया है। आप सरकार है, आपने इस सैक्शन में अमैंडमैंट लाई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, सीजनल वर्कर का जब सीजन हुआ तो उनकी संख्या 100 से 200 कर दी, पहले 50 से 100 की थी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि हमारे यहां उद्योगपति बहुत कम हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनैस में आप 7वें स्थान पर तो आ गए हैं तथा और अमैंडमैंट करके आप और ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहां बिजनैस करने वाले उद्योगपति कितने आते हैं, यह तो समय बताएगा लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, वे मैक्सिमम इलैक्ट्रिशियन/वायर मैन का कोर्स करते हैं या मज़दूर का काम करते हैं और समय के अनुसार काम करते हैं। इसलिए उनका ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि आपने इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में चैप्टर-5-वी को खत्म करने का प्रावधान भी किया हुआ है। मेरा यह अनुरोध रहेगा कि जहां आप उद्योगों को लाना चाहते हैं, अच्छी बात है क्योंकि कोई भी उद्योगपति तब तक नहीं आएगा और वह अपना पैसा लगाकर क्यों तनाव में रहेगा। इसलिए तो नहीं रहेगा कि मैं अपना पैसा लगाऊं और यहां पटवारी से लेकर ऊपर तक तंग

होता जाऊं। लेकिन इसके साथ जो हमारे लोगों की आवाज है और जो हमारे मज़दूर हैं, उनके अधिकार भी सुरक्षित रखने चाहिए। इसमें आप सिर्फ एक ही सैक्शन इनके अधिकार को सुरक्षित रखने वाला लाए हैं, जो कि सैक्शन 25-एफ है। अगर आप सिंघा जी की अमैंडमैंट को मान लेते हैं और इसको 60 से 90 दिन कर देते हैं तो उस मज़दूर को पता लग जाएगा कि मुझे तीन महीने की सैलरी कम्पनसेशन अलाऊंस के रूप में मिलेगी।

जारी जे0के0 द्वारा---

14.09.2020/1700/JK/HK/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः------जारी---

इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। आप अपने जवाब में भी अमैंड कर सकते हैं और जब हाउस चाहेगा कि इसमें क्या है? बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। यह ठीक है कि उद्योग हिमाचल प्रदेश में समय की ज़रूरत है। उद्योग दो ही जगह आता है। बद्दी में या ऊना में हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी का जो क्षेत्र है, वहां पर आता है। वहां पर भी जहां पर खाली जगह है, यह नहीं कि जो उनका क्षेत्र है। सेन्टर में हमारा कोई उद्योग नहीं आता है। हमें उद्योग को यहां पर लाना भी पड़ेगा। जो बच्चे आई.टी.आई. के द्वारा ट्रेनिंग करके आते हैं, उनके अधिकारों को भी उन उद्योगों में सुरक्षित रखना होगा। अगर आप एक्ट में अभी प्रोविजन्ज़ नहीं कर सकते हैं तो आप रूल्ज़ में जरूर प्रोविजन कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे चाहूंगा कि नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसिज़ थोड़ा डिफाइन कीजिए। हाउस के लोगों को भी इसका पता चले। आप अपने अधिकारियों से पूछे कि कौन सी नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसिज़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट मंत्री जी भी नहीं जानते होंगे कि जो यूटिलिटी में नहीं है वह तो कॉमन वर्ड हो गया, पब्लिक यूटिलिटी में क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, इनसे ही पूछ लें कि पब्लिक यूटिलिटी में क्या है? .....(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य महोदय, आप मेरी ओर देख कर अड्रैस कीजिए। मंत्री जी ने बाद में उत्तर देना है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसिज़ का किसी को पता नहीं है। मंत्री जी, कृपया आप बताना। अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद।

14.09.2020/1700/JK/HK/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री होशयार सिंह जी संशोधन में अपने विचार रखेंगे। प्लीज़ बाकी सदस्य बीच में न बोलें। माननीय होशयार सिंह जी।

श्री होशयार सिंहः (देहरा): आज 'Industrial Disputes Act, 1947' में कुछ अमैंडमैंट्स लाई गई हैं, उसके बारे में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। The objects and reasons जो दिए गए हैं, वाकई ये बिल्कुल आज की परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। यह जो लॉ बना था, यह 1947 में बना था और समय-समय पर इसकी अमैंडमैंट भी होती रही होगी। लेकिन जो आज समय है, आज एक एडवांस टैक्नोलॉजी का समय है, जहां हर लेबर्ज़ को अपने राइट का पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं? जो इन्वैस्टर्ज़ होते हैं, वे तब आते हैं जब एक अच्छा माहौल होता है। जब अच्छा माहौल होगा तब वह इन्वैस्टमैंट करने के लिए आएगा नहीं तो वह इन्वैस्टमैंट करने नहीं आता है। जब इन्वैस्टमैंट होगी तब लेबर को इम्प्लॉयमैंट मिलेगी। जब इन्वैस्टमैंट ही नहीं होगी तो क्या हम छाती पिटते रहे कि लेबर के लिए, आपकी स्टेट में कोई इम्प्लायमैंट नहीं होगी। जिसका हमने जीता-जागता उदाहरण देखा है। पिछली सरकार में भी और आज की सरकार में भी हमने इसके बारे में देखा है। ये जो अमैंडमैंट्स लाए हैं to provide a conducive and business friendly environment के हिसाब से ये अमैंडमैंट बहुत बढ़िया है। जबकि as private enterprise मैं यह कहूंगा कि public utility and जो एक और चीज़ उसमें शामिल कर दी गई है non-public utility service. यह बहुत बड़ा कदम हमारी स्टेट का है। Non-public utility service में आपने हर किसी को ले लिया। हर प्राइवेट सेक्टर को ले लिया, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ गवर्नमैंट सेक्टर या असैंशियल सर्विस सेक्टर जो मैं समझता हूं कि वे थे। आज non-

public utility service में हर कोई इसके अन्दर इन्वॉल्व हो गया है। हर प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री भी इसके अन्दर आ गई है। इस बिल के ज़रिए यह बहुत अच्छा कदम उठाया है।। support this जो पहले नहीं था, वह अब ले लिया गया है। साथ ही जो 25F के अन्तर्गत जो one month notice का जो प्रावधान किया गया है, जिसमें हमारे माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने भी एक any type of retrenchment. Sir, any type of retrenchment cannot be added in this

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

14.09.2020/1705/SS-HK/1

श्री होशयार सिंह क्रमागत :

क्योंकि कोई शख्स कैपेबल है, अकुशल है या उसने लड़ाई की, चोरी-चकारी की तो आप उसको तीन महीने की कैसे तनख्वाह दे सकते हैं? उसको कैसे कम्पनसेशन दे सकते हैं अगर उसने कम्पनी के अंदर गड़बड़ की है? How you can do? Who will prove that? कल को कोई नौकरी लगता है और एक महीने के बाद दंगा-पंगा करता है और कम्पनी का मालिक उसको निकालते हैं तो क्या आप उसको 90 दिन की तनख्वाह देंगे? आप कैसे देंगे? It is not possible. अगर वह काम करने में incapable/inefficient है, जिस अधिकार से कम्पनी ने उसको रखा है, मैनेजर लेवल पर रखा है अगर वह उसका काम नहीं करता है तो company has a right to remove him at any time. तो मैं यह मानता हूं कि जो आपने इसमें कंडीशन्ज़ रखी हैं that is perfectly okay. मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा।

एक बात जरूर रखूंगा कि Industrial Disputes Act should be changed और एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा कि आज गवर्नमैंट सैक्टर में या मनरेगा की लेबर को आप 203 या 208 रुपया देते हैं। आप प्राइवेट सैक्टर में जाकर पूछो वे 350 रुपया देते हैं। तो किसी लेबरर पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। यह 1947 का जमाना नहीं है यह 2020 का जमाना है। यहां हर वर्ग को अपने राइट का पता है लेकिन जब हम इंवैस्टर्ज़ नहीं लायेंगे, अच्छा माहौल पैदा नहीं करेंगे तो कहां से यहां इंवैस्टर आयेगा? आज कई ट्रेड यूनियन बनी हैं, कई टैक्सी यूनियन हैं, ट्रक यूनियन हैं। आज ट्रक यूनियन की वजह से हमारी

स्टेट में कई इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं। उनकी गुंडागर्दी और गुंडाटैक्स की वजह से इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं। आज हमें दूर-दराज क्षेत्र में इंडस्ट्री लानी है। यह नहीं कि सिर्फ बद्दी में इंडस्ट्री आ गई या नालागढ़ में इंडस्ट्री आ गई, हमें इंडस्ट्री इंटीरियर क्षेत्र में भी लानी है। वह तब आयेगी जब इस कानून को पास किया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह कानून बहुत अच्छा है और इसे लागू करना चाहिए। This is the right way, the Government has decided. Thank you, Sir.

14.09.2020/1705/SS-HK/2

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, यह औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) में जो कुछ संशोधन हुए हैं उसके बारे में यहां पर चर्चा हुई है। मैं मानता हूं कि जब कोई नयी चीज़ आती है तो उसके बारे में शंकाएं भी होती हैं। उसके कारण से क्या ठीक हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूंगा कि सैंसेशन क्रियेट करना अच्छी बात नहीं है। मैंने इंडस्ट्री में 10 साल काम किया है। मैं यूनियन में रहा हूं और जैसा सिंघा जी बोल रहे थे और इस सारे विषय को इस प्रकार से ले रहे थे कि जो संशोधन हो रहे हैं उसके कारण से मजूदर के सारे हक सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनको ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम उसका एक पहलू एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल में जाना चाहता हूं क्योंकि यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एक केन्द्रीय कानून है जिसमें बहुत वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ है। उद्योगों में रोज़गार उत्पादन और निवेश बढ़ाने हेतु इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। कारोबार करने में सुगमता बढ़ाने हेतु कुछ सुधारों की आवश्यकता है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

कई प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये संशोधन पहले ही हो चुके हैं। इसमें पब्लिक यूटिलिटी और नॉन-पब्लिक यूटिलिटी विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपने पब्लिक यूटिलिटी के बारे में बोला। पानी, बिजली, ट्रासंपोर्टेशन, इन सभी को आपने पब्लिक यूटिलिटी डिफाइन किया और जो बाकी रह गए वे नॉन-पब्लिक यूटिलिटी हैं।

हमारे पास जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसिज़ हैं इनको सैक्शन-2 (N) में डिफाइन किया हुआ है और बाकी सारा नॉन-पब्लिक यूटिलिटी है। उसमें सभी सर्विसिज़ आती हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि पानी, बिजली और ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि पब्लिक यूटिलिटी में आई और बाकी जो बच गईं वे नॉन-पब्लिक यूटिलिटी में आईं। ...(व्यवधान)...

जारी श्रीमती के0एस

14.09.2020/1710/केएस/वाईके/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ क्लेरिफाई करना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, क्लेरिफिकेशन बाद में ले लेना। अभी उत्तर देने दीजिए। ...(व्यवधान) सुक्खु जी, आप बैठिए तो सही। आपकी कुछ क्वैरीज़ होंगी तो बाद में पूछ लेना। कृपया बीच में न बोलें और सदन का माहौल ठीक रखें।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी सिंघा साहब बोल रहे थे कि आप नॉन युटिलिटी ...(व्यवधान) मैं बोल तो रहा हूं, मैं इंडस्ट्री की ही बात कर रहा हूं। कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो नॉन पब्लिक युटिलिटी में आती हैं। ये इसीलिए उसकी आपत्ति करते हैं।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप चेयर को अड्रैस करें।

उद्योग मंत्रीः जी, अध्यक्ष महोदय। इसको हम नॉन पब्लिक युटिलिटी सर्विसिज़ अगर कुछ नहीं हैं, अगर यह किसी इंडस्ट्री के ऊपर लागू नहीं है, तो इसके ऊपर फिर तो हमें किसी प्रकार का विरोध भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यह बोल रहे हैं कि नॉन पब्लिक युटिलिटी सर्विसिज़ को हमने सैक्शन-22 के प्रावधानों में पूरा किए बिना,क्योंकि जब हम इसको इसमें डालेंगे तो केवल और केवल एक विषय जो श्री सिंघा जी ने बोला है, लेकिन उसमें आगे भी सुनिए, सेक्शन-22 के प्रावधानों को पूरा किए बिना लॉक आउट नहीं कर सकेंगे। यह नहीं है कि उनसे हड़ताल में जाने का हक छीन लिया है, वे हड़ताल पर जा सकते हैं लेकिन वे हड़ताल पर कायदे से जा सकते हैं, यह नहीं होगा कि आज आप आए और अगले दिन आपने हड़ताल कर दी। जब यह कायदा-कानून लगेगा, हड़ताल तो आप

तब भी कर सकते हैं लेकिन वह कायदे-कानून के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद आपने कहा, आपको थोड़ी सी बात अच्छी लगी कि 15 दिन औसतन वेतन दे दिया जाता था। किसी ने इस विषय पर डिमांड नहीं की, हम अमैंडमैंट लाए हैं कि 15 दिन वाला गलत है। हम यह कहते हैं कि उसको 60 दिन का मिलना चाहिए और इसीलिए आपको इसका स्वागत करना चाहिए कि यह एक अच्छा कदम है और उसके बाद आपका एक पक्ष आ गया

14.09.2020/1710/केएस/वाईके/2

कि आपने 100 मज़दूरों की जगह 200 कामगार वाले जो उद्योग लगेंगे, सेक्शन 25-के में उसका प्रावधान किया जा रहा है। उसका एक पहलू आपने बोल दिया लेकिन जिस समय उनकी संख्या 200 होगी, अभी यह प्रावधान 100 कामगार वाले उद्योगों पर ही लगते थे, इससे रोज़गार में वृद्धि होगी क्योंकि अभी तक जो इम्प्लॉयर हैं, 100 से कम कामगारों को ही एक साथ रोज़गार देते थे। जब यह रूल इनके ऊपर लागू होगा तब जो इम्पलॉयर है, उसको 200 कामगारों तक रोज़गार देना आसान होगा क्योंकि इस अध्याय के प्रावधान से 200 से अधिक कामगार लग पाएंगे। मैं मानता हूं कि उसका कुछ पोर्शन, आपको लग रहा है कि इसके कारण समस्या आएगी लेकिन इन प्रावधानों के कारण मज़दूर को जो फायदा होने वाला है, मुझे लगता है उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जगत सिंह नेगी जी ने सेक्शन 25-एफ के बारे में यह क्या लिख दिया? हम बोल रहे हैं कि 15 दिन की जगह 60 नहीं, 60 की जगह 90 करो और आप बोल रहे हैं कि ये जो 60 दिन किए हैं, इनको 14 दिन करो, मेरी समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों कहा? जो अमैंडमैंट दी है, उसमें आपने यह कहा है। नेगी जी, या तो यह हमने ही गलत लिख लिया या आपने गलत दिया है। हम यह बोल रहे हैं कि बंदे को 15 दिनों का जो वेतन मिलता था, उसको हम 60 दिन का देंगे और जो आपने अमैंडमैंट दी है, आपने कहा कि नहीं 60 का नहीं 14 का देना है। मुझे लगता है कि या तो यह गलती से हुआ है या यह ठीक तरीके से नहीं आया। हम 60 दिन का देना चाहते हैं । मेरा आप सभी से यह निवेदन है

कि इन प्रावधानों के कारण आपके मन के अंदर जो शंकाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है, इस प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हम यह नहीं चाहते, हमारी सरकार मज़दूर विरोधी नहीं है लेकिन हम यह ज़रूर चाहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर निवेश आए और जिस प्रकार से श्री होशयार सिंह जी ने कहा, इन्होंने प्रैक्टिकल बात की है। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ठीक तरीके से काम करेगा, उसको तो कोई समस्या नहीं है। यह समस्या उन लोगों के लिए है, जिन्होंने काम नहीं करना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को, जो हम यहां पर बैठे हैं, हम लोगों को उसी दिशा में चलना

14.09.2020/1710/केएस/वाईके/3

चाहिए जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गारों को यहां पर ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले और इस प्रकार की जो छोटी बातें हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ चीज़ों को ठीक करना है, तो उसको सुधारा जा सकता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.9.2020/1715/av/yk/1

उद्योग मंत्री-------जारी

लेकिन यदि आप यह कहें कि हम केवल मज़दूर विरोधी है तो यह बिल्कुल गलत है। इसलिए मेरा माननीय सदस्य श्री सिंघा जी और जगत सिंह नेगी जी से निवेदन है कि आपने जो संशोधन दिए हैं इन्हें वापिस लिया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, बड़े विस्तार से जवाब आ गया है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, हम थोड़ी-सी क्लेरीफिकेशन चाहते हैं।

अध्यक्ष : अच्छा, बोलिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि हमारी अधूरी जानकारी हो सकती है और हम जानकारी प्राप्त करने ही तो इस सभागार में आए हैं। आपने जब पब्लिक युटिलिटी सर्विसिज को इसी सैक्शन में डिफाईन किया हुआ है और जवाब यह आ रहा है कि इसके अलावा जो नॉन पब्लिक युटिलिटी सविर्सिज होगी हम उनको कंसिडर करेंगे। मंत्री जी, वह जवाब नहीं है जो आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट, रेलवे इत्यादि पब्लिक सर्विस होगी। आपको यदि नॉन पब्लिक युटिलिटी सर्विसिज के बारे में अभी जवाब पता नहीं है तो इस पर बाद में विवेक से विचार विमर्श किया जा सकता है कि पब्लिक युटिलिटी सर्विसिज कौन-कौन सी होंगी तथा उसके तहत कौन-कौन से लोग आयेंगे। मैं केवल यही चाह रहा हूं कि आप उसको डिफाईन करें। आपने नॉन पब्लिक युटिलिटी सर्विसिज में एक भी उदाहरण नहीं दिया कि ये-ये नॉन पब्लिक युटिलिटी सर्विसिज होंगी। दूसरी बात, आपने अपने जवाब में कहा कि इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट सौ से ऊपर दो सौ में नहीं लगेगा। अरे! जब दो सौ मज़दूर सीज़नल वर्कर्स हैं, आपने जल्दी में कहा होगा या मैंने सुनने में गलती की होगी। आपने इसके सौ से दो सौ नम्बर बढ़ाये हैं। आपने अच्छा किया है क्योंकि आपने कहा कि हम 15 से 60 दिन ला रहे हैं, हमने आपका स्वागत किया। यहां पर सिंघा जी ने इसमें संशोधन

14.9.2020/1715/av/yk/2

लाया क्योंकि ये मज़दूरों के हक के लिए लड़ते रहे हैं। हमने किसी से आरगुमैंट नहीं की, हमने इसी सैक्शन के तहत केवल यह कहा कि रिट्रैंचमैंट वह कैसे हो जायेगा; यह हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल तो यह है कि कहीं-न-कहीं जब हम किसी मज़दूर को सीलैक्ट कर लेते हैं उस बारे में हमने कहा है कि आप रूल्ज में प्रोविज़न कीजिए। इसी सैक्शन के तहत कहा है और इससे बाहर हमने कोई बात नहीं की है। आपने 60 दिन का लाया, हमने स्वागत किया। नॉन युटिलिटी सर्विसिज में मज़दूर आ गया तो वह कौन-सा मज़दूर आ गया? इसमें घर में काम करने वाला मज़दूर होगा, बिजली बोर्ड का मज़दूर हो

गया, एस0जे0वी0एन0एल0 में लगने वाला मज़दूर हो गया? युटिलिटी को तो आपने एक्ट में डिफाईन किया हुआ है। मैं यह बार-बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको इसका प्रोविज़न करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जब किसी सैक्शन में कोई वर्ड इंसर्ट किया जाता है तो उसका मतलब और परिभाषा भी तो आनी चाहिए। इसलिए मैं यह चाह रहा हूं कि इसको आने वाले समय में रूल्ज में कर दो; हमारी आपके साथ कोई लड़ाई थोड़ी है। हमें आपसे कोई जीत हासिल नहीं करनी है, हम तो कानून बनाने के लिए कह रहे हैं।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को युटिलिटी और नॉन युटिलिटी की पूरी लिस्ट दे दूंगा। नॉन युटिलिटी में उदाहरण के लिए टैक्सटाइल, कॉटन, फॉर्मास्युटिकल इत्यादि आयेंगे। अगर आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं आपको बाद में दे दूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी, आप बोलिए।

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, 25(एफ0) के बारे में जैसे माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि हमने 15 दिन से 60 दिन में परिवर्तित किया है कि रिट्रैंचमैंट कंपनसैशन मिले और कहा है कि हम मज़दूर के पक्ष में है तथा उनके हितैषी हैं।

14.9.2020/1715/av/yk/3

कहने के लिए तो आपका तर्क ठीक है मगर यदि इसको ऐक्सप्लेन करना है कि गर्दन काट दो और फिर कहो कि मैं आपको एक आंख दे दूंगा; तो वह एक आंख कहां डालनी जब गर्दन ही चली गई? वास्वत में ऐसा ही है, जो मुझे आपसे क्लेरीफिकेशन चाहिए।

श्री टी सी द्वारा जारी

14.09.2020/1720/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री राकेश सिंघा... जारी

आपने सैंक्शन-22 को लेकर तो कह ही दिया है और सहमति और असहमति तो हमेशा ही रहेगी । आप बहुत experienced हैं वह दूसरी बात है कि अभी आपको एक पोजीशन डिफेंड करनी है, आप उसको कीजिए। लेकिन आदमी का dual character कभी नहीं होता है। उसका एक ही करैक्टर होता है जो जिंदगी के तजुर्बे से निकलता है। आप मुझे बताएं कि जब आप सब-सैक्टर्ज को public utility डिक्लेयर कर लेंगे apart from illegal strike होंगी। क्योंकि मजदूर उनके प्रावधानों को तोड़ेगा। उसने भी अपने लिए वेतन तय करना है। आप तो मिनिमम वेतन देते हैं। इससे ज्यादा आप एक नया पैसा नहीं देते हैं। वह लड़ कर लेता है, वह कहता है कि मैंने इतनी प्रोडक्शन की है, इस प्रोडक्शन के आधार पर मेरा वेतन होना चाहिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है -Article 21 जो माननीय मंत्री महोदय, कल कोट कर रहे थे, Right to Life and Liberty उसमें वह कवर होता है। To get a minimum wage is not a real wage असली वह नहीं है, Minimum is minimum, bare minimum. उसको आपने करना है तो आप करें। लेकिन आप तीसरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाये हैं। आपने 100 मजदूरों से 200 मजदूर कर दिए हैं। आपने जो Chapter VB कवर करना है जिसमें एक स्पेशल चैप्टर शामिल किया हुआ था, वह उन उद्योगों के लिए किया गया था, जहां पर 100 से ऊपर मजदूर हैं। अब establishment भी बहुत चालाक हो गई है। वह 100 से बचने के लिए 25-25 के चार हिस्से दिखा देती थी या 90-90 दिखा देती थी तो 100 में वह कवर नहीं होता था। अब आपने उसको और आसान कर दिया है। अब आपने कानून को evade करने के लिए 200 कर दिया है। इसके पीछे तर्क क्या है? Why have you form Chapter जो 25K Section है, हमने उसको 100 से 200 बढ़ाने का तर्क लिया है। What is the intention? Why have we done that? हमने उसको 100 क्यों नहीं रहने दिया? 100 में भी establishment उसको वायलेट कर उसका फायदा नहीं देता था। लेकिन मजदूर अपनी सामूहिक ताकत से उसको ले लेता था। वह आपने क्यों किया ? ...(व्यवधान)

14.09.2020/1720/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपकी बात आ गई है।

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है, यदि एक तरफ की बातें करेंगे तो माननीय सदस्य, श्री सिंघा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है लेकिन इसके पीछे जो इसका उद्देश्य है, जब आपने कंडीशन 100 की लगा दी तो वह 100 मजदूर नहीं लगाता था और 99 ही लगाता था जब 200 का प्रावधान होगा तो 199 लगाएगा। इससे मजदूर बढ़ा या नहीं। इसलिए इसका प्रावधान किया गया है।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, जो तर्क यहां माननीय सदस्य, श्री सिंघा जी और अन्य साथियों ने रखा है, मैं उनसे सहमत हूं। मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता हूं। अभी जैसे मंत्री जी ने कहा कि आपने 100 से 200 मजदूर किए तो 199 लगेंगे। आप इनको 1000 कर दो तो 999 लोग लगेंगे। लेकिन जब आप उनके लिए कानून नहीं बनाएंगे, उनको कानून की धारा से बाहर करेंगे तो उनका शोषण बढ़ेगा। यह आपके ऊपर निर्भर है कि पूंजीपतियों का साथ देना है या श्रमिकों का साथ देना है। अगर श्रमिकों का हमने बिल्कुल शोषण करना है तो यह बहुत बढ़िया बिल है।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी ।

14.09.2020/1725/RKS/AG-1

श्री जगत सिंह नेगी...जारी

मैंने तो शुरू में ही पूछा था कि 7 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में कितना निवेश बढ़ा है। कितने नये कारखाने दूर-दराज इलाकों में स्थापित हुए इस बारे में तो आप कुछ नहीं बता रहे हैं। आप नॉन पब्लिक यूटिलिटी का डैफिनेशन लेकर नहीं आए हैं। बिना डैफिनेशन के आप कोई भी शब्द इंसर्ट नहीं कर सकते। कल आप दोबारा संशोधन लेकर आएंगे। आपने यूटिलिटी की डैफिनेशन दी है और नॉन यूटिलिटी का डैफिनेशन नहीं दी है। मेरा सिर्फ

यही कहना है कि जब भाजपा के मोदी राज में देश बिखरा है तो जिसको बेचना है उसको भी बेच लीजिए। हम इस बिल का बिल्कुल विरोध करते हैं।

अध्यक्षः माननीय उद्योग मंत्री जी ।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो-जो पूछा है उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है। जो माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी पूछ रहे हैं कि कितना निवेश हुआ है, इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मेरे पास अमैंडमैंट है इसमें इस प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं दर्शाया गया है। लेकिन मेरे पास जब यह आंकड़ा उपलब्ध होगा तो मैं इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जो अमैंडमैंट्स आपने दी है, कृपया वापिस लें और इस बिल को पास करने में हमारा सहयोग दें।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा और श्री जगत सिंह नेगी जी से आग्रह किया है कि क्या आप अपने संशोधन वापिस लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, मैं बिल का विरोध कर रहा हूं लेकिन संशोधन को इसलिए वापिस ले रहा हूं क्योंकि इसमें जो मेरी मंशा थी वह नहीं आई है। मैं अमैंडमैंट पर अमैंडमैंट लाने के लिए लैजिस्लेशन भी गया था। मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं परंतु बिल का पूरी ताकत से विरोध करता हूं।

14.09.2020/1725/RKS/AG-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी क्या आप अपना संशोधन वापिस लेंगे।

श्री राकेश सिंघाः जी, नहीं।

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्रीः इन दोनों माननीय सदस्यों के संशोधन बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं। इस हिसाब से तो ये दोनों मजदूर विरोधी हैं। इन्होंने '15' दिन की जगह '14' दिन दिया है, इसलिए इनको यह हटाना पड़ेगा।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 व 4 में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा जी से प्राप्त हुए हैं उसे स्वीकार किया जाए।

संशोधन अस्वीकार हुआ।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 2,3,4 व 5 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड- 1, संक्षिप्त नाम और विधेयी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधेयी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यां 5) को पारित किया जाए।

14.09.2020/1725/RKS/AG-3

Shri Rakesh Singha (Theog): Mr Speaker Sir, I walkout from the House in protect against this Bill. Please acknowledge it.

(CPI (M) के सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी सदन से बहिर्गमन कर गए।)

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यां 5) को पारित किया जाए

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्या 5) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्या 5) ध्वनिमत से पारित हुआ।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

14.09.2020/1730/बी0एस0/ए0जी/-1

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खंडशः विचार होगा। खंड-2 पर माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी और माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी के संशोधन आए हैं जो इस प्रकार हैः

14.09.2020/1730/बी0एस0/ए0जी/-2

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) जोकि दिनांक 14 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub- clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Shri Rakesh Singha**	1	2	-	10	for the word "thirty", the words **"fifteen"** be substituted.
2.	**Shri Jagat Singh Negi**	1	2	-		for the word "thirty", the words **"nineteen"** be substituted.

14.09.2020/1730/बी0एस0/ए0जी/-3

अतः खंड 2 चर्चा हेतु प्रस्तुत है।

माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी, कृपया आप अपने विचार प्रस्तुत करें।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) यह जो इंडस्ट्रीयल डिस्ट्रीब्यूटर बिल आया है उसी के साथ का ही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। उद्देश्य और कथन में उसी बात को दोहराया गया है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ही इज डूइंग बिजनेस के लिए है। वही बात लिखी है जो पहले 20 लोगों का कानून था उसे 30 में बदल दिया है। यह जो 3-4 कानून यहां पर आए हैं मैं जिन्हें "काला कानून" कह रहा हूं उसी का भाग यह है। इस समय श्रमिकों का ही शोषण होने वाला है और इसलिए इन्होंने जो 20 की जगह 30 किया है। हम इस संशोधन का विरोध करते हैं। यह आने वाले समय में देश के अंदर पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा करेगा। हेव नॉट और हैप्स की इसमें बहुत बड़ी बढ़ौतरी होगी। इस किस्म के कानून जो 1947 से ले करके उनमें कभी कोई संशोधन नहीं आए। अठाहरवीं सदी में अंग्रेजों के कानून बड़े अच्छे थे। उसके बाद हमारा देश आजद हुआ आजादी के बाद उन्हीं कानूनों को आगे बढ़ाया गया। एक लम्बा इतिहास है जिसका अभी माननीय सिंघा साहब ने जिक्र किया। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। इतने अच्छे कानून बने हुए थे। आज देश में क्या हो रहा है, आज हम श्रमिकों के बजाय पूंजीपतियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और जगह कहां नौकरियां हैं? बड़े-बड़े जो संस्थान है चाहे वह रेलवे हो, पैट्रोल गैस कमिशन हो जितने भी बड़े-बड़े संस्थान है उन्हें आपने बेच दिया है। यह बड़ी साजिश के तहत देश के अंदर लाया गया है। वर्ष 2016 के अंदर आपने इसे लोक सभा में पास कर लिया परंतु आप राज्य सभा में इसे पास नहीं करा सके। यह कंकरंट लिस्ट में है। स्टेट का भी इसमें है और सेंटर का भी इसमें है। देश में जहां-जहां भाजपा सरकार है वहां इसे लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये हुआ, गुजरात में यह हुआ। यह जो भाजपा की सोच है यह पंजीपति सोच है जबकि हमारी प्रस्तावना, हमारा संविधान में शब्द है "समाजवादी गणतंत्र" की नींव की बात करते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप संशोधन के ऊपर बात करें। आप विषय को कहीं-से-कहीं ले जा रहे है।

14.09.2020/1730/बी0एस0/ए0जी/-4

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन हवा में तो नहीं हुआ है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-09-2020/1735/ए.एस.-एन.जी./1

श्री जगत सिंह नेगी जारी.....

उसके पीछे कुछ कहानी या इतिहास रहा होगा और उसका तो जिक्र यहां पर करना ही पड़ेगा।उसके बगैर हम कैसे बोलेंगे, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 30 का 20 या 20 का 10 कर दो, ऐसे तो नहीं होगा, सर। इसका बैकग्राउंड क्या है उसके ऊपर तो बात करनी ही पड़ेगी।

अध्यक्ष : ठीक है आप बोलिए लेकिन अपनी बात को कंक्लूड करें।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, यह इनकी मजबूरी है कि अदानी, अंबानी को खुश तो करना ही पड़ेगा। उनके लिए यह कानून बनाए जा रहे हैं, क्या इनसे हमारे देश का कल्याण होने वाला है? मैं इस माननीय सदन में लिख कर देता हूं कि आपके पांच साल का कार्यकाल खतम हो जाएगा परंतु जिस निवेश की बात आप कर रहे हैं वह ज़ीरो हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल आप लेकर आए हैं यह काला कानून है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

14-09-2020/1735/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) लाया है, जिसके सिलसिले मैं कुछ बाते कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी शायद इस बात से अवगत नहीं हैं कि सरकार यहां पर पकड़ी जाती है। इस सरकार ने in the month of April, कोरोना लॉकडाऊन 23 तारीख को किया गया और आर्डिनेंस आया 7 जुलाई को

लेकिन 21 अप्रैल को हमने Contract Labor Act amend कर दिया।जिसे मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं। सरकार की अधिसूचना से सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है। क्या हो गया था, यह एक महीना भी नहीं है।अभी मजदूर को फैक्ट्री से और मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है तथा वह घर की ओर पैदल चल पड़ा है।मैं जानता हूं मजदूर बच्चों को कंधे पर लेकर बद्दी से बैजनाथ पैदल गए, इसी प्रकार पूरे देश के हालात भी आप जानते ही हैं, मजदूर पीड़ा में था, वे रेल लाइन के नीचे कट रहे थे, उनकी रोटियां वहां पर पड़ी हुई थी, उस समय में हिमाचल प्रदेश की सरकार on 21st April, Contract Labor Act को संशोधित कर रही है। उस समय आपको क्या खतरा पैदा हो गया था? उस समय संशोधन करने की क्या जरूरत थी? आप 7 जुलाई तक वेट कर सकते थे। यहां से आपकी इंटैंशन पता लगती है I am reading the 21st April Notification of Government of Himachal Pradesh, Department of Labour and Employment मैं इसको पढ़ रहा हूं। आर्डिनैंस आया बाद में और आपने इस एक्ट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट मजदूर, आप याद करें कि हमारे देश के अंदर 73 प्रतिशत अन-ऑर्गेनाइज़ड सैक्टर है और हिमाचल प्रदेश में यह 90 प्रतिशत है। उसको हम यह सम्मान दे रहे हैं, कोरोना चला हुआ है, फैक्ट्री से निकाल दिए गए हैं और हम उसके लिए बने हुए कानून में संशोधन करके उसे और कठिन बना रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ रहा हूं "In exercise of powers conferred under Section-5 of the Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that all the factories registered under Factory Act, 1948 shall be exempted from the provision of Section-51 (weekly hours), Section (54 daily hours), Section-53 (Interval of rest) and Section 56 (spread hours) w.e.f. 21st April, 2020, subject to the following conditions:

14-09-2020/1735/ए.एस.-एन.जी./3

1. No adult worker shall be allowed or required to work in a factory for more than twelve hours in any day Seventy Two hours in any week.

Continue in English by DC….

14/09/2020/1740/MS/DC/1
श्री राकेश सिंघा जारी--------

2. The period of work of adult workers in an factory each day shall be so fixed that no period shall exceed six hours and that no worker shall work for more than six hours before he has had interval for rest of atleast half an hour.

3. Wages in respect of increased working hours as a result of this exemption shall be in proportion to existing minimum wages fixed by the Government of Himachal Pradesh under the Minimum Wages Act, 1948. ये देकर फिर आगे आपने एक और कहा, जहां आपने कहा कि उसका दुगुना दाम दे देंगे। पहले कहा कि उसी के आधार पर देंगे और फिर बाद में हमने कहा।

4. Provision of Section -59 regarding overtime wages shall continue to be applicable without any change. इसका मतलब यही था कि ओवर टाइम डबल मिलेगा।

This is by order Additional Chief Secretary, Labour and Employment to the Government of Himachal Pradesh 21 April, 2020. अब सुन लो, यह जो नोटिफिकेशन लाई गई है, यह इलीगल है। It cannot stand the scrutiny of Law, मैं कहना चाहता हूं। आपकी सैक्शन-5 क्या बोलती है जिसके तहत आपने अमैंडमैंट लाई है? सैक्शन-5 बोलता है कि आप कर सकते हैं लेकिन कहां करेंगे, किस हालात में करेंगे 'power to exempt during emergency' यह पब्लिक एमरजैंसी है। किसी ने यदि हमारे मुल्क पर आक्रमण कर दिया, पब्लिक एमरजैंसी डिक्लेयर्ड है, someone has to declare public emergency. यह नहीं है कि लेबर डिपार्टमैंट मान ले कि पब्लिक एमरजैंसी हो गई और हम जो मर्जी करें, जब मर्जी करें और जैसे मर्जी करें, इनको अनुमति नहीं दे सकते। Atleast this House cannot give. This House is supreme to legislate. They have no right. 'Power to exempt during emergency' says that in any case of public emergency, the State (Government) may, by notification, in

the official Gazette, can exempt any factory or class or description of factories from all or any of the provisions of this Act except Section -67. सिर्फ सैक्शन-67 कहता है, वह नहीं करेंगे बाकी सबकुछ हम खत्म कर सकते हैं अगर पब्लिक एमरजैंसी हो जाती है।

14/09/2020/1740/MS/DC/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका विषय आ गया है।

श्री राकेश सिंघा : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिये। आप बैठिये। यह ठीक है कि आप संशोधन दे रहे हैं, आप दीजिए। लेकिन किसी विषय के ऊपर इतना लम्बा भाषण देना उचित नहीं है। आप लिखकर मंत्री जी को दे दीजिए और मंत्री जी उसके ऊपर उत्तर देंगे। दूसरा, आप बार-बार अधिकारी दीर्घा की ओर इशारा कर रहे हैं। यह उचित नहीं है और इस सदन की परम्परा नहीं है। ...(व्यवधान) अग्निहोत्री जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्य को कह रहा हूं। जब आप इशारा करेंगे तो मैं आपको भी रोकूंगा। ये संशोधन दे रहे हैं और मंत्री जी उत्तर देंगे। इशारे इस तरफ(अधिकारी दीर्घा की ओर) हो रहे हैं। आप मेरी तरफ सम्बोधित कीजिए। आप लम्बी बात न करें और एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो हम अमैंडमैंट लेकर आए हैं उससे को-रिलेटिड विषय को माननीय सदस्य रखें। हमने जो ठेकेदारों को 20 कामगारों की रजिस्ट्रेशन को 20 से बढ़ाकर 30 किया है, आप उस विषय पर बोलिए। हमने तो केवल यही अमैंडमैंट लाई है और कुछ नहीं लाए हैं। आप तो दूसरी तरफ चल पड़े। आप कुछ और ही वायलेशन्ज की बात कर रहे हैं। कृपा करके इस बारे में आप इस समय बात कीजिए। बाकी चर्चा आप बाद में मांग लीजिए। लेकिन हमने 20 से 30 किया जो आपको अच्छा नहीं लगा और क्यों नहीं लगा, इसके बारे में बोलिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राकेश सिंघा : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष : ठीक है आप मज़दूर हितों की बात कर रहे हैं लेकिन आप इस अमैंडमैंट पर बोलिए।

श्री राकेश सिंघा जारी जे0के0 द्वारा----

14.09.2020/1745/JK/DC/1

श्री राकेश सिंघाः-------जारी--------

Shri Rakesh Singha: I am continuing with Section 5 - power to exempt during public emergency, which says that, 'provisions of this Act 6[except section 67] for such period and subject to such conditions as it may think fit:

Provided that no such notification shall be made for a period exceeding three months at a time.

[Explanation.- For the purposes of this section च्public emergencyछ means a grave emergency whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance.]'. जिसका मतलब है कि एक आकार जो चैलेंज हो गया है स्टेट को, वह है। It is not because of COVID-19. आप इसको internal disturbance में शामिल नहीं कर सकते। इसके बाद आपने क्या किया? आपने दूसरी नोटिफिकेशन 13 अगस्त को लाई, जब आपकी यह 20 जुलाई को खत्म हो गई। ....(व्यवधान) आप बताएं कि क्या ज़रूरत थी लाने की?

अध्यक्षः माननीय सदस्य महोदय, आप बैठिए।

श्री राकेश सिंघाः जब आपने 7 जुलाई को ऑर्डिनैंस लाया तो क्या जरूरत थी 13 अगस्त को आप दोबारा इस नोटिफिकेशन को करते और तीन महीने के लिए एक्सटैंड करते? आप बताएं कि which authority decided कि हमारे देश पर आक्रमण हो गया था। ....(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिए। आपका विषय आ गया है।

श्री राकेश सिंघाः अब इस प्रश्न को ले कर आएं ....(व्यवधान) हम क्या कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं कि जब हम इसको 20 से 30 के लिए बढ़ा रहे हैं तो हम सारे मज़दूरों को जो under the Contract Labour Act के तहत, जो सुविधा ले सकते थे, सभी को हम वंचित

14.09.2020/1745/JK/DC/2

कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि 90 प्रतिशत वर्कर हमारे यहां पर वे हैं जिनकी स्ट्रैंथ 20 से कम है, जो अस्टेब्लिशमैंट्स हैं, कम है और इसका आपको भी पता है कि किस तरीके से वह तोड़-मरोड़ कर इसको कर लेते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो सारी सुविधाओं से वंचित, यहां तक कि उस सुविधा से भी जो आप इ.पी.एफ. काटते हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी का है, एक भी जमा नहीं करेगा। वह क्या लेगा कि अब मेरे पास मज़दूर 30 हैं और 30 से नीचे कोई कानून नहीं होगा। ....(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज कम्पलीट करें।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, जैसे यह कानून पहले एग्जिस्ट करता था, उसी रूप में इसको रहने दो। अगर हम मज़दूर के पक्ष में करना चाहते हैं, अगर हम 30 कर देंगे तो यह उसके पक्ष में नहीं जाएगा। वह कानून अस्टैब्लिशमैंट के पक्ष में जाएगा, जो इस कानून के ज़रिए वह चाह रहा है। हम इसे मज़दूर के लिए लैजिस्लेट नहीं कर रहे हैं, हम लैजिस्लेट इम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं। ....(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, काफी हो गया, आपके सुझाव आ गए।

श्री राकेश सिंघाः मज़दूरों के हकों को छीन कर, एस्टैब्लिशमैंट के पक्ष में, पूंजीपतियों के पक्ष में यह कानून आप बनाना चाहते हैं।

अध्यक्षः ठीक है, माननीय सदस्य जी, आप बैठ जाएं। श्री होशयार सिंह जी, आप भी अपना हाथ उठा रहे हैं। आप इसके ऊपर सुझाव दें। विषय से हट कर बात न करें।

श्री होशयार सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, केवल दो मिनट बोलूंगा। कॉंट्रेक्टर लेबर एक्ट, यह कान्ट्रेक्टर लेबर कहां पर लगती है, मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा। कान्ट्रेक्टर लेबर वहां लगती है, जहां 12 महीने काम नहीं होता। जैसे कोई बड़ी कम्पनी ने पैकिंग करनी है, पैकिंग का काम महीने में सिर्फ एक दिन का है, तो वह कहां से लाएगा तो कॉंट्रैक्ट लेबर जो होता है, उससे लेबर मंगवाता है और फिर काम करवाता है। रोड़ कॉंट्रैक्टर

14.09.2020/1745/JK/DC/3

पी.डब्ल्यू.डी. में और आई.पी.एच. में लगते हैं, जिनके पास 12 महीने काम नहीं होता । काम वहीं होता है, जहां दो या तीन महीने का काम होगा, जहां पर कॉंट्रैक्ट लेबर या कॉंट्रैक्टर्ज़ से अपनी लेबर मंगवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो कानून में अमैंडमैंट लाई गई है, यह उस दिशा में लाई गई है कि जहां पर 12 महीने काम नहीं है, जहां पर कम काम है, 2 महीने, 6 महीने तक का काम है, वहां पर कॉंट्रैक्ट लेबर सिस्टम परफेक्ट सिस्टम है। यदि हम दूसरे कानून को यहां पर लगाएं तो यह लेबर हमें नहीं मिलेगी और काम से हम वंचित होंगे। इस कानून का मैं समर्थन करता हूं। यह बिल्कुल सही कानून है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

14.09.2020/1745/JK/DC/4

अध्यक्षः माननीय उद्योग मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, यह ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) मुझे इसमें हैरानी भी है कि एक ठेकेदार के पास काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा कर उसकी जो रजिस्ट्रेशन और लाइसैंसिंग होती है, उसके लिए प्रावधान है। यहां पर यह बोला जा रहा है और जितना श्री राकेश सिंघा जी ने बोला और ये फेक्टरी एक्ट के बारे में बोलते रहे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

14.09.2020/1750/SS-HK/1

उद्योग मंत्री क्रमागत :

हम तो केवल यहां पर इतना विषय लेकर आए कि वर्तमान में ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के अनुसार मुख्य इम्लॉयर और ठेकेदार को 20 कामगारों पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसैंस लेना अनिवार्य है। इसके कारण कई ठेकेदार 20 से कम कामगार ही रखते हैं जिसके परिणामस्वरूप कामगारों की कमी की समस्या पाई जा रही है। इसलिए धारा-1 में संशोधन का प्रस्ताव है तथा 20 कामगारों के स्थान पर 30 कामगार रखने की छूट दी जा रही है। इससे रोज़गार में भी बढ़ावा मिलेगा और जो कामगार कोविड-19 के कारण से दूसरे प्रदेशों से वापिस आ गए हैं उन्हें भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे और कामगारों की कमी से छुटकारा पाया जायेगा। केवल इसमें इतना संशोधन है इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल और केवल ठेकेदार को जिसकी रजिस्ट्रेशन 20 पर होती थी अब 30 पर करने को बोला है। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि इसमें क्या बड़ा फेरबदल हो गया। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इसको अदरवाइज न लें। इसमें कोई बहुत ज्यादा विवाद का विषय आने वाला नहीं है इसलिए मेरा माननीय जगत सिंह नेगी और श्री राकेश सिंघा जी से निवेदन है कि आपने जो संशोधन दिये हैं उन्हें वापिस लें, धन्यवाद।

अध्यक्ष : ...(व्यवधान)... बस काफी हो गया, अब कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। आप सिर्फ संशोधन वापिस लें। ...(व्यवधान)...

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मंत्री महोदय से क्षमा मांगनी है।

अध्यक्ष : गलती नहीं, सिंघा साहब उत्तर हो गया। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। आपकी सारी बात आ गई है इसलिए आप बैठिये। क्या आप अपना संशोधन वापिस लेते हैं? ...(व्यवधान)...मंत्री जी ने जगत सिंह नेगी और आपसे अपील की है कि क्या आप अपने संशोधन वापिस लेंगे?

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन वापिस नहीं लूंगा। मैं अपने को कॉरैक्ट करना चाहता हूं आप मुझे कॉरैक्ट करने का मौका दें।

14.09.2020/1750/SS-HK/2

अध्यक्ष : आपने 15 मिनट अपनी बात रखी है। क्या आप संशोधन वापिस लेने के लिए हां करते हैं?

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, नहीं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप हां करते हैं या नहीं, मंत्री जी ने यह अपील की है। आप बैठिये। नहीं, आप बैठिये। बहुत हो गया। आपने बहुत विस्तार से सारी बात रखी है। आपको यहां पर बोलने का पूरा मौका देते हैं। इसलिए आप बैठिये। ...(व्यवधान)... नहीं, सिंघा जी, आप बैठिये। आपको बोलने का पूरा मौका दिया इसलिए अब आप बैठिये प्लीज़। ...(व्यवधान)... मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है उसके बाद स्पष्टीकरण की कोई बात नहीं रहती, इसलिए आप बैठिये। आपने संशोधन वापिस लेने के लिए न कही है। ...(व्यवधान)... प्लीज़ आप बैठिये। मैंने आपसे भी (श्री जगत सिंह नेगी जी से) पूछा था और आपने नहीं कहा।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया है, मैं उसे वापिस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात आ गई इसलिए आप बैठिये। इसमें तो सिर्फ हां और न में ही उत्तर देना होता है। इसमें ज्यादा बड़ी बात करनी नहीं होती।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि खंड में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी और श्री राकेश सिंघा जी से प्राप्त हुए हैं उनको स्वीकार किया जाए।

(संशोधन अस्वीकार)

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड-2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

14.09.2020/1750/SS-HK/3

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय उद्योग मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

उद्योग मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6)को पारित किया जाए।

जारी श्रीमती के0एस

14.09.2020/1755/केएस/एचके/1

अध्यक्ष जारी---

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) ध्वनिमत से पारित हुआ।

14.09.2020/1755/केएस/एचके/2

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

खण्ड 2,3,4 व 5 पर माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी व श्री राकेश सिंघा जी से संशोधन आए हैं जो कि इस प्रकार हैंः-

14.09.2020/1755/केएस/एचके/3

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) जोकि दिनांक 14 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूचीः-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Shri Rakesh Singha**	1	2	(a)	10	for the words "twenty", he words **"eight"** be substituted.
		1	2	(b)	12	for the words "forty", the words **"fifteen"** shall be substituted.
		1	3	(iv)	15&16	for the word "one hundred and fifteen" , the words **"seventy five"** be substituted.
		2	4	-	2	or the words "twenty" and "forty", the words **"eight"** nd **"fifteen"** be substituted.
		2	5	-	4-19	lause 5 be deleted
2.	**Shri Jagat Singh Negi**	1	2(a)	-	10	for the words "twenty", he words **"fifteen"** be ubstituted.

अतः खण्ड 2,3,4 व 5 चर्चा हेतु प्रस्तुत हैं। माननीय सदस्यों ने जो इस पर चर्चा प्रस्ताव दिए हैं, मेरा अनुरोध है कि वे सम्बन्धित विषय पर ही बोलें।

14.09.2020/1755/केएस/एचके/4

उसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब श्री जगत सिंह नेगी जी, अपनी बात रख सकते हैं।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास का काला दिन है और लगातार यह तीसरा काला कानून है और श्रमिकों के शोषण के लिए जो यह बिल आ रहा है, इसमें पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ी जल्दबाज़ी में लाया गया है। जो 'Extract of the provisions of the Factories Act, 1948' इसका जो ऐक्सट्रेक्ट यहां पर दिया गया है, ये भूल ही गए, ये 106 का संशोधन चाह रहे हैं और इसका एक्सट्रेक्ट दिया ही नहीं है। अब हम कहां पर देखें कि 106 था क्या? इसी प्रकार पहले भी एक-आध बिल में हुआ है। तो यह बिल बिना सोचे-समझे लाया जा रहा है और हमें मिसलीड किया जा रहा है। 106 में आप व्यापक संशोधन ला रहे हैं और उसका एक्स्ट्रेक्ट में ज़िक्र ही नहीं है। उससे लगता है कि सरकार की मन्शा ठीक नहीं है। फैक्टरी एक्ट का बड़ा लम्बा इतिहास है। इंडस्ट्रियल रेवेल्यूशन के टाइम में इंगलैंड में उस समय फैक्ट्रीज़ शुरू हुई थीं और उस समय 7 साल तक के छोटे-छोटे बच्चों को भी कारखानों में लगाया जाता था तो वहां के मज़दूरों ने बड़ा लम्बा संघर्ष करके इस किस्म के कानून को वहां लाया और जब हमारा देश गुलाम था, तो इस किस्म का कानून हमारे देश के अंदर भी लाया । 7 साल से बढ़ाकर फिर 14 साल उम्र की गई और देश आजाद होने के बाद मज़दूरों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया। यह जो फैक्ट्रीज़ एक्ट है, इसको सख्ती से लागू किया गया। इसमें नए-नए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन्ज़ जो हमारे श्रमिकों के फायदें में थे, उनको लाया गया। परन्तु वर्तमान सरकार की मन्शा इस एक्ट की जो खूबियां थीं, उनको कमज़ोर करके फिर से पूंजीपतियों को फायदा देने की बात हो रही है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.9.2020/1800/av/yk/1

श्री जगत सिंह नेगी-------जारी

इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप मज़दूरों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि फैक्ट्री एक्ट न लगे। पहले फैक्ट्री एक्ट 20 पर लगता था परंतु अब आप उसको बढ़ाकर आगे करना चाहते हैं ताकि मज़दूरों का शोषण होता रहे। आप फिर 106 में जो संशोधन ला रहे हैं; अगर कोई भी उद्योगपति शोषण करता है या इस कानून का उल्लंघन करता है तो कानून के तहत पहले उसको बहुत सख्त सज़ा रखी गई थी। उसको जेल का प्रावधान था। आप इस समय केवल एकतरफा कानून ला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको अब जेल में नहीं डाला जायेगा, अब आप उसको कंपाऊंड करेंगे। कंपाऊंड तो करेंगे ही क्योंकि पूंजीपतियों के पास पैसे की कमी तो होती नहीं, वह जेल से फटाफट कंपाऊंडिंग में आ जायेगा और कंपाऊंडिंग की पावर आपने इंस्पैक्टर्स को दी है। ...(व्यवधान) Hon'ble Speaker, Sir, this is wrong. He is not the Industries Minister. He cannot intervene.

Speaker: Hon'ble Member, he is the Parliamentary Minister. He can intervene.

Shri Jagat Singh Negi: Sir, No. He is Minister but he is not in charge of the Bill. He can speak in regard to this Bill. But he cannot intervene. This is a wrong precedent. This is totally wrong. I am not yielding. ...(Interruption)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। आपको बोलने का मौका दिया जायेगा। ...(व्यवधान)

Shri Jagat Singh Negi: Hon'ble Speaker, Sir, as I have said that he is not the Minister in charge of the Bill. He cannot intervene. ...(Interruption)

14.9.2020/1800/av/yk/2

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्यमन्त्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं।

Parliamentary Affairs Minister: Hon'ble Speaker, Sir, why cannot I intervene? I am the Minister of Parliamentary Affairs as well as the Law Minister.

(...Interruption) Sh. Jagat Singh Negiji, you are misleading the House. There is no such provision (...Interruption). The compounding will be in the case of fine only and for jail there is no compounding. It is in the Act itself and he is misleading the House. He is an advocate. How can he mislead the House? अगर आपने यहां पर कोई संशोधन लाना है तो लाइए मगर इस तरह से हाउस को मिसलीड मत कीजिए। अगर आप कानून भूल गए हैं या आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो यहां पर मत बोला कीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) वैसे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुर्सी से अनुमति लेकर बीच में इस प्रकार के विषयों पर इंटरवीन कर सकते हैं। आपने संशोधन दिया है और हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर जब भी किसी बिल पर चर्चा होती है और जो कोई भी उस पर अपनी अमैंडमैंट मूव करते हैं तो उसी पर बोलते हैं तथा उसमें उन्हें केवल अपने प्वाईंट को क्लीयर करना चाहिए। अमैंडमैंट देते हुए एक जनरल भाषण नहीं दिया जाता। अगर कोई फैक्ट्स पर नहीं बोलें तो सत्ता पक्ष से किसी भी सदस्य को यह बोलने का पूरा अधिकार होता है कि आप तथ्यों पर नहीं बोल रहे हैं। यहां पर जहां तक शहरी विकास मंत्री जी बीच में उठकर बोले हैं तो भले ही यह विभाग किसी दूसरे मंत्री के पास है। मगर इनको मालूम होना चाहिए कि ये संसदीय कार्य मंत्री हैं और कानून मंत्री भी हैं। कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का बिल पर बोलने का पूरा अधिकार होता है। इनको जहां भी यह लगता है कि तथ्यों पर बात नहीं हो रही है या जो संशोधन लाया गया है वह उस कानून के मुताबिक नहीं है तो इनको बोलने का पूरा अधिकार है। ...(व्यवधान) बाकी मैम्बर भी बोल सकते हैं मगर इस तरह से कहना कि आपके पास मंत्रालय नहीं है, तो यह बात ठीक नहीं

है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि किसी भी संशोधन पर बहुत ही स्पेसिफिक और प्रीसाईज तरीके से बोलते हैं कि मैं इस सैक्शन के फलां पार्ट में यह संशोधन इस मंशा से

लाया हूं। लेकिन उस पर जनरल बात करना या उस पर राजनैतिक भाषण देना बिल्कुल उचित नहीं है।

श्री टी सी द्वारा जारी

14.09.2020/1805/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगत सिंह जी ने जो संशोधन दिया है, उसमें लिखा है कि 20 श्रमिकों के स्थान पर 15 किया जाए। ये उसमें तर्क दें। कम्पाउंड जहां डिफाइन किया है, वह आप सारे सदन को बताइये। सजा में हमने कहां ऐसा प्रावधान किया है कि सजा नहीं होगी, सिर्फ कम्पाउंड होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस प्रकार से सदन को गुमराह न करें।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी, कृपया आपने जो अमेंडमैंट दी है, उसी पर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री जगत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आज पहली बार मुख्य मंत्री जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि आप जिस अमेंडमैंट पर बोल रहे हैं, उसके उद्देश्य के बारे में बोलें। यह इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जिस अमेंडमैंट को लाया है, मुझे उसके कारण तो बताने ही पड़ेंगे। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, नहीं, फिर वह भाषण हो जाएगा और भाषण और अमेंडमैंट में कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। इसलिए यहां पर भाषण का समय नहीं है, अमेंडमैंट का समय है।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, बिल में आपने उद्देश्य और कारण बताए हैं इसलिए हम भी संशोधन का कारण बता रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि "106 B. Compounding of offences.- Any offence punishable under this Act with fine

only and committed for the first time, may subject to any general or special order of the State Government, be compounded by the Chief Inspector, either before or after the institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, but not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is compounded." मैं भी यही बात 14.09.2020/1805/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

कह रहा था। इससे पहले दो बिल यहां पर आए और यह तीसरा बिल है, मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूं। जैसे मैंने कहा कि यदि हम इस बिल को पास करेंगे तो हमारी भविष्य की पीढ़ियां याद रखेगी कि हमने किस प्रकार के बिल इस माननीय सदन के अंदर पारित किए हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सिंघा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, वैसे तो आपने काफी विस्तार से अपनी बात कह दी है। मेरी आपसे विनती है कि आपने जो संशोधन दिए हैं, आप उसी के संदर्भ में बोलें।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली दफ़ा जो कोट किया था मैं उसको विदड्रॉ करता हूं । The two notifications by the Labour & Employment Department, one of 21st April, 2020 and the other of 13th August, 2020 and it be read with this Act. ...(व्यवधान) मैंने गलती मान ली है, मैं भगवान तो हूं नहीं। । admitted so that रिकॉर्ड करैक्ट हो जाए और वह इसके साथ जुड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सल शिकागो से शुरू हुआ। 8 घण्टे का दिन हो और हफ्ते का एक अवकाश हो, यह बात सभी को मालूम है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने 8 घंटे के दिन को अमेंड करके 12 घंटे का दिन कर दिया। दुनिया यह कह रही है कि ज्यादा-से-ज्यादा लेजर का टाइम हो जिससे पूरी ह्यूमन डवलपमैंट हो। लेकिन हम मजदूर को कह रहे हैं कि आप 8 से 12 और 12 से जो accepted principle, International Labour Organization, हम उसके पार्ट हैं, हमारा देश उसका पार्ट है। India is signatory to the ILO (International Labour Organization) जो यह कहता है कि

ओवर टाइम कितना होगा? उसको भी हमने एक्सिड कर दिया। ये जो क्लॉज-3 में सैक्शन-65 है,

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी ।

14.09.2020/1810/RKS/AG-1

श्री राकेश सिंघा ... जारी

आपने जो अमैंडिड बिल में लाया है, in section 65 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (iv), for the words "seventy-give", the words "one hundred and fifteen, subject to the condition that overtime shall have to be paid twice the rate of ordinary wages" shall be substituted. पहले जो ऑवर-टाइम का कानून था उसमें 65 घंटे अलाउड थे और इसको मोनिटर किया जाता था। पहले जो संशोधन लाया गया उसमें कहा गया कि- हफ्ते में कितना होगा और 15 दिन में कितना होगा। फिर उसमें कहा गया कि एक क्वार्टर में आप मजदूर से 75 घंटे से ऊपर काम नहीं लेंगे। सोलहवीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति में मजदूर की मांग यह थी कि इन घंटों को कम किया जाए। हम 73 साल की आजादी के बाद forced labour लेने के लिए यह अमैंड कर रहे हैं जिसे हम enslavement कहते हैं। अगर मजदूर को काम करते-करते नींद आ जाएगी तो उसे सजा दी जाएगी। (...व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आप भी तर्क देते हैं जैसे आपका तर्क होगा कि हमने दोगुना ऑवर-टाइम देने का प्रावधान किया है। मुझे अपना लोजिक तो देने दीजिए। आप हमें सच्चाई बताएं कि कितने उद्योग double the overtime देते हैं? कोई नहीं देता है। आपने जो नया सैक्शन इंसर्ट किया है इससे आप क्या संकेत देना चाहते हैं? जैसा माननीय जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि जब हम नया सैक्शन इंसर्ट कर रहे हों तो उस नये सैक्शन को इंसर्ट करने से जो for violation of any section of the act में प्रावधान था कि प्रोसिक्यूट होगा, वह अब नहीं है। अब आप का कहने का अर्थ है कि जितनी मर्जी उल्लंघना करो

आपको प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। जो फैक्टरी का इंस्पैक्टर है वह इसको रफा-दफा कर देगा। मैं किसी पर अंगुली नहीं उठाना चाहता हूं लेकिन व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप पहले सैक्शन से आखिरी सैक्शन तक वॉयलेशन का पूरा मौका दे रहे हैं। मेहरबानी करके आप इस सैक्शन को डिलीट करें and already there is a

14.09.2020/1810/RKS/AG-2

provision in the Act कि जहां पर यह वॉयलेशन होगा उसका तौर-तरीका क्या अख्तियार किया जाएगा। वह Section-106 A में है, उसको बरकरार रखा जाए और 106 बी. को डिलीट किया जाए क्योंकि यह anti-worker class, anti law है इसके लिए आप ऐसा न कीजिए और go by the Constitution of India जिसको हम Right to Life and Liberty कहते हैं जिसके अंदर आपका जो वर्किंग डे है वह 8 घंटे रखा गया है। जो अमैंडमैंट आपने यहां पर रखी है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। क्योंकि न ये विकास के पक्ष में है, न मजदूर के पक्ष में है और न ही प्रदेश के पक्ष में है।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री होशयार सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री होशयार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस कारखाना अमैंडमैंट के बारे में अपना पक्ष रखना चाहता हूं। मैं सदन से कहना चाहूंगा कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। यह एक्ट हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में इम्प्लीमैंट हो चुका है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

14.09.2020/1815/बी0एस0/ए0जी0/-1

श्री होशयार सिंह जारी...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी Factories Amendment Act के बारे में अपना पक्ष रखना चाहूंगा। मैं माननीय सदन सदन से कहना चाहूंगा कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, यह जो एक्ट

है यह हिन्दुस्तान के सारे प्रदेश में लागू हो चुका है। महाराष्ट्र में यह एक्ट वर्ष 2016 में अपना लिया गया है। This has been accepted in all the States i.e. Gujarat and Uttar Pradesh etc. इसमें कुछ अच्छाई होगी तभी उन्होंने इसे माना है। जो चीजें आप हिमाचल प्रदेश में आज ला रहे हैं यह तो पुरानी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि in Gujarat, the companies that set up within a year of the law coming into effect will be eligible for the exemption of almost all the Labour Laws for the period of 1200 days as per the Ordinance. The Gujarat Governor has approved this Ordinance to exempt all the new business for three years i.e. Labour Laws. हम कहा खड़े हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सर, यह कानून आज से 10 वर्ष पहले लाना चाहिए था उसे आप आज ला रहे हो। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यह हिम्मत की और इसे संशोधन के लिए रखा। The Gujarat top State Government officials said that the Governor nod to the Ordinance which came earlier this week and it has not been sent to the President, Shri Ram Nath Kovind assent on Wednesday. In Gujarat, the new firms will be exempted from all Labour Laws except Minimum Wages Act, Employees Compensation Act and Safety Act related to the factories आज फैक्टरी एक्ट का उद्देश्य क्या है, What are the objectives of the Factories Act? इसका मेन ऑब्जेक्ट है to safeguard the interests of the workers and to protect them from the exploitation. The Act prescribes certain standards with regard to the health, safety, welfare and working hours of the workers. ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको आपने जरूरत के हिसाब से पूरा किया है लेकिन जिस तरह से हमारे सदस्य माननीय नेगी जी पूंजीपतियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये वर्करों का शोषण करते हैं। So I ask you what is the definition of "punjipati". पूंजीपति का अर्थ क्या है? हर दुकानदार, हर कोई जो अपना व्यापार करता है, भले ही वह चाहे दूध बेचने से संबंधित हो वह पूंजीपति कहलाया जाता है। क्या वह शोषण करता है? हर बिजनेस मैंन के बारे में आप कह रहे हैं कि वह शोषण करता

14.09.2020/1815/बी0एस0/ए0जी0/-2

है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है; क्या हम प्रदेश से पूरे उद्योगपतियों को वापिस कर दें? This is wrong, Sir. This message will give very wrong message to all the industries who are coming for the investment in Himachal Pradesh. The word "punjipati" which you are using is very much wrong, Sir. My humble request to you is that कि आप बड़े हैं परंतु आप पूंजीपतियों का गाली न निकालें। अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि इस पूंजीपति ने गलत किया है तो आप उसे रिर्काड में लाएं और उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप एक पूंजीपति के लिए सारे पूंजीपतियों के लिए गाली न निकालें और सभी को बुरा न कहें। This will give a very wrong message to all the investors who are coming to invest in Himachal. यहां पर ओवर टाइम की बात की गई। ओवर टाइम हमारे उद्योगों में तीन सिफ्टें आठ घंटे की निर्धारित होती हैं। हम भी उद्योग चलाते हैं। यदि किसी के पास ज्यादा लेबर है या किसी के पास ज्यादा काम है तो वह मेनेजमैंट वर्करों से पूछता है कि क्या आपको ओवर टाइम करना है, या नहीं करना है? यदि वर्कर्ज की सहमति होगी तो ही वह ओवर टाइम करेगा नहीं तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती कि आप जबदस्ती ओवर टाइम करोगे। There is no rule or law which can tell anybody or any worker कि आप जबरदस्ती काम करोगे। वर्कर अपनी मर्जी से यह कार्य करता है ताकि उसे दो पैसे ज्यादा मिल जाए और उसे मिलते भी हैं। हर कोई उसे डबल पैसा देता है। यह मेरा अपना अनुभव है मैंने भी इंडस्ट्री चलाई है। ज्यादा न कहते हुए यह जरूर कहूंगा कि यह जो संशोधन आप ले करके आए हैं इसे लाने में आप लेट हो गए हैं। यह संशोधन पहले आ जाना चाहिए था। इससे जरूर हमारे उद्योगों को फर्क पड़ेगा और एक अच्छा महौल बनेगा। दोनों के लिए win-win situation होगी वर्करों के लिए भी होगी वह भी हमारे हैं और उद्योगों के लिए भी होगी क्योंकि वह भी हमारे हैं। This amendment is for win-win situation. I support this amendment. Thank you, Sir.

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-09-2020/1820/ए.एस.-एन.जी./1

श्री होशयार सिंह के पश्चात.....

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) पर माननीय सदस्य जो संशोधन लाना चाहते हैं उसके ऊपर डीटेल में चर्चा की गई है। मैंने पहले भी बीच में खड़े होकर निवेदन किया था कि हम कई बार यहां पर खड़े-खड़े चीजों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं और जिससे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश कोई इतिहास रचने जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह का क्योंकि इन्होंने बहुत-सी ऐसी बातों पर प्रकाश डाला है जो एक्चुअल में हैं। ट्रेड यूनियन में काम करने वाला व्यक्ति व नेता स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है कि मेरा कर्मचारी जिस समय फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसे ओवर टाइम मिलना चाहिए। आज यहां पर ओवर टाइम को बढ़ाने की बात की जा रही है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। एक्ट में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति से जबरन ओवर टाइम करवाया जाएगा। उसकी मर्जी होगी तो वह ओवर टाइम करेगा और मर्जी नहीं होगी तो वह ओवर टाइम नहीं करेगा। लेकिन इस प्रकार से बोलना कि इस संशोधन के कारण से पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत है। माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने कम्पाऊंड के विषय में कहा है और मैं इसकी ग्राउंड रिएलिटी के ऊपर भी बोलूंगा। वर्तमान में कारखाना अधिनियम-1948 जोकि एक केन्द्रीय कानून है के अनुसार छोटी-छोटी इकाइयां भी कारखाने की परिभाषा में आती हैं। जिन इकाइयों में बिजली की साहयता से कार्य होता है वहां पर 10 श्रमिक और जहां पर बिना बिजली के कार्य होता वहां पर 20 श्रमिक कार्य कर रहे हों तो ऐसी इकाइयां कारखाने की परिभाषा में आते हैं। हमने एक संशोधन किया कि जहां पर बिजली की सहायता से कार्य होता है वहां पर 10 के स्थान पर 20 श्रमिक और जहां पर बिना बिजली के कार्य होता है वहां पर 20 के स्थान पर 40 श्रमिक कार्य कर रहे हों तो ऐसी इकाइयां कारखाने की परिभाषा में चली जाएंगी। उसके साथ ही यहां पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि धारा-85 के अनुसार राज्य सरकार उन कारखानों में भी एक्ट के उपबंदो को लागू कर सकती है जहां पर क्रमशः 20 या 40 से कम श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

14-09-2020/1820/ए.एस.-एन.जी./2

हमने इसमें संशोधन कर दिया है लेकिन उसके अलावा भी धारा-85 में प्रावधान किया गया है कि यदि कहीं पर संख्या कम है तो वहां पर भी हमारा कानून लागू होता है। अतः यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे कारखाने जहां पर श्रमिको की संख्या कम है परंतु एक्ट के प्रावधान लागू करने आवश्यक हैं तो वहां पर भी सरकार को यह अधिकार है। माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी कहना चाहूंगा कि दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया है कि पहले कोई भी श्रमिक तीन महीने में 75 घण्टे का ओवर टाइम कर सकता था जिसे हमने बढ़ा कर 115 घण्टे कर दिया है। यह कोई एक महीने का विषय नहीं है, 90 दिन के अंदर श्रमिक को 115 घण्टे का ओवर टाइम लगाने का प्रावधान किया गया है और जिसका पैसा उसे डबल मिलेगा। यह मजदूर की मांग है और उसे लगता है कि मुझे ओवर टाइम मिलना चाहिए जिससे उसे पैसे ज्यादा मिलेंगे और उसका काम ठीक प्रकार से चलेगा। यह व्यवस्था इसलिए दी गई है क्योंकि यह मजदूरों के द्वारा हमें मांग की गई है। जिस समय हमारी बातचीत मजदूरों के साथ हुई थी उस समय उन्होंने हमें कहा था कि इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए और आप उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि ओवर टाइम के लिए इम्पलायर को साधारण मजदूरी के स्थान पर दोगुनी मजदूरी देनी पड़ेगी। इससे श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी होगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान एक्ट में अपराधों को कम्पाउंड करने का प्रावधान नहीं है। जिसके कारण अभियोजन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जब कम्पाउंड का विषय नहीं है तो सभी मामले आगे जा रहे हैं और उसके कारण से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है तथा उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है। मामलों की संख्या कम करने हेतु कम्पाउंड का प्रावधान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि केवल वही अपराध कम्पाउंड होंगे जिनकी सजा केवल जुर्माना है,

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

14/09/2020/1825/MS/AG/1

उद्योग मंत्री जारी--------

वही कम्पाउंड होंगे तथा जो अपराध पहली बार किए गए हों। जिन अपराधों में सजा कैद है, वे अपराध कम्पाउंड नहीं होंगे और अपराध अगर दूसरी बार किया गया होगा, वह भी कम्पाउंड नहीं होगा। आपका यह कहना कि ये कम्पाउंड कर दिये और बाकी सारे छोड़ दिये, उसका क्या होगा तो इसमें सारी-की-सारी व्यवस्था की गई है। एक बात आपने और कही है कि सैक्शन-106 में कोई संशोधन नहीं किया है। यहां नया सैक्शन-106-बी जोड़ा जा रहा है। अतः इसका एक्सट्रैक्ट बिल में नहीं है क्योंकि सैक्शन-106 भी पहली बार ही जोड़ा गया है। यह भी मैं आपको क्लीयर करना चाहता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, इस प्रकार की भ्रांति आपके मन में नहीं होनी चाहिए। मेरा दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपा करके अपने संशोधनों को वापिस लें और इस बिल को पास करने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी व श्री जगत सिंह नेगी जी अपने संशोधन वापिस लेते हें?

श्री जगत सिंह नेगी : ये जो संशोधन दिए हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जगत सिंह नेगी जी, इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। आप बैठ जाइये। आप हां या न में उत्तर दीजिए ताकि कार्यवाही आगे बढ़े। ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है कि हम बार-बार किसी विषय पर उठें और कहें कि हमें बोलने का मौका दो। आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री जगत सिंह नेगी : यह श्रमिकों के खिलाफ हैं इसलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं।

(विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के विधायक तथा माकपा के विधायक श्री राकेश सिंघा जी सदन से बहिगर्मन कर गए।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के न कहने पर;

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2, 3, 4, 5 व 6 में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा जी से प्राप्त हुए हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये?

(संशोधन अस्वीकार हुए)

14/09/2020/1825/MS/AG/2

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5 व 6 विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5 व 6 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "कारखाना(हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020)(2020 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाये।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "कारखाना(हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020)(2020 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाये।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि " कारखाना(हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020)(2020 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाये।

तो प्रश्न यह है कि "कारखाना(हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020)(2020 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

कारखाना(हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020)(2020 का विधेयक संख्यांक 7)" ध्वनिमत से पारित हुआ।

14/09/2020/1825/MS/AG/3

नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव है।

अब श्री किशोरी लाल जी नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री किशोरी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने बारे प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने बारे प्रस्ताव पर विचार किया जाये। अब श्री किशोरी लाल जी अपना विषय रखेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है और हिमाचल प्रदेश में किसानों/बागवानों के लिए पशु पालन विभाग एवं डेयरी क्षेत्र,

जारी जे0के0 द्वारा-----

14.09.2020/1830/JK/DC/1

श्री किशोरी लालः------जारी--------

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विशेषकर रोज़गार के साधन मिलते हैं और इसके अलावा इससे वहां पर बहुत से गरीब लोगों को फायदा होता है। हिमाचल प्रदेश में मिल्क फैडरेशन वर्ष 1980 में पंजीकृत किया गया था। तब से लेकर आज तक दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की स्थापना सहकारी सभाओं द्वारा गठित उद्देश्यों हेतु की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों में सहकारी समितियों को, लोगों को फायदा देना था । आज हिमाचल प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल में बहुत सारा कार्य इस क्षेत्र में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए गांव स्तर पर अवेयरनैस कैम्प लगाए जाए जा रहे हैं। वर्ष 2003 और 2004 में सहकारी समितियों की जो संख्या मात्र 365 थी। आज बताते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 2019-20 में यह संख्या 1,011 से अधिक हो चुकी है। दूध की खरीद को बढ़ाने के लिए जिस ढंग से हमारे प्रसंघ ने गुजरात अनन्त पद्धति को अपनाया और हमारे प्रदेश में जिस ढंग से पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दूसरे प्रदेशों से दूध की सप्लाई तथा दूध से बनी हुई चीज़ें आती हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में, जिस ढंग से गुजरात दुग्ध उत्पादन कर रहा है, उस तर्ज़ पर हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आज हिमाचल प्रदेश में मिल्क फैडरेशन के माध्यम से प्रतिदिन 85 हजार लीटर दूध की खरीद

की जाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो बजट हिमाचल प्रदेश में मार्च में प्रस्तुत किया गया है, उसमें दुग्ध उत्पादन के लिए 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आज राष्ट्रीय गाकुल मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 11 जिलों में 3,300 गांवों के लिए निःशुल्क गर्भाधान का प्रावधान किया गया है। पशुपालन के स्वास्थ्य सम्बन्धी बजट में प्रावधान किया गया है कि गांवों में किस ढंग से उचित

14.09.2020/1830/JK/DC/2

व्यवस्था हो सके और गांव तक कैसे लोगों को पशुपालन का सहयोग दिया जाए। प्रदेश में पायलट आधार पर मोबाइल बैटरी सेवा का भी प्रावधान किया गया है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वर्ष 2020 में लगभग 120 वैटरिनरी पद भरे जाएंगे। अभी हमारी सरकार को 3 वर्ष होने जा रहे हैं। इस अन्तराल में दूध का 5 रुपये रेट बढ़ाया गया है। इस बार बजट में भी मिल्कफैड के लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों-बागवानों को जिस ढंग से उत्तम चारा योजना के अर्न्तगत उन्नत किस्म का चारा, बीज, भूसा काटने की मशीनें शामिल की गई हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा डेयरी विकास योजना, जिसमें किसानों को 25 प्रतिशत नॉबार्ड तथा बैंकों के माध्यम से 50 प्रतिशत का ऋण दिया जाता है। हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं कि इस योजना को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत उपदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यहां पर दूध गंगा योजना शुरू की गई है, जिससे बहुत से किसानों को फायदा हो रहा है। इसके अलावा जो दत्त नगर में रामपुर के साथ साढ़े 7 करोड़ की लागत से मिल्क प्लांट लगाया गया है, जहां प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला.

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

14.09.2020/1835/SS-DC/1

श्री किशोरी लाल क्रमागत :

क्षमता वाला पाउडर संयंत्र स्थापित किया गया है और जो यहां से पाउडर जाता है वह हिमाचल प्रदेश के पूरे आंगनबाड़ी केन्द्रों को जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि हाल ही में दत्तनगर में 16 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट लगने जा रहा है। इसमें सभी गरीब किसान लोगों को फायदा होगा।

आज जहां तक आनी विधान सभा क्षेत्र की बात आती है तो यह हिमाचल प्रदेश का पहला विधान सभा क्षेत्र है जहां पर 50 प्रतिशत दूध का उत्पादन होता है। इसके लिए हम प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आनी विधान सभा क्षेत्र में प्रतिदिन 35 हजार से 40 हजार लीटर तक दूध मिल्क फैड को दिया जा रहा है और उसके अलावा जो कामधेनु प्राइवेट संस्था है वहां से भी लगभग 15 से 20 हजार लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है। उसके अलावा मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 36 करोड़ रुपये दूध उत्पादन क्षेत्र से आते हैं। मेरा आनी विधान सभा क्षेत्र जोकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मंत्री जी यहां बैठे हैं मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में लगभग 4 चिलिंग प्लांट होने चाहिएं ताकि आने वाले समय में वहां पर किसान-बागवानों को फायदा हो सके। उसके अलावा दूध के मापतोल के लिए जो गुणवत्ता के जांच केन्द्र हैं, ए0एम0सी0यू0 दिये जाने चाहिएं ताकि किसानों को जब दूध मापते हैं तो उसका उचित मूल्य मिले। मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 5 हजार किसान-बागवान उससे जुड़े हुए हैं। आनी विधान सभा क्षेत्र की विशेषकर 80 प्रतिशत पापुलेशन इस धंधे से जुड़ी है। उसमें विशेषकर 80 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। आनी विधान सभा क्षेत्र की सभी महिलाएं जो उसमें रात-दिन मेहनत कर रही हैं उनको अच्छा रोज़गार मिला है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आनी विधान सभा क्षेत्र में अच्छी नसल की दुधारू गायें मिलनी चाहिए।

उसके अलावा आनी विधान सभा क्षेत्र में जब सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है तो हम माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाले समय में वहां पर नयी वैटरिनरी डिस्पैंसरी खोली जाएं क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से हमारी पंचायतें वहां पर बिखरी हुई हैं। इसके

अतिरिक्त जो हमारा मिल्क फैड में स्टाफ लगा हुआ है वह भी कंट्रैक्ट या आउटसोर्स पर लगा है। हम चाहेंगे कि वह भी रेगुलर हो। उसमें स्टाफ की ज्यादा भर्ती हो। आज जो मैंने यहां पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया है उसमें विशेष रूप से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जो मेरा आनी विधान सभा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है हम चाहेंगे कि उसमें और बढ़ोतरी हो। हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री जी की एक सोच है कि हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकें और कैसे यहां पर रोज़गार दिया जा सके तो मैं चाहूंगा कि आनी विधान सभा क्षेत्र में जो दूध का बहुत बढ़िया काम हो रहा है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो। ऐसा हम सरकार से चाहेंगे। उसके अलावा दूध का उत्पादन एक ऐसा उत्पादन है, अभी कोविड-19 का एक दौर था, लॉकडाउन था और मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में हर दिन 40 से 45 हजार प्रति लीटर दूध का उत्पादन होता था और हमारी माताएं व बहनें जो गांव में दूध इकट्ठा करती थीं तो उससे घी तैयार करके बेचती थीं। वह घी तीन साल तक खराब नहीं होता है। जो दूध का उत्पादन है हम आने वाले समय में चाहेंगे कि जब आनी विधान सभा क्षेत्र पूरे प्रदेश का 50 प्रतिशत से अधिक दूध का उत्पादन कर सकता है और आने वाले समय में..

जारी श्रीमती के0एस0

14.09.2020/1840/केएस/डीसी/1

श्री किशोरी लाल जारी---

प्रदेश में इसमें सभी का फायदा हो सकता है। मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में सेब उत्पादन के बाद दूसरा नम्बर दुग्ध उत्पादन का आता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो स्टाफ की कमी है, मैं माननीय मुख्य मंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से चाहूंगा कि उसको दूर किया जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम वहां पर पंजाब, हरियाणा और गुजरात की तर्ज पर दुग्ध उत्पादन करेंगे। इसके अलावा अभी एक और अच्छा कार्य किया है । आनी विधान सभा क्षेत्र और पूरे हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना लाई गई है। जो सोसायटी बनी है, उसमें हर मैम्बर को,

जिसने 4 गाय पाली है उसको 1,60,000 तक ऋण दिया जा रहा है। हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि एक गाय पर कम से कम 1,00,000 का जो 4 परसेंट ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है, उसमें 160 के आंकड़े को कम करें ताकि आने वाले समय में आनी में दूध का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

14.09.2020/1840/केएस/डीसी/2

अध्यक्षः क्योंकि आज सत्र का समय 7.00 बजे तक है तो अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री हीरा लाल जी हिस्सा लेंगे। हीरा लाल जी, अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री हीरा लाल (करसोग): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल नियम-130 के अंतर्गत प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने बारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में लाए हैं। मैं भी इस विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की आर्थिकी में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान पशुपालन से, दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं। प्रदेश सरकार ने पशुपालन को, डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ की हैं। पशुपालकों को उन्नत नस्ल का पशुधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 1,95,00,000 रुपये की लागत से साहीवाल, रैड सिन्धी नस्ल की गाय में पालमपुर में प्रत्यारोपण का कार्य आरम्भ किया गया है ताकि अच्छी नस्ल की गाय हिमाचल प्रदेश में हो और हमारे दूध का उत्पादन बढ़े। प्रयोगशाला के निर्माण कार्य उपकरणों के क्रय तथा प्रशिक्षण पर 1,64,00,000 रुपये की राशि व्यय की गई है। इस योजना के अंतर्गत तीन पशुचिकित्सा अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड से भी चार रेड सिन्धी गायों को लाया गया है ताकि प्रदेश में एक अच्छी नस्ल की गाय हो और हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो सके। जिला ऊना में मुर्रा नस्ल की भैंसों लाई जा रही हैं जिसके लिए 5,06,00,000 का बजट प्रावधान किया गया है ताकि भैंसों के दूध का भी अच्छा उत्पादन

हो। प्रदेश में गत दो वर्षों में पशुधन की समस्याओं के समाधान के लिए 9 नए पशु औषधालय खोले गए हैं। 16 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय तथा 2 पशु चिकित्सालयों को उप मण्डलीय पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत किया गया है। इस अवधि में 62 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, दुग्ध उत्पादन के बारे में कुछ सुझाव दें तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा श्री हीरालाल शुरूजारी--

14.9.2020/1845/av/hk/1

श्री हीरा लालः अध्यक्ष महोदय, उसी पर आ रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र करसोग में वर्ष 2009 में चिलिंग प्लांट का निर्माण किया गया।मैं यहां पर अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि वहां पर वर्ष 2009 में एक चीलिंग प्लांट की स्थापना की गई थी जिसकी कैपेसिटी पहले 2,000 से 3,000 लीटर थी मगर वह बढ़ते-बढ़ते आज 6,000 लीटर तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त बगशाड़ में भी एक चीलिंग प्लांट खोला गया है जिसमें 2,000 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। हमारे ऐसे 4-5 क्षेत्र और हैं, वहां दो प्राइवेट चीलिंग प्लांट भी खोले गए हैं जिनकी कैपेसिटी 6,000-7,000 हजार लीटर की हैं। आज करसोग में लगभग 15,000 लीटर का उत्पादन हो रहा है और उस दूध को प्रोसैसिंग के लिए केपू तथा दत्तनगर में भेजा जा रहा है। करसोग में अच्छे किसान है और पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ-साथ वहां पर घास व चारे इत्यादि की सुविधा भी बहुत अच्छी है। करसोग में वर्तमान में एक उपमंडलीय चिकित्सालय है तथा तीन छोटे हैं जिसमें से एक धरमोड़, पांगणा और सैंजबंगला में है। वहां पर काओ और अशला में दो चिकित्सालयों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी करसोग विधान सभा क्षेत्र के अंदर लगभग 15,000 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है मगर इसको 25,000-30,00 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। करसोग शिमला शहर से बहुत नज़दीक है इसलिए वहां से 9-10 बजे तक यहां पर दूध पहुंचाकर उसे शिमला शहर में भी सेल किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था करने से सरकार को मिलने वाले राजस्व के साथ-साथ हमारे युवा साथियों और महिला मंडलों

की आय भी बढ़ेगी। करसोग में छोड़ी गई गायों के लिए भी गो-सदन का निर्माण किया जा रहा है। मेरी अभी इस संदर्भ में मंत्री जी से बड़ी डिटेल में बात हुई है और वहां पर सौ गायों की कैपेसिटी का एक गो-सदन बना दिया गया है जिसका उद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है। प्रदेश की आर्थिकी में गो-धन व दूसरे पशु धन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है तथा इसके लिए सरकार ने समय-समय पर बहुत योगदान दिया है। आज प्रकृति में भी बहुत बदलाव हुए हैं जैसे वर्षा कम होने की वजह से चारा भी कम हो रहा है। हमारी युवा पीढ़ी भी पशु पालन में ज्यादा सहयोग नहीं देती। इसलिए इसके लिए

14.9.2020/1845/av/hk/2

कोई खास प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में भी पशु धन की महत्ता को बताया जाना चाहिए ताकि बच्चे घर में अपने अभिभावकों के साथ पशुपालन में सहयोग करें। मेरा यह कहना है कि यह प्रदेश की आर्थिकी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है।

अंत में मैं यही कहूंगा किः-

भारत माता गऊ माता, यही है जीवन जीने का आधार।

विश्व का मार्गदर्शन करने वाला, यही है एक विचार॥

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

14.9.2020/1845/av/hk/3

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे और उत्तर के साथ ही चर्चा समाप्त हो जायेगी।

माननीय मंत्री जी, आज की कार्यवाही का समय 7.00 बजे अपराह्न तक है। क्या आप अपना जवाब 7.00 बजे अपराह्न तक समाप्त कर देंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात 7.15 बजे अपराह्न तक समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष : ठीक है, इस सदन की कार्यवाही का समय 7.15 बजे अपराह्न तक बढ़ाया जाता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी, आप चर्चा का उत्तर दीजिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत जनसंख्या गांव के अंदर रहती है।

श्री टी सी द्वारा जारी

14.09.2020/1850/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री.... जारी

उनमें से 72 प्रतिशत लोग सीधेतौर पर कृषि और पशुपालन के साथ जुड़े हुए हैं और वह हमारी जीविका का एक बहुत बड़ा साधन है। यह महत्वपूर्ण चर्चा है और हम चाहते थे कि विपक्ष के माननीय सदस्य भी इसमें भाग लेते क्योंकि तीन वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जब से यह सरकार बनी है, इसने गरीब किसानों, मजदूरों और समाज के हर पिछड़े वर्ग के प्रति अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम चाहते थे कि इसके संदर्भ में

विपक्ष के सकारात्मक सुझाव आते। लेकिन मुझे लगता है कि उनको यह सैशन लम्बा लग रहा था और थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, शायद इसलिए वे इस सदन को छोड़कर चले गये। मैं माननीय सदस्य, श्री किशोरी लाल जी और श्री हीरा लाल जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। श्री किशोरी लाल जी ने अपने क्षेत्र के विषय को बहुत विस्तार से यहां रखा। वास्तव में बहुत- सारे दुग्ध उत्पादक वहां से संबंध रखते हैं। इन्होंने कहा कि वहां पर दुग्ध की जितनी कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने नीतिगत रूप से यह तय किया है कि जिस यूनिट में 500 लीटर से ज्यादा दूध होगा, वहां पर हम इस वर्ष बल्क मिल्क कूलर प्रदान करेंगे। जितनी भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, हम उनमें ए0एम0सी0यू0 फेस्ड मैनर्ज में देने जा रहे हैं। हमने 323 सोसाइटीज को बल्क मिल्क कूलर प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसी तरह से श्री हीरा लाल जी ने भी अपनी डिमांड रखी है। वह भी एक पूरी बैल्ट हैं, जहां के लोगों की आय का मुख्य साधन दूध है। वहां के किसान गाय पालते हैं और दूध का यूज करने के बाद जो बच जाता है उसको अपनी आय का साधन बनाते हैं। हमने इस बारे में बात की है, करसोग में जो सब्जी मंडी अन-यूटेलाइज्ड पड़ी है, वहां पर हम बल्क मिल्क कूलर लगाने जा रहे हैं और साथ में चीलिंग प्लांट भी स्थापित कर देंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आज मिल्कफैड प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा यूनिट है। वर्ष 1980

14.09.2020/1850/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और वर्ष 1983 में इसने कार्य करना आरम्भ किया था। हमने गुजरात में अमूल की तर्ज़ के ऊपर हिमाचल प्रदेश में मिल्कफैड की स्थापना की थी। प्रदेश के अंदर दुग्ध सहकारी समितियां बनाकर मिल्कफैड को एक बड़ी इकाई के रूप में स्थापित किया था। इसका एक लम्बा इतिहास रहा है। आज पूरे देश के अंदर प्रतिदिन 48 करोड़ लीटर दूध की कलैक्शन और प्रोसैसिंग की जाती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनने से पहले प्रतिदिन 70,000 लीटर दूध की कैपेसिटी थी।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी ।

14.09.2020/1855/RKS/YK-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ... जारी

नम्होल में कामधेनू नाम की एक एन.जी.ओ. दूध उत्पादन का काम करती है जिसकी क्षमता 32,000 लीटर है। सेंज में भी दूध उत्पादन का कार्य एक एन.जी.ओ. द्वारा किया जा रहा है जिसकी क्षमता 30,000 लीटर है। हाल ही के अढ़ाई वर्षों में दूध उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में काफी प्रगति हुई है, उससे हमारा दूध उत्पादन 70,000 लीटर से बढ़कर 1.30 लाख लीटर तक पहुंच गया है। जो मेरे पास पूरे प्रदेश का आंकड़ा है उसके हिसाब से हम 50 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रोड्यूस करते हैं। इस दूध का हम मात्र अढ़ाई प्रतिशत ही दूध प्रोसैस कर पाते हैं। हमें हमेशा चिंता रही है कि किसान को दूध का सही दाम मिलना चाहिए लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन अढ़ाई वर्षों में लगभग 5 रुपये दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे किसान को बहुत बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के अंदर जहां 800 के करीब सहकारी समितियां होती थी वे आज बढ़कर 1,011 पहुंच चुकी हैं। इससे सीधे तौर पर 46,280 परिवारों को लाभ पहुंच रहा है। हमने दिनांक 01.04.2020 के बाद जो दूध के रेट तय किए हैं उसमें हम 4 प्रतिशत फैट लेते हैं और 8.05 उसका एस.एन.एफ. लेते हैं। इस दृष्टि से हम किसानों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। वर्ष 2017-18 में मिल्कफैड का टर्नऑवर 106.35 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर 132 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश किसान गाय का दूध बेचते हैं। गाय के दूध में फैट्स कम होते हैं। हमारी पहाड़ी गाय 1 लीटर, 2 लीटर या तीन लीटर दूध देती है जिस कारण हमारे किसानों को इन पहाड़ी गायों के दूध से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप अपना उत्तर देने में कितना समय लेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, मुझे उत्तर देने में 20 मिनट का और समय चाहिए।

14.09.2020/1855/RKS/YK-2

अध्यक्षः ठीक है। इस माननीय सदन की कार्यवाही सांय 7.20 तक बढ़ाई जाती है। अब माननीय मंत्री जी आप बोल सकते हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, किसानों को अच्छी नस्ल की गाय उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना शुरू की है। यह योजना मूलतः देशी गौ के ऊपर आधारित है। हमारी सोच है कि यदि हमारी गाय बचेगी तो हमारी कृषि बचेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सरकार बनने के बाद, वर्ष 2018-19 में सबसे पहले यह निर्णय लिया कि अगर कोई गरीब किसान गाय खरीदता है और अपने आपको प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ता है तो उसे 25, 000 रुपये गाय खरीदने के लिए दिए जाएंगे। हम ब्रीडिंग पॉलिसी में एक परिर्वतन लेकर आए। हमने भारतीय मूल के गौवंश रेडसिंधी, गिर, साहीवाल, थारपारकर को ब्रीडिंग पॉलिसी में शामिल किया ताकि किसान अपनी गौ नस्ल में सुधार कर सके। अगर किसान को अच्छी नस्ल की साहीवाल चाहिए तो अच्छी साहीवाल का सीमन स्ट्रॉ सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाया जाएगा।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

14.09.2020/1900/बी0एस0/ए0जी0/-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी...

उसे अच्छी नस्ल की पहाड़ी गाय चाहिए। हमने पहाड़ी गाय जिसकी breeding हो गई है उसमें लिए National Bureau of Genetic Research में अवेदन किया कि हिमाचल प्रदेश की गाय है उसे हम वहां पर रजिस्टर्ड करवाएं। हमें इस बात की प्रशंन्नत है कि हमने आज

गौरी नाम की हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी गाय का नामकरण हुआ है। हमने इसके लिए केन्द्र को 10 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट भेजा है कि हम गाय का संरक्षण भी करेंगे और संवर्धन भी करेंगे और उसे किसान के लिए उपयोगी बनाएंगे। उसके लिए 2-3 लीटर नहीं परंतु 8-10 लीटर तक दूध देने वाली गाय हम हिमाचल प्रदेश के अंदर तैयार करेंगे। हमने हिमचल प्रदेश में साहीवाल, थारपारकर, गिर semen straw पहले वर्ष ही अढ़ाई लाख semen straw ला करके किसानों को उलब्ध करवा दिए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने प्रोजैक्ट्स तैयार किए और हिमाचल प्रदेश को Centre of Excellence Dairy जो 47 करोड़ रुपए से बनेगी वह हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत हुई है। उसका काम भी चला हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी नेतृत्व में हमने पहला "गोकुल ग्राम" जिसमें 12 करोड़ रुपए खर्च होगा और उसमें 60 प्रतिशत भारतीय गोवंश रखे जासएंगे। उसकी ब्रिडिंग तैयार होगी और हम उसे किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाएंगे। यह भी हमें स्वीकृत हुआ है। आज कृषि में बछड़ों का महत्व कम हो गया इसलिए बछड़ियां पैदा हो इसके लिए sex sorting semen की लैब है व भी स्वीकृत हुई है। उसके ऊपर 45 करोड़ रुपए खर्च होगा। उसे पालमपुर में स्थापित किया जाएगा। यह प्रयास हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर दुग्ध क्रांति लाने के लिए किया है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि इन अढ़ाई वर्षों में जो-जो कार्य किया है उससे दूध की क्षमता बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1982-83 में जब हमारा मिल्कफैड चला था तो उस समय हम 30-40 लीटर का उत्पादन करते थे। लेकिन हमारे पास तीन यूनिट्स थे। आज हमारे पास 11 यूनिट्स हैं। दूध का उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही अब मार्किटिंग की चिंता भी सामने आ रही है। हमने इसका मार्किट सैट्अप तैयार किया है। आज हमने 16 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं। मिल्क फैड का जो घी है आज उसकी कमी रहती है। उसको लोग लाइन में खड़े होकर ले रहे हैं। इतने लोकप्रिय हमारे प्रोड्क्ट्स हैं। जो हमारी घी की बढ़ी हुई मात्रा है उसे देने के लिए सेना की जो हमारी यूनिट्स हैं चाहे वह डगसाई में है, चाहे पालमपुर में है, चाहे

धर्मशाला में है, चाहे शिमला में है, चाहे सोलन में है और चाहे चण्डीगढ़ में है। हमने उनके साथ एम0ओ0यू0 किया है कि हम बढ़ा हुआ दूध आपको भेजेंगे। जनता को उपलब्ध करवाने के लिए हमने बस स्टैंड, रेवले स्टेशन्ज में भी सार्वजनिक स्थानों पर रिटेल आउटलेट वहां

पर स्थापित कर रहे हैं। हम नए मिल्कबार बसस्टैंड्स के ऊपर wayside amenities में वहां पर मिल्क फैल के प्रोडक्ट्स बेचने की नीति बना रहे हैं। हम किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। माननीय मादी जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इनकी आय वर्ष 2024 तक इसे दोगुना करेंगे। हिमाचल प्रदेश की गाय जो 5-6 हजार फुट की ऊंचाई पर घास चरने जाती है और उसके चरने से herbs खाती है तो उसका दूध एक तरह से औषधि होती है। हम उसे अलग से ब्रांड करने के लिए गौरी दूध की लॉचिंग की है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

14-09-2020/1905/ए.जी.-एन.जी./1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी.....

ताकि किसानों को गाय के दूध का ज्यादा रेट मिल सके। हमने इसको Vitamin A & B fortified Milk ब्रांड करके मार्किट के बीच में उतारा है। अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना के समय में immunity booster के रूप में हमने 'हिम हल्दी दूध' को मिल्कफैड के माध्यम से मार्किट में उतारा है और मार्किट में उसकी बहुत बड़ी मांग बनी हुई है। प्रदेश के अंदर जितना भी बल्क दूध होता है उसके निष्पादन के लिए हमने मदर डायरी के साथ एम.ओ.यू. साइन किया है कि हमारे पास जो भी अतिरिक्त दूध होगा उसे तुरंत मदर डायरी को उपलब्ध करवाएंगे ताकि हमारा दूध खराब न हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी लोकमित्र केन्द्र हैं हमने उनके साथ भी एम.ओ.यू. साइन किया है कि आने वाले समय में हम उनके पास अपनी मिल्क प्रोडक्ट की चेन देंगे ताकि गांव-गांव में हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध हो सकें। हिमाचल प्रदेश में जब लॉकडाउन चल रहा था तो प्राइवेट डायरियों ने दूध लेना बंद कर दिया था। जैसे पंजाब की वेरका या अन्य प्राइवेट डायरियां थी उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया था जिससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। किसानों के लिए यह सबसे बड़ी चिन्ता का विषय बन गया था और हमारे पास उनके कईं फोन आने शुरू हो गए थे। हमने व माननीय मुख्य मंत्री जी ने मिल्कफैड को यह आदेश दिए कि किसी भी किसान का दूध खराब नहीं होना चाहिए और उसे दूध फैंकना न पड़े इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। मिल्कफैड पहले

दिन से ही इस भूमिका में कार्य कर रहा है। मिल्कफैड जहां पर 70-80 हज़ार लीटर प्रतिदिन दूध इक्कठा करता था वहां पर वह 1.30 लाख लीटर प्रतिदिन एकत्रित करने लग गया। लॉकडाउन के समय में हमने Cattle Feed Units को पशु चारा भी उपलब्ध करवाया है और आने वाले समय में हम पशु चारे की अपनी क्षमता को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं इस देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमारे लिए 'किसान क्रेडिट कार्ड' की व्यवस्था की है।

14-09-2020/1905/ए.जी.-एन.जी./2

पहले यह व्यवस्था केवल कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों के लिए ही होती थी लेकिन अब पशु पालकों और मत्सय पालकों के लिए भी यह सुविधा पहली बार की गई है। हमने अपनी जितनी भी मिल्क सोसाइटीज़ हैं उनमें 10 हज़ार किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाएं हैं और हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा-से-ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाएं। हमारी भविष्य की जो योजनाएं हैं उसमें हम और भी अच्छा करना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि जिस यूनिट में 500 लीटर दूध उपलब्ध है वहां पर हम चरणबद्ध तरीके से Milk Coolers लगाने जा रहे हैं। हम उन क्षेत्रों में भी ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जहां पर हमारे यूनिट्स तो लगे हैं लेकिन पिछले कईं वर्षों से वहां पर दूध की कलैक्शन में कमी आई है। जिसमें कांगड़ा, चम्बा और ऊना आते हैं। यह रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है इसलिए हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों में अपनी सहकारी समितियों को एक्टिव करके इस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज विश्व के अंदर ए-1 और ए-2 दूध के बारे में रिसर्च हुआ है जिसमें पाया गया है कि जर्सी और Holstein गाय का दूध मानव जीवन के लिए लाभकारी नहीं है और यह हमारे लिए immunity booster नहीं है। उन्होंने यह रिसर्च किया है कि भारतीय मूल के गौवंश, जैसे साहीवाल, रेड सिंन्धी, गिर तथा थारपारकर का दूध हमारे लिए immunity booster है। इस करके ए-2 मिल्क आज पूरी दुनिया के अंदर महंगा बिक रहा है

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

14/09/2020/1910/MS/AG/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी---

मिल्क फैड इस भूमिका के ऊपर भी विचार कर रहा है कि आने वाले समय में जो भारतीय मूल का गौवंश है, उसके दूध को ए-2 दूध के नाम से ब्रांड करेंगे और जनता को एक लाभकारी स्थिति में पहुंचाएंगे।

उसी तरह से हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट प्रदेश के अंदर बकरी पालन का है। यह एक बहुत बड़ा यहां संसाधन है, जिसका वन टू का फोर यानी किसान की आय एक गुणा से सीधा चार गुणा हो सकती है। उसके लिए हम कलस्टर एप्रोच करके यानी हमारा मिल्क फैड इस भूमिका में भी रहेगा कि जहां पर कलस्टर्ज होगा और जहां बकरी का दूध उसको उपलब्ध होगा, वहां बकरी के दूध को प्रोसैस करके उसका पनीर बनाकर किसान की आय को तीन-चार गुणा बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं। उसी तरह से एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रदेश में निर्मित करने जा रहे हैं। मुझे मंत्री बनने के बाद गुजरात जाने का मौका मिला और मैं वहां गांव-गांव में जाकर इसको देखकर आया हूं। वहां पर जब किसान सोसाइटी में दूध देता है तो उसको उसी समय एनालाइज हो जाता है कि इसमें कितनी फैट्स है, कितना इसके अंदर एस.एन.एफ. है और तुरन्त सेंटर या उसके ऑफिस में यह सारा रिकॉर्ड चला जाता है। इसी तरह से बैंक के अकाउंट से भी सीधी ट्रांसफर किसान के खाते में हो जाती है और किसान को उसके मोबाइल ऐप पर पता चल जाता है कि उसके खाते में कितना पैसा जमा हुआ है। ऐसा एक पारदर्शी सिस्टम किसानों के लिए हम लेकर आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम आने वाले समय में स्थानीय बाजार में गेहूं का पास्ता भी पेश करने वाले हैं ताकि इससे जहां मिल्क फैड की आय बढ़ेगी वहीं किसानों को भी अच्छी इन्कम होगी। हमारी मिल्क फैड की नई योजना एनर्जी ड्रिंक्स बनाने की भी है ताकि हमारे जितने भी आंगनवाड़ी केन्द्र हैं वहां पर हम चॉकलेट, मिल्क पाउडर और एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों को अच्छी किस्म का उपलब्ध करवा सकें। इसी तरह से हम फ्लेवर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए भी विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा कि जहां हमारा मिल्क फैड बहुत अच्छा काम कर रहा है वहीं पर मिल्क फैड के सामने मुश्किलें भी हैं। जब हमारे पास तीन युनिट्स थे, उस समय हमारे पास कर्मचारियों की संख्या 415 थी लेकिन अब सिर्फ 152 पद ही रह

14/09/2020/1910/MS/AG/2

गए हैं जबकि हम 1,30,000 लीटर दूध कलैक्ट और प्रोसैस कर रहे हैं। हम कई तरह के और भी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। हम कैटल फीड में भी काम कर रहे हैं तथा बिस्किट बनाने का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा ड्राई दूध पाउडर पर भी काम कर रहे हैं लेकिन अभी और पदों के सृजन की आवश्यकता है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने 102 पदों की मंजूरी दी है और उसके कारण एक बहुत बड़ा लाभ मिल्क फैड को होने वाला है।

हिमाचल प्रदेश में डेयरी फार्मिंग के लिए यहां की परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। हम यहां पर अच्छी नस्ल के जानवर रखकर, क्योंकि यहां बड़ी डेयरी का ज्यादा स्कोप नहीं है तो लघु डेयरी के माध्यम से बहुत सारे नौज़वानों को इस रोज़गार के साथ जोड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि दुग्ध प्रसंघ में अधिक-से-अधिक दुग्ध उत्पादक किसान शामिल होंगे ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अधिक विकसित हो और राज्य के युवाओं को माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के कुशल मार्ग-दर्शन और निर्देशन में रोज़गार के साधन उपलब्ध हों। मैंने आपका बहुत ज्यादा समय लिया,
जारी जे0के0 द्वारा----

14.09.2020/1915/JK/एएस/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी---

राज्य के युवाओं को माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन में रोज़गार के साधन उपलब्ध हों। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का मुझे समय दिया। बहुत कुछ अभी बोलने को बाकी था लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा, तो उसको भी रखेंगे। मैं माननीय सदस्यों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 14 सितम्बर, 2020 **सचिव।**